

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.03.2024 जनपद देवरिया

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा हत्या से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 05.03.2024 को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय हमराह कर्मचारी गण द्वारा मुखबिर की सूचना पर समय करीब 04.25 बजे दिनांक 22.05.2023 को लार रोड रेलवे स्टेशन के बाहर गेट से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 110/2023 धारा 147/148/302/506 भादवि0 थाना सलेमपुर जनपद देवरिया में वांछित चल रहे नामजद अभियुक्तगण 1 - मनोज दुबे पुत्र स्व0 हरिवंश दुबे 2- अमन दुबे पुत्र मनोज दुबे निवासीगण ठेंगवल दुबे थाना सलेमपुर जनपद देवरिया व 3- राजन दुबे पुत्र मणिकान्त दुबे निवासी धनगड़ा थाना सलेमपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण उपरोक्त के निशानदेही पर मुकदमा उपरोक्त में प्रयुक्त आला कत्ल (बाँका) ठेंगवल दूबे के निकट स्थित तालाब के किनारे से बरामद किया गया तत्पश्चात अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर देवरिया मा0 न्यायालयरवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 110/2023 धारा 147/148/302/506 भा0द0वि0 थाना सलेमपुर जनपद देवरिया

मृतक का विवरण:-

हरिवंश दूबे पुत्र स्व0 जमुना दूबे उम्र 78 वर्ष साकिन ठेंगवल दूबे थाना सलेमपुर जनपद देवरिया

अभियुक्तगण का विवरण:-

मनोज दुबे पुत्र स्व () हरिवंश दुबे उम्र 48 वर्ष निवासी ठेंगवल दुबे थाना सलेमपुर जनपद देवरिया 2- अमन दुबे पुत्र मनोज दुबे उम्र 22 वर्ष निवासी ठेंगवल दुबे थाना सलेमपुर जनपद देवरिया 3- राजन दुबे पुत्र मणिकान्त दुबे उम्र 21 वर्ष सा धनगड़ा थाना सलेमपुर जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण —

1- 01 अदद आलाकत्ल (बाँका)

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक गोपाल पाण्डेय थाना सलेमपुर जनपद देवरिया।
2. का0 प्रिजेश कुमार थाना सलेमपुर जनपद देवरिया।
3. का0 गणेश कन्नौजिया थाना सलेमपुर जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.02.2024 जनपद देवरिया

* थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अपराध में वांछित 25 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।*

थाना गौरीबाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 373/2023 धारा 376/323/504/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बैजनाथ गुप्ता पुत्र मेवालाल गुप्ता साकिन रामजानकी नगर वार्ड नं0 07 थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया जो मुकदमा पंजीकृत होने के दिनांक से ही फरार चल रहा था। अभियुक्त उपरोक्त के सम्बन्ध में मा0 मा0 न्यायालयद्वारा एनबीडब्ल्यू की कार्यवाही भी की गयी थी जिसके उपरान्त भी अभियुक्त बैजनाथ गुप्ता उपरोक्त फरार चल रहा था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद देवरिया द्वारा अभियुक्त बैजनाथ गुप्ता उपरोक्त पर 25000/- रुपये धनराशि का (इनामिया) पुरस्कार घोषित कर दिया गया था। जिसे दिनांक 08.02.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर महोदय के नेतृत्व में थाना गौरीबाजार पुलिस टीम द्वारा रेलवे पश्चिमी ढाला थाना गौरीबाजार के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

(1) मु0अ0सं0 373/2023 धारा 376/323/504/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.थानाध्यक्ष उ0नि0 दिनेश कुमार मिश्रा थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
2. मु0आ0 धर्मेन्द्र थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
3. आ0 विश्वजीत यादव थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
- 4.आ0 अजीत थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
- 5.आ0 सर्वजीत थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
- 6.आ0 अभिनव थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
7. म0आ0 अमिता अनुरागी थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
8. म0आ0 रीता यादव थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.02.2024 जनपद देवरिया

***थाना महुआडीह पुलिस द्वारा एक अदद पिकप वाहन से 02 राशि गोवंशीय पशु के साथ 01**

अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया*

दिनांक 10.02.2024 को थाना प्रभारी महुआडीह मय पुलिस टीम देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि वाहन चेकिंग के दौरान चैनपुर मोड़ के पास से 01 अदद पिकप नं0 UP-57 AT-9747 से 02 राशि गोवंशीय पशु लदे हुए पकड़े गये। बरामद पशुओं व वाहन को कब्जे में लेते हुए 01 अभियुक्त लालू अंसारी पुत्र अब्दुल करीम अंसारी निवासी सरया खुर्द थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना महुआडीह पुलिस द्वारा धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 3/5A/8 गौ हत्या निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. अभियुक्त लालू अंसारी पुत्र अब्दुल करीम अंसारी निवासी सरया खुर्द थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर।

बरामदगी का विवरण

01. दो अदद जिन्दा गोवंशीय पशु

02. एक अदद पिकअप सं0- यू0पी0 57 AT 9747

गिरफ्तार करने वाली टीम:

01. प्रभारी निरीक्षक गिरीश चन्द्र राय थाना महुआडीह

02. उ0नि0 विपिन कुमार यादव थाना महुआडीह

03. का0 अमरजीत कुमार थाना महुआडीह

04. का0 अंगद यादव थाना महुआडीह

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.02.2024 जनपद देवरिया

थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा हत्या के अपराध में वांछित 25 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना गौरीबाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 14/2024 धारा 302/201 भादवि से सम्बन्धित प्रकाश मे आया अभियुक्त अर्जुन कुशवाहा उर्फ भुख्खल पुत्र देवनरायन भगत साकिन बासदेवपुर थाना खुखुन्दु जनपद देवरिया जो मुकदमा पंजीकृत होने के दिनांक से ही फरार चल रहा था । श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद देवरिया द्वारा अभियुक्त अर्जुन कुशवाहा उपरोक्त पर 25000/- रुपये धनाराशि का (इनामिया) पुरस्कार घोषित कर दिया गया था । जिसे दिनांक 11.02.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर महोदय के नेतृत्व में थाना गौरीबाजार पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा बैतालपुर थाना गौरीबाजार से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

(1) मु0अ0सं0 14/2024 धारा 302/201 भादवि थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.थानाध्यक्ष उ0नि0 दिनेश कुमार मिश्रा थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
2. उ0नि0 सादिक परवेज प्रभारी एसओजी जनपद देवरिया।
3. हे0का0 सुधीर कुमार मिश्र सर्विलांस सेल जनपद देवरिया।
4. का0 सुमन्त थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
5. का0 विन्देश्वर थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
6. का0 रमाकान्त पाल थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
7. का0 राकेश कुमार थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
8. का0 विजय कुमार थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.02.2024 जनपद देवरिया

थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध रिवाल्वर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देवरिया के द्वारा अपराध की रोक थाम एवं अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा मुखबीर की सूचना पर पड़री बाजार पुलिया के पास से 02 अभियुक्त क्रमशः 01.अभिषेक सिंह उर्फ गोलू पुत्र सुर्यभान सिंह उम्र करीब 23 वर्ष सा0 रहीमपुर थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया व 02.रितिक पासवान पुत्र जितेन्द्र पासवान उम्र करीब 19 वर्ष सा0 कड़सरवा खुर्द थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया को एक अदद **रिवाल्वर** 32 बोर चालू हालत व 02 अदद 32 बोर जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार करते हुए थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-037/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:

01.अभिषेक सिंह उर्फ गोलू पुत्र सुर्यभान सिंह उम्र करीब 23 वर्ष सा0 रहीमपुर थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया 02.रितिक पासवान पुत्र जितेन्द्र पासवान उम्र करीब 19 वर्ष सा0 कड़सरवा खुर्द थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:

01. एक अदद अवैध रिवाल्वर 32 बोर
02. दो अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर

गिरफ्तार करने वाली का विवरण:

01. उ0नि0श्री अनिल कुमार तिवारी थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया ।
02. उ0नि0 श्री दीपक सिंह चौकी प्रभारी भवानीछापर थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया ।
03. का0बृजभान यादव थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया ।
05. का0अभिषेक यादव थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया ।

सराहनीय कार्य

जनपद देवरिया

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से 40 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की कठोर कारवास एवं 1-1 हजार रुपये एवं 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित कराया गया।”

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि दिनांक-18.01.1995 को थाना खामपार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बलुवन में प्रतिवादीगण द्वारा आक्रामक होकर अजय कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र सुरेश लाल श्रीवास्तव के घर एवं दुकान से सामान लूट लिये जाने के सम्बन्ध में वादी अजय कुमार उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना खामपार पर मु0अ0सं0-7A/1995 धारा 395,397 भादंसं का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अजय कुमार उर्फ मुन्ना उपरोक्त द्वारा दो नाली बन्दूक से भीड़ पर फायर किया गया था जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना खामपार पर मु0अ0सं0- 07/1995 धारा 302,307 भादंसं का अभियोग अभियुक्त अजय कुमार उर्फ मुन्ना के विरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

उक्त दोनों अभियोगों में विवेचनोपरान्त दिनांक 05.11.1995 को अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 मा0 न्यायालयमें प्रेषित किया गया । जिसके उपरांत “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से आज दिनांक 16.02.2024 को मु0अ0सं0- 7A/1995 धारा 395,397 भादंसं में कुल 40 अभियुक्तगणों को 10-10 वर्ष की कठोर कारवास एवं 1-1 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित व मु0अ0सं0- 07/1995 धारा 302,307 भादंसं में अभियुक्त अजय कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र सुरेश लाल श्रीवास्तव निवासी उपरोक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित कराया गया ।

कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित है ।

पुलिस अधीक्षक

देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.02.2024 जनपद देवरिया।
थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा घर से लापता 03 किशोरियों को किया गया बरामद,
05 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10.02.2024 को थाना खुखुन्दू क्षेत्रान्तर्गत एक गांव की 03 किशोरियां जो आपस में सहेली थीं, अपने घर से लापता हो गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खुखुन्दू पर लापता तीनों किशोरियों के परिजनों की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-46/2024 धारा-363 भादंसं का अभियोग अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही है। विवेचना के क्रम में थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा दिनांक 21.02.2024 को भटनी रेलवे स्टेशन से लापता उपरोक्त तीनों किशोरियों को बरामद किया गया जिनके द्वारा पुलिस टीम को बताया गया कि हम लोग परिजनों को बिना बताये घुमने के लिए गोरखपुर चले गये थे, जहां रेलवे स्टेशन से कुछ लोगों द्वारा उन्हें बहला-फुसलाकर अपने साथ बिहार लेकर चले गये तथा आर्कस्ट्रा में काम कराने लगे। हम लोग आज वहां से भाग कर भटनी स्टेशन पर पहुंचे थे। किशोरियों द्वारा बताये गये नाम व पते की जांच पुलिस टीम द्वारा करते हुए आज दिनांक 22.02.2024 को देवरिया शहर के कसया मार्ग ओवर ब्रिज के नीचे से 05 अभियुक्तों क्रमशः 01.दीपक उर्फ गफफार मियां पुत्र नेवाजूल मियां निवासी सरैया थाना मधुबन जनपद मोतीहारी बिहार, 02.दिनेश कुमार उर्फ पिन्कू पुत्र नन्दकिशोर निवासी-दिपक सिनेमा वार्ड नं0 39 महापात्र गली थाना टाउन जनपद मुजफ्फरपुर बिहार, 03.सरिता उर्फ आसमी खातून पत्नी नसीर आलम निवासी-मेवालाल चौक थाना मरंगा जनपद पुर्निया बिहार, 04.रेनू देवी पत्नी स्व0 विनोद निवासी-मेवालाल चौक थाना मरंगा जनपद पुर्निया बिहार, 05.पिन्की देवी पत्नी सूरज शाह निवासी-बीएमपी 06 माली घाट थाना मिठनपुरा जनपद मुजफ्फरपुर बिहार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों को तीन लड़कियां गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर मिली थीं, जिन्हें हम लोग बहला-फुसलाकर अपने साथ बिहार ले जाकर आर्कस्ट्रा में काम कराते थे वो तीनों लड़कियां भाग आयीं, जिन्हें खोजते हुए हम लोग आये थे। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

izsl foKflr fnukad 22-02-2024 tuin nsofj;kA

Fkkuk lyseiqj iqfyl }kjk m0iz0 ek;/fed ijh{kk esa udy djkus okys fxjksq dk fd;k x;k inkZQk”k]

ljxuk lfgr 05 vfHk;qDr fxj¶rkjA

vkt fnukad 22-02-2024 dks tuin nsofj;k ds Fkkuk lyseiqj {ks=kUrxZr e>kSyhjkt fLFkr cyHknz ukjk;.k b.Vj dkWyst esa 04 ifj{kkfFkZ;ksa ds LFkku ij dqVjfr vk/kkj dkMZ ij ijh{kk ns jgs Øe”k% vfHk;qDr.k 01-jks”kuyky iq= fons”kh fuoklh&eqjkj [ksM+k Fkkuk IEiw.kkZuxj tuin y[kheiqj [khjh] 02-ckvipkj] 03-lanhi dqekj iq= jkevorkj fuoklh&ukudikj dchxat Fkkuk gtkjk tuin ihyhHkhr 04-vuh”k dqekj iq= fnyhi fuoklh&eqjkj [ksM+k Fkkuk IEiw.kkZuxj tuin y[kheiqj [khjh dks iqfyl }kjk fxj¶rkj djrs gq, muds eqf[k;k cCyw mQZ n”kZu flag iq= thr flag fuoklh&fxj/kjiqj dkWyksuh Fkkuk IEiw.kkZuxj tuin y[kheiqj [khjh dks fo|ky; ds ikI ls fxj¶rkj djrs gq, fu;ekuqlkj dk;Zokgh dh tk jgh gSA

izsl foKflr fnukad 27-07-2023 tuin nsofj:kA

,lvksth o Fkkuk cudVk iqfyl }kjk gR;k dh ?kVuk dk fd;k x;k IQy vukoj.k]

Ek`rd dh eksVjlkbfdy o vkyk dRy ciken] 02 vfHk;qDr fxj¶rkjA

fnukad 22-07-2023 dks lqjt iq= vf[kys”oj jke fuoklh&gjiqj Fkkuk xqBuh tuin floku fcgkj vius llqjky lj;k Vksyk nqng Fkkuk [kkeikj ls vius ?kj xzke gjiqj tk jgk Fkk fd Fkkuk cudVk {ks=kUrxZr vdVgh cktkj ds ekl vKkr vfHk;qDrksa }kjk xksyh ekdj gR;k dj nh x;hA fltds lacU/k esa e`rd dh iRuh jhek nsoh dh rgjhj ij Fkkuk cudVk ij eq0v0la0&132@2023 /kkjk&302 Hkknala iathd`r djrs gq, foospuk dh tk jgh gSA fnukad 26-07-2023 dks ,lvksth nsofj;k o Fkkuk cudVk iqfyl }kjk eq[kfcj dh lwpuk ij xzke lqUnjikj ds ekl ls 01 eksVjlkbfdy iS”ku izks ds lkFk 02 vfHk;qDrksa 01-fo|klkxj ;kno mQZ ccyw ;kno iq= flikgh izlkn ;kno fuoklh&ljjgok Fkkuk njkSyh tuin floku fcgkj] 02-IR;sUnz dqekj iq= jkteaxy fuoklh&Vhdeikj Fkkuk HkkVikjkuh tuin nsofj;k dks fxj¶rkj fd;k x;k] ftuds ekl ls 01 vnn voS/k fiLVy 02 vnn ftank dkjrw ,oa vfHk;qDr fo|klkxj mijksDr dh fu”kkunsgh ij xzke tkudh dqfV;k ds ekl fNikdj j[kh x;h e`rd dh eksVjlkbfdy ctkt iYlj ciken fd;k x;kA iqfyl Vhe }kjk vfHk;qDrksa ls iwN&rkN ds nkSjku muds }kjk crk;k x;k fd fnukad 22-07-2023 dks ge yxsxksa }kjk vdVgh cktkj ds ekl e`rd dks xksyh ekdj mldh eksVjlkbfdy ysdj Hkkx x;s Fks ftlls ge yxsx ywV dh ?kVuk dks vatke nsrsA iqfyl Vhe }kjk vfHk;qDrksa dks fxj¶rkj dj ?kVuk esa iz;qDr eksVjlkbfdy iS”ku izks] e`rd dh eksVjlkbfdy ctkt iYlj rFkk vkyk dRy 01 vnn fiLVy o 02 ftank dkjrw dks dCts esa ysrs gq, eq0v0la0&132@2023 esa /kkjk&397 Hkknala dh c<ksRrjh djrs gq, fu;ekuqlkj fof/kd dk;Zokgh dh tk jgh gSA

fxj¶rkj vfHk;qDrksa dk fooj.k%&

01-fo|klkxj ;kno mQZ ccyw ;kno iq= flikgh izlkn ;kno fuoklh&ljjgok Fkkuk njkSyh tuin floku fcgkj] 02-IR;sUnz dqekj iq= jkteaxy fuoklh&Vhdeikj Fkkuk HkkVikjkuh tuin nsofj;k

vfHk;qDr fo|klkxj ;kno mijksDr dk vkijf/kd bfrgkI%&

01-eq0v0la0&06@2021 /kkjk&392 Hkknala Fkkuk thjknbsZ tuin floku fcgkj]
02-eq0v0la0&07@2021 /kkjk&25¼1½]26]33 vk;q/k vf/k0 Fkkuk thjknbsZ tuin floku fcgkj]
03-eq0v0la0&11@2021 /kkjk&25¼1½]26]35 vk;q/k vf/k0 Fkkuk thjknbsZ tuin floku fcgkj]
04-eq0v0la0&09@2019 /kkjk&392]412 Hkknala Fkkuk thjknbsZ tuin floku fcgkj]
05-eq0v0la0&143@2020 /kkjk&25¼1½ch,]26]27]33 vk;q/k vf/k0 Fkkuk eSjok tuin floku fcgkj]
06-eq0v0la0&56@2019 /kkjk&385]386 Hkknala Fkkuk njkSyh tuin floku fcgkj]

vfHk;qDr IR;sUnz dqekj mijksDr dk vkijf/kd bfrgkI%&

01-eq0v0la0&67@2018 /kkjk&354]452]504]506 Hkknala Fkkuk HkkVikj jkuh tuin nsofj;k]
02-eq0v0la0&164@2012 /kkjk&60 vkcdkjh vf/k0 Fkkuk HkkVikj jkuh nsofj;k]
03-eq0v0la0&645@2014 /kkjk&379 Hkknala Fkkuk HkkVikj jkuh nsofj;kA

cjkenxh dk fooj.k%&

01-e`rd dh eksVjlkbfdy ctkt lkYlj]
02-?kVuk esa iz;qDr eksVjlkbfdy iS”ku izks]
03-?kVuk esa iz;qDr 01 vnn voS/k fiLVy o 02 vnn ftank dkjrw]

fxj[[rkj djus okyh Vhe dk fooj.k%&

01-izHkkjh fujh{k d eqds" k feJ Fkkuk cudVk nsfj;k]

02-m0fu0 lkfnd ijost izHkkjh ,lvksth nsfj;k]

03-m0fu0 fjtoku vyh Fkkuk cudVk nsfj;k]

04-m0fu0 yodq" k dqekj Fkkuk cudVk nsfj;k]

05-eq0vk0 iz"kkUr "kekZ ,lvksth nsfj;k]

06-eq0vk0 esjkt [kka ,lvksth nsfj;k]

07-eq0vk0 foeys" k flag lfoZykal lsy nsfj;k]

08-eq0vk0 lq/khj feJ lfoZykal lsy nsfj;k]

09-eq0vk0 jkts" k falag Fkkuk cudVk nsfj;k]

10-dka0 jekdkUr iky ,lvksth nsfj;k]

11-dka0 fcUnz"oj ,lvksth nsfj;k]

12-dka0 fo"kkky tk;loky ,lvksth nsfj;k]

13-dk0a lsjkt [kka Fkkuk cudVk nsfj;k]

14-dka0 lat; dqekj Fkkuk cudVk nsfj;k]

15-dka0 vfer dqekj Fkkuk cudVk nsfj;k]

16-dka0 /khjt dq"kokgk Fkkuk cudVk nsfj;k]

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.01.2024 जनपद देवरिया

जनपद देवरिया के थाना बरियारपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सरौरा चौराहे के एक मोबाइल की दुकान से दिनांक 07.01.2024 को हुई चोरी के संबंध में थाना बरियारपुर पर मु0अ0सं0-03/2024 धारा 380 भादसं पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही थी। आज दिनांक 15.01.2024 को मुखबिर की सूचना पर विशुनपुर कला बाजार के पास से अभियुक्तों 1. जतिन कुशवाहा पुत्र रामप्रताप कुशवाहा निवासी बेलही सुन्दर टोला थाना तरकुलवा जनपद देवरिया 2. अरुण कुशवाहा पुत्र श्रीराम कुशवाहा निवासी बेलही सुन्दर टोला थाना तरकुलवा जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों से पुछताछ की तो बताया गया कि उक्त मोटर साइकिल थाना विजयीपुर जनपद गोपालगंज से चोरी की गयी थी, जिसकी जांच पुलिस टीम द्वारा किये जाने पर पाया गया कि उक्त वाहन के संबंध में थाना विजयीपुर में मु0अ0सं0-56/2024 धारा 379 भादसं पंजीकृत है।

इस प्रकार थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा थाना बरियारपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 03/2024 धारा 380 भादसं एवं बिहार राज्य के जनपद गोपालगंज के थाना विजयीपुर में मु0अ0सं0-56/2024 धारा 379 भादसं का सफल अनावरण किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:—

1. जतिन कुशवाहा पुत्र रामप्रताप कुशवाहा निवासी बेलही सुन्दर टोला थाना तरकुलवा जनपद देवरिया
 2. अरुण कुशवाहा पुत्र श्रीराम कुशवाहा निवासी बेलही सुन्दर टोला थाना तरकुलवा जनपद देवरिया
- बरामदगी का विवरण:—

1. 23 अदद मोबाइल फोन
2. 5500 रुपये नकद
3. एक अदद चोरी की मोटर साइकिल (UP 52 AU 9686)
4. एक अदद लोहे का कटर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:—

1. थानाध्यक्ष दिग्विजय सिंह थाना बरियारपुर जनपद देवरिया
2. व0उ0नि0 धर्मेन्द्र मिश्रा थाना बरियारपुर जनपद देवरिया
3. उ0नि0 सादिक परवेज प्रभारी स्वाट टीम जनपद देवरिया
4. मु0आ0 सुधीर मिश्र स्वाट टीम जनपद देवरिया
5. मु0आ0 धनन्जय श्रीवास्तव स्वाट टीम जनपद देवरिया
6. मु0आ0 मेराज खान स्वाट टीम जनपद देवरिया
7. का0 विशाल जायसवाल स्वाट टीम जनपद देवरिया
8. का0 रामाकान्त पाल स्वाट टीम जनपद देवरिया
9. का0 सुमंत यादव स्वाट टीम जनपद देवरिया
10. का0 राहुल कुमार यादव थाना बरियारपुर जनपद देवरिया
11. का0 आलोक चौहान थाना बरियारपुर जनपद देवरिया
12. का0 अजय यादव थाना बरियारपुर जनपद देवरिया
13. का0 आनंद यादव थाना बरियारपुर जनपद देवरिया



izsl foKflr fnukad 06-09-2023 tuin nsofj;kA

Fkkuk HkkVikj jkuh iqfyl }kjk 02 lk”kq rLdjksa dks fxj¶rkj djrs gq, 01 fidvi eSftd okgu ls 06 jkf”k xkS oa”kh; lk”kqvksa dks fd;k x;k cjkenA

vkt fnukad 06-09-2023 dks Fkkuk HkkVikj jkuh iqfyl okafNr vfHk;qDrksa dh fxj¶rkj o lafnX/k okgu ,oa O;fDr;ksa dh psfdax gsrq {ks= esa Hkze.k”khy Fks fd eq[kfcj dh lwpuk ij xzke numj mljk Vksyk ds ekl ls 01 fidvi eSftd okgu ls 06 jkf”k xkS oa”kh; lk”kqvksa dks cjken djrs gq, 02 vfHk;qDrksa 01-[kq”khZn iq= [kq”keqgEen 02-bfEr;kt valkjH iq= “kgcku valkjH fuoklh.k&lojsth Fkkuk&[kkeikj tuin nsofj;k dks fxj¶rkj djrs gq, Fkkuk HkkVikj jkuh ij vfHk;ksx iathd`r dj fu;ekuqlkj fof/kd dk;Zokgh dh tk jgh gSA

fxj¶rkj vfHk;qDrksa dk fooj.k%&

01-[kq”khZn iq= [kq”keqgEen fuoklh&lojsth Fkkuk&[kkeikj tuin nsofj;k
02-bfEr;kt valkjH iq= “kgcku valkjH fuoklh&lojsth Fkkuk&[kkeikj tuin nsofj;k

cjkenxh dk fooj.k%&

01-N% jkf”k xkS oa”kh; lk”kq
02-,d vnn fidvi eSftd okgu

fxj¶rkj djus okyh Vhe dk fooj.k%&

01-m0fu0 /kesZUnz dqekj Fkkuk HkkVikj jkuh nsofj;k]
02-dka0 fo”kky pkSgku Fkkuk HkkVikj jkuh nsofj;k]
03-dka0 fot; ;kno Fkkuk HkkVikj jkuh nsofj;k
04-dka0 vthr dqekj Fkkuk HkkVikj jkuh nsofj;k
05-dka0 jktsUnz izlkn Fkkuk HkkVikj jkuh nsofj;k

Isok esa]

Jheku vij iqfyl v/kh{kd]

tuin nsofj;kA

egksn;]

d`lk;k dk;kZy; iqfyl mi egkfujh{kd] xksj[kiqj ifj{ks=} xksj[kiqj ds i= la[k;k ,lvkbZlh&dkuwu
O;oLFkk&¼120½2024@2891 fnukad 06-02-2024 ds ek;/e ls Hkkjrh; fdlku ;wfu;u }kjk lks”ky ehfM;k
ds ek;/e ls “kknh ds dkMZ ij ^^,e,lih [kjhn xkjaVh ugh arks oksV ugha] xkao&xkao ,e,lih] gj ?kj
,e,lih^^ ok;jy fd;s tkus lEcU/kr dfri; rF;ksa ij vko”;d dk;Zokgh dj vk[;k miyC/k dj;k;s tkus fo’k;d gSA

mDr ds lEcU/k esa lknj voxr djuk gS fd tuin nsofj;k ls lks”ky ehfM;k ds ,DI] Qslcq
vkfn ij mijksDr dfri; rF; ok;jy gksuk ugha ik;k x;k gSA lks”ky ehfM;k ds fofHkUu lysVQkeZ ij lrdZ
n`fV j[kh tk jgh gSA

izHkkjh

lks”ky ehfM;k lsy

nsofj;kA

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.01.2024 जनपद देवरिया

थाना बनकटा पुलिस द्वारा चोरी की वाहन से 26 पेटी अवैध अग्रेंजी शराब करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। आज दिनांक 12.01.2024 को थाना बनकटा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम एकडंगा कुम्भाचक मार्ग पर स्थित अग्रेंजी शराब की दुकान के पास से एक महिन्द्रा स्कार्पियों वाहन न0 BR04PA8886 के साथ कुल 26 पेटी(225 लीटर लगभग) अवैध अग्रेंजी शराब बरामद करते हुए 01 अभियुक्त 1. बृजकिशोर शाह पुत्र स्व0 गुरु शाह निवासी ग्राम उसरी बुजुर्ग थाना एमएच नगर जनपद सिवान, बिहार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर बताया गया कि उपरोक्त वाहन को मेरे द्वारा 02 माह पूर्व जनपद बेगूसराय, बिहार से चुराया गया था और गाड़ी का नम्बर प्लेट बदलकर शराब तस्करी कर रहे थे जिसकी जांच पुलिस टीम द्वारा किये जाने पर पाया गया कि वाहन उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना नगर जनपद बेगूसराय, बिहार में कांड सं0-716/2023 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त, बरामद शराब व वाहन को कब्जे में लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:

1. बृजकिशोर शाह पुत्र स्व० गुरु शाह निवासी ग्राम उसरी बुजुर्ग थाना एमएच नगर जनपद सिवान, बिहार

बरामदगी का विवरण:

1. एक अदद महिन्द्रा स्कार्पियो वाहन न० BR04PA8886
2. कुल 26 पेटी ऑफिसर चॉइस प्रत्येक पाउच 180 ML कुल लगभग 225 लीटर अवैध शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:

1. उ०नि० श्री रिजवान अली थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
2. का० योगेन्द्र यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
3. का० सुनील सिंह थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
4. का० जितेन्द्र यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.02.2024 जनपद देवरिया

थाना बनकटा पुलिस द्वारा चोरी की दो मोटरसाइकिलों से 06 पेटी बंदी बबली देशी शराब के साथ 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

आज दिनांक 27.02.2024 को थाना बनकटा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर सोहनपुर बाजार के पास से दो चोरी की मोटरसाइकिल 1. टीवीएस अपाची वाहन नं- BR29K8172 सफेद रंग व 2. हीरो सुपर स्पेलण्डर वाहन नं- UP60AN9188 काला रंग के साथ 06 पेटी देशी शराब बंदी बबली टेट्रा पैक अवैध देशी शराब बरामद करते हुए 02 अभियुक्त 1. शमसेर उर्फ बुलेट पुत्र रमजान अली निवासी जीरादेई थाना जीरादेई जनपद सिवान, बिहार व 2. मुश्ताक अली उर्फ आफताब आलम पुत्र मो० भोला मियां निवासी सतवार थाना जीबीनगर तरवारा जनपद सिवान, बिहार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया गया कि हम दोनों आपस में मित्र हैं और उपरोक्त मोटरसाइकिलों को हम लोगों द्वारा कुछ दिन पूर्व बेल्थरा रोड, जनपद बलिया से चुराया गया था और गाड़ी का नम्बर प्लेट बदलकर शराब तस्करी कर रहे थे जिसकी जांच पुलिस टीम द्वारा किये जाने पर पाया गया कि उपरोक्त दोनों वाहनों के सम्बन्ध में थाना उभावं जनपद बलिया में मु०अ०सं० 68/2024 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत है पुलिस टीम बरामद शराब व वाहनों को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। 1048/23 धारा 379 भादवि० पंजीकृत है *गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

1. शमसेर उर्फ बुलेट पुत्र रमजान अली निवासी जीरादेई थाना जीरादेई जनपद सिवान, बिहार
 2. मुश्ताक अली उर्फ आफताब आलम पुत्र मो० भोला मियां निवासी सतवार थाना जीबीनगर तरवारा सिवान, बिहार
- *बरामदगी का विवरण:*

1. एक अदद टीवीएस अपाची वाहन नं- BR29K8172
2. एक अदद हीरो सुपर स्पेलण्डर वाहन नं- UP60AN9188
3. 06 पेटी देशी शराब बंदी बबली टेट्रा पैक

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:

1. व०उ०नि० जय प्रकाश दुबे थाना बनकटा जनपद देवरिया
2. उ०नि० वीरेन्द्र कुमार थाना बनकटा जनपद देवरिया
3. हे०का० इब्रार अहमद थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
4. का० सुनील सिंह थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
5. का० योगेन्द्र यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.02.2024 जनपद देवरिया

थाना बनकटा पुलिस द्वारा 03 पेटी बंटी बबली देशी शराब के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

आज दिनांक 27.02.2024 को थाना बनकटा पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान सोहनपुर बाजार के एकडंगा मोड के पास से एक काले रंग की मोटरसाइकिल स्पेलंडर BR29AW7953 व 03 पेटी देशी शराब बंटी बबली टेट्रा पैक अवैध देशी शराब बरामद करते हुए 02 अभियुक्त क्रमशः 1.अब्दुल करीम पुत्र जैनुद्दीन निवासी जीरादेई जामापुर थाना जीरादेई जिला सिवान बिहार 2. अवधेश पाण्डेय पुत्र रामकोल पाण्डेय निवासी धमौली थाना लार देवरिया को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद शराब व वाहन को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

- 1.अब्दुल करीम पुत्र जैनुद्दीन निवासी जीरादेई जामापुर थाना जीरादेई जिला सिवान बिहार
2. अवधेश पाण्डेय पुत्र रामकोल पाण्डेय निवासी धमौली थाना लार देवरिया

बरामदगी का विवरण:

- 1.एक अदद स्पेलंडर BR29AW7953
2. 03 पेटी देशी शराब बंटी बबली टेट्रा

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:

1. उ0नि0 शेषनाथ कनौजिया थाना बनकटा जनपद देवरिया
- 2.हे0का0 प्रमाद प्रजापति थाना बनकटा जनपद देवरिया
- 3.हे0का0 राणा प्रताप सिंह थाना बनकटा जनपद देवरिया।
- 4.का0 किसलय कनौजिया थाना बनकटा जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02.03.2024 जनपद देवरिया

थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा विदेश भेजने के नाम पर 10 लोगों से फर्जीवाड़ा करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

विदेश भेजने के नाम पर 10 लोगों से 3,53,000 रू0 तथा फर्जी विजा व एयरलाइन्स टिकट दे देने के सम्बन्ध में वादी प्रमोद दूबे पुत्र धनवन्त दूबे साकिन चकरावा धूस थाना बरियारपुर जिला देवरिया के लिखित तहरीर के आधार पर थाना बरियारपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 168/2022 धारा 419/420/468/471 भादवि में अभियुक्त हकीकुजाम खुबुद्दीन उर्फ बाबू भाई पुत्र अज्ञात निवासी कुशीनगर व हालमुकाम रामबाई अम्बेडकर नगर स्टेशन रोड अपोजिट उल्लास नगर थाना थाणे महाराष्ट्र के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना प्रचलित है मुकदमा उपरोक्त में फरार अभियुक्त हकीकुजाम खुबुद्दीन उर्फ बाबू भाई को आज दिनांक 02.03.2024 को मुखबीर की सूचना पर धुसवा मोड़ से थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- हकीकुजाम खुबुद्दीन उर्फ बाबू भाई पुत्र अज्ञात निवासी कुशीनगर व हालमुकाम रामबाई अम्बेडकर नगर स्टेशन रोड अपोजिट उल्लास नगर थाना थाणे महाराष्ट्र

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष दिग्विजय सिंह थाना बरियारपुर देवरिया
2. उ0नि0 विवेक यादव थाना बरियारपुर देवरिया
3. का0 अमर सिंह थाना बरियारपुर देवरिया
4. का0 राज कुमार यादव थाना बरियारपुर देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02.03.2024 जनपद देवरिया

थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म के आरोप में 02 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना रुद्रपुर पर दिनांक 01.02.2024 को मु0अ0सं0- 70/2024 धारा- 376 डी,ए, 506 भादवि एवं 5जी/6 पाक्सो एक्ट तथा 3(2)वी एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही है। अभियोग में नामजद अभियुक्त क्रमशः 1. शिवम सिंह पुत्र वीरसेन सिंह निवासी लक्ष्मीपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया 2. आशीष निषाद पुत्र भगवान निषाद निवासी लक्ष्मीपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.03.2024 को मुखबीर की सूचना पर रामलक्षन चौराहे से गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. शिवम सिंह पुत्र वीरसेन सिंह निवासी लक्ष्मीपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया
2. आशीष निषाद पुत्र भगवान निषाद निवासी लक्ष्मीपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 लालजी यादव थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया
2. का0 अजय सिंह यादव थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया
3. का0 शैलेन्द्र सिंह यादव थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया
4. का0 बिहारी लाल यादव थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.03.2024 जनपद देवरिया

पुलिस अधीक्षक देवरिया की अध्यक्षता में की गयी अपराध गोष्ठी।

आज दिनांक 03.03.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा पुलिस लाइन देवरिया में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के प्रारम्भ होने से पूर्व जनपद के थानों, कार्यालय एवं शाखाओं से आये पुलिस कर्मियों का सम्मेलन किया गया। जिसमें पूर्व में कर्मचारियों द्वारा उठायी गयी समस्याओं के निराकरण की जानकारी ली गयी तो पाया गया कि पूर्व में प्राप्त समस्त मामलों का निराकरण कर लिया गया है। तत्पश्चात अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था हेतु अपराध समीक्षा की गयी। जिसमें सर्वप्रथम अवैध कच्ची शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन, बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु समस्त थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत कार्यवाही किये जाने, चोरी व लूट की घटनाओं की रोकथाम हेतु रात्रि गस्त व क्षेत्र में भ्रमण करने, लंबित जनशिकायत एवं आईजीआरएस प्रार्थना पत्रों की गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए गये। बैंकों पर विशेष सतर्कता बरतने, संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग करने तथा प्रतिदिन बैंक ड्यूटी में जाने वाले कर्मचारियों को ड्यूटी के सम्बन्ध में ब्रीफ करने एवं सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान दृश्यता, गतिशीलता, सजगता एवं सतर्कता बनाये रखने हेतु विशेष निर्देश दिये गये। साम्प्रदायिक भावना भड़काने वालों/असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने व छोटी से छोटी बातों का संज्ञान लेने, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के साथ साथ बीपीओ द्वारा बीपीओ व्हाट्सएप ग्रुप को अपडेट कर उनके साथ नियमित मीटिंग कर उनका सहयोग लेने का निर्देश दिया गया। 06 माह से लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण हेतु समस्त थाना प्रभारियों को निर्देश दिये गये तथा वांछित अभियुक्तों, इनामियां, जिलाबदर, एनबीडब्ल्यू के विरुद्ध अभियान चलाकर गिरफ्तारी करने व शांतिर अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा, गैंगेस्टर आदि की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने व अतिक्रमण हटवाने के सम्बन्ध में समस्त थाना प्रभारी सहित यातायात प्रभारी को निर्देशित किया गया। बालिकाओं एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी कार्यवाही करने, एंटी रोमियो टीम द्वारा अभियान को निरंतर जारी रखने, वाहन चेकिंग के दौरान आम जनता से अच्छा बर्ताव करने हेतु निर्देशित किया साथ ही साथ आम जनमानस में सुरक्षा की भावना को बढ़ाने हेतु पैदल गश्त को और अधिक प्रभावी बनाए जाने पर जोर दिया गया। समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया कि बीट पुलिस अधिकारी से उनके पास लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्रों के संबन्ध में पूँछ-ताँछ करते हुए प्रार्थना पत्रों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराएं तथा महिला आरक्षियों को महिला हेल्प डेस्क पर आने वाले आगन्तुकों से अच्छा व्यवहार करने एवं मधुर भाषा का प्रयोग किये जाने के संबन्ध में निर्देश दिये गये। बरामदगी हेतु शेष अपहृताओं की समीक्षा करते हुए उनकी बरामदगी शीघ्र करने के संबन्ध में उचित दिशा निर्देश दिये गये। भूमि विवाद से सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त प्रार्थना-पत्रों में थाना समाधान दिवस में संदर्भित करते हुए राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच कर निस्तारण कराये। थानों पर लंबित मालमुकदमातों वाहनों/मालों के निस्तारण हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया। आगामी त्यौहार महाशिवरात्रि दिनांक 08.03.2024 के दृष्टिगत प्रत्येक थाना प्रभारी त्यौहार रजिस्टर का अवलोकन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करें तथा प्रत्येक प्वाइंट पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी संबन्धित क्षेत्राधिकारीगण के पर्यवेक्षण में लगाकर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। आगामी त्यौहार के दृष्टिगत प्रत्येक क्षेत्राधिकारी व थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गस्त करते हुए ऑपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत लगवाए गये सीसीटीवी कैमरों की समीक्षा भी करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया उत्तरी श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी, अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम, क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी, क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री दीपक शुक्ला, क्षेत्राधिकारी रूद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी भाटपार रानी श्री शिव प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी बरहज श्री आदित्य कुमार

गौतम, प्रतिसार निरीक्षक श्री विजय राज सिंह, प्रभारी आंकिक श्री सुनील श्रीवास्तव, प्रभारी सोशल मीडिया सेल श्री अरविन्द कुमार यादव आदि उपस्थित रहे।

izsl foKflr fnukad 03-03-2024 tuin nsfj;kA

Fkkuk dksrokyh iqfyl }kjk gR;k dh ?kVuk dk fd;k x;k IQy vukoj.k] 02 cky vipkjh lfgr dqy 03

vfHk;qDr fxj¶rkjA

fnukad 29-02-2024 dks Fkkuk dksrokyh {ks=kUrxZr xzke lksUnk ds rky esa ,d 08 o'khZ; yM+dh dk "ko cjen gksus dh lwpuk ij LFkkuh; iqfyl }kjk oknh Hkjr ;kno iq= czānsō ;kno lkfdu cjok xksjLFkku Fkkuk dksrokyh tuin nsfj;k dh rgjh ds vk/kkj ij Fkkuk dksrokyh esa eq0v0la0 116@2024 èkkjk&302 Hkknfo vKkr ds fo:) iathd`r djrs gq, foospuk dh tk jgh gSA vkt fnukad 03-03-2024 dks Fkkuk dksrokyh iqfyl Vhe }kjk eq[kfcj dh lwpuk ij lksuw?kkV ds ikI Is 02 cky vipkjh lfgr 03 vfHk;qDrksa Øe"K% 1- jksfgr pkSgku iq= Lo0 jkeuxhuk pkSgku fuoklh fryÃ csyok Fkkuk dksrokyh tuin nsfj;k ,oa 02 cky vipkjh dks fxj¶rkj djrs gq, fu;ekuqlkj dk;Zokgh dh tk jgh gSA iqfyl Vhe }kjk vfHk;qDr jksfgr pkSgku mijksDr Is iwN&rkN ds Øe esa crk;k x;k fd ge ykxs fnukad 28-02-2024 dks lksUnk rky esa cdjh pjkus x;s Fks tgka ij ge ykxs eksckby Qksu esa v"yhy ohfM;ks ns[k jgs Fks fd e`rdk us vpkud ihNs Is ns[k fy;k vkSj dgus yxh fd ge tk dj ?kj crk,axs fd rpe ykxs ,slh ohfM;ks ns[krs gksA ge ykxsksa }kjk dkQh le>k;k x;k fdUrq ugha ekuh rks ge ykxsksa }kjk mls csj f[kykus ds cgkus ys x;s vkSj ogha feV~Vh dh HkhV ds fdukjs mlh ds nqiV~Vs Is mldk xyk nckdj gR;k dj fn;s FksA

fxj¶rkj djus okyh Vhe&

- 1- izHkkjh fujh{k d osn çdk'k 'kekZ Fkkuk dksrokyh nsfj;k
- 2- m0fu0 fjiou Çlg Fkkuk dksrokyh tuin nsfj;k
- 3- dk0 mek'kadj ;kno Fkkuk dksrokyh tuin nsfj;k
- 4- dk0 va'kqiky Fkkuk dksrokyh tuin nsfj;k
- 5- e0dk0 usgk Çlg Fkkuk dksrokyh tuin nsfj;k
- 6- dk0eqjyh eksgu Fkkuk dksrokyh tuin nsfj;k
- 7- dk0jtuh'k dqekj Fkkuk dksrokyh tuin nsfj;k
- 8- dk0fot; dqekj Fkkuk dksrokyh tuin nsfj;k
- 9- dk0vt; ;kno Fkkuk dksrokyh tuin nsfj;k

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.03.2024 जनपद देवरिया

थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा चोरी की बाइक के साथ 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देवरिया द्वारा अपराधो की रोकथाम एवं गंभीर धाराओ में बाछित अपराधियो एवं वारन्टीयो की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक महोदय देवरिया व क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया के निर्देशन में गठित टीम द्वारा 02 अभियुक्तगण व एक बाल अपचारी तथा 01 अदद लूट में प्रयोग हुई मोटरसाईकिलUP52BY4392व लूटी गयी एक अदद मोबाईल रेडमी नोट 12 बरामदगी के साथ गिरफ्तार जिसमे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 62/2024 धारा **धारा-392/506/411/34भा0द0वि0**बनाम 01. अंकित कुमार कुशवाहा पुत्र दुर्गेश कुमार कुशवाहा निवासी भिशम्भरपुर, कुकुरघाटी थाना खामपार जनपद देवरिया उम्र करीब 20 वर्ष02. रंजीत कुमार राजभर पुत्र श्री राजु राजभर निवासी कुकुर घाटी चौराहा थाना खामपार जनपद देवरिया उम्र 19 वर्ष 03. बाल अपचारी XXXX उम्र 16 वर्षपंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:- हकीकुजाम खुबुद्दीन उर्फ बाबू भाई पुत्र अज्ञात निवासी कुशीनगर व हालमुकाम रामबाई अम्बेडकर नगर स्टेशन रोड अपोजिट उल्लास नगर थाना थाणे महाराष्ट्र

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष दिग्विजय सिंह थाना बरियारपुर देवरिया
2. उ0नि0 विवेक यादव थाना बरियारपुर देवरिया
3. का0 अमर सिंह थाना बरियारपुर देवरिया
4. का0 राज कुमार यादव थाना बरियारपुर देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.03.2024 जनपद देवरिया ।

मिशन शक्ति अभियान फेज-4.0 के तहत महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को उनके अधिकारों, सरकारी योजनाओं एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों सहित साइबर अपराधों के बारे में किया जा रहा जागरूक

मिशन शक्ति अभियान के चतुर्थ चरण के तहत महिला सशक्तिकरण जागरूकता हेतु जनपद देवरिया में उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में महिलाओं/बालिकाओं/ छात्राओं को नारी सुरक्षा, नारी स्वावलम्बन एवं नारी सम्मान की दिशा में जनपद की महिला बीट पुलिसकर्मियों द्वारा अपने-अपने बीट क्षेत्र/ग्राम पंचायत/वार्ड/मोहल्लों की महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों तथा- वूमन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच-बैड टच के संबन्ध में व घरेलू हिंसा के बारे में जागरूक करते हुए वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी अन्जान व्यक्ति से अपना खाता संख्या, एटीएम पिन, सीवीवी नम्बर, एटीएम कार्ड नम्बर, पासवर्ड एवं मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के जरिए प्राप्त ओटीपी कदापि शेयर न करें। यदि किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वह तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करायें, साथ ही साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं यथा- निराश्रित विधवा पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इत्यादि योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए पम्पलेट वितरित किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.03.2024 जनपद देवरिया

जनपद देवरिया के समस्त थानों पर 'थाना समाधान दिवस' का किया गया आयोजन

जिलाधिकारी देवरिया व पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा थाना बरहज में सुनी गयी समस्याएं

आज दिनांक 09.03.2024 को जनपद देवरिया के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समस्त थानों पर राजस्व के अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहकर उनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया एवं संयुक्त रूप से राजस्व व पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर कई समस्याओं का निस्तारण भी कराया गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह व पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा थाना बरहज में जनसमस्याओं को सुना गया जिसके क्रम में थाना बरहज पर कुल 04 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें 01 प्रार्थना पत्र का निस्तारण कराया गया शेष प्रार्थना पत्रों में राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर उनके निस्तारण हेतु संबन्धित को उचित दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी द्वारा थाना बघौचघाट में जनसमस्याओं को सुना गया जिसके क्रम में थाना बघौचघाट पर कुल 05 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें 02 प्रार्थना पत्र का निस्तारण कराया गया शेष प्रार्थना पत्रों में राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर उनके निस्तारण हेतु संबन्धित को उचित दिशा निर्देश दिये गये। इस अवसर पर पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के संबन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर कुल 86 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें 38 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.03.2024 जनपद देवरिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी द्वारा पोलिंग बुथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 09.03.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत थाना भाटपाररानी क्षेत्रान्तर्गत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड बल के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, बिजली-पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिव प्रताप सिंह व प्रभारी निरीक्षक भाटपाररानी श्री दिग्विजय पाण्डेय के साथ-साथ अन्य पुलिस बल मौजूद रहा।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.03.2024 जनपद देवरिया।

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जिलाधिकारी देवरिया व पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा अर्द्धसैनिक बल के साथ बरहज थाना क्षेत्र में किया गया पैदल गस्त।

आज दिनांक 08.03.2024 को जनपद देवरिया में जिलाअर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ द्वारा थाना बरहज के संवेदनशील क्षेत्रों में सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस टीम के साथ पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भिक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया। पैदल गस्त के क्रम में थाना खुखुन्दू क्षेत्रान्तर्गत खुखुन्दू व मुसैला एवं थाना लार क्षेत्र में कस्बा लार, मेहरौना, पिण्डी, मटियरा जगदीश गांव में पैदल गस्त किया गया।

इस अवसर पर कम्पनी कमाण्डर सीआईएसएफ नीलमणि मिश्रा प्रभारी निरीक्षक खुखुन्दू एवं प्रभारी निरीक्षक लार आदि पुलिस बल मौजूद रहा।

çsl foKflr fnukad 08-03-2024 tuin nsofj;kA

vkxkeh R;kSgkj o yksdlHkk lkekU; fuokZpu&2024 ds -f"Vxr ftykfèdkjh nsofj;k o iqfyl vèkh{kd nsofj;k }kjk v)ZISfud cy ds lKfk cjgt Fkkuk {ks= esa fd;k x;k iSny xLrA

vkt fnukad 08-03-2024 dks tuin nsofj;k esa ftykf/kdkjh nsofj;k Jh v[k.M izrki flag ,oa iqfyl v/kh{kd nsofj;k Jh ladYi "kekZ }kjk v)ZISfud cy lhvkÃ,l,Q ds lKfk yksdlHkk lkekU; fuokZpu&2024 ,oa vkxkeh R;kSgkj ds n`fVxr Fkkuk cjgt {ks=kUrxZr cjgt dLck esa lEcfUèkr çHkkjh fujh{kd e; iqfyl Vhe ds lKfk iSny xLr djrs gq, vke tu ekul esa lqj{kk dh Hkkouk mRiUu dj;k;h x;h ,oa fuÆHkd gksdj vius ernku ds vfèdkj dk ç;ksx fd;s tkus gsrq tkx:d fd;k x;kA blh Øe esa v)ZISfud cy }kjk lfdZy cjgt {ks=kUrxZr Fkkuk ebZy esa xzke cjBk cktkj] ebZy cktkj] Hkkxyiqj dLck] dq.MkSyh] ykj jksM dLck Fkkuk Hkyqvuh esa dLck Hkyqvuh] xM+sj cktkj] ckjhij Fkkuk lqjkSyh esa drjkjh cktkj] ljkSjk] mljk] f>:vk] lqjkSyh] iSdkSyh idM+h cktkj esa lEcfU/kr izHkkjh fujh{kd@Fkkuk/;{k e; iqfyl Vhe ds lKfk iSny xLr fd;k x;kA

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.03.2024 जनपद देवरिया ।

मिशन शक्ति अभियान फेज-4 के तहत महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को उनके अधिकारों सरकारी योजनाओं एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों सहित साइबर अपराधों के बारे में किया जा रहा जागरूक

मिशन शक्ति अभियान के चतुर्थ चरण के तहत महिला सशक्तिकरण जागरूकता हेतु जनपद देवरिया में उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में महिलाओं/बालिकाओं/ छात्राओं को नारी सुरक्षा नारी स्वावलम्बन एवं नारी सम्मान की दिशा में थाना बनकटा की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी माण्डवी दुबे द्वारा बंजरिया बाजार में, इसी क्रम में थाना श्रीरामपुर की शक्ति दीदी महिला आरक्षी संध्या यादव द्वारा रतसिया मोड़ पर, इसी क्रम में थाना गौरीबाजार की शक्ति दीदी महिला आरक्षी सारिका यादव द्वारा बखरा व सिरजम में व थाना मईल की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी मीना यादव द्वारा बरठा चौराहा पर तथा थाना कोतवाली की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी ललिता गौतम व महिला पीसी विनीता दूबे द्वारा रेलवे स्टेशन सदर कोतवाली की महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों तथा- वूमेन पॉवर लाइन-1090 पुलिस आपातकालीन सेवा-112 एम्बुलेंस सेवा-108 चाइल्ड लाइन-1098 स्वास्थ्य सेवा-102 महिला हेल्पलाइन-181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच बैड टच के संबन्ध में व घरेलू हिंसा के बारे में जागरूक करते हुए वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी अन्जान व्यक्ति से अपना खाता संख्या एटीएम पिन सीवीवी नम्बर एटीएम कार्ड नम्बर पासवर्ड एवं मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के जरिए प्राप्त ओटीपी कदापि शेयर न करें। यदि किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वह तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराये साथ ही साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं यथा- निराश्रित विधवा पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इत्यादि योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए पम्पलेट वितरित किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.03.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 11.03.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की 01 कम्पनी द्वारा भाटपाररानी सर्किल अन्तर्गत थाना भाटपाररानी, भटनी व खामपार के संवेदनशील क्षेत्रों में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम व संबंधित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय पुलिस टीम के साथ पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भिक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया। पैदल गस्त के क्रम में थाना भाटपाररानी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कुईचवर, बनकटा अमेठिया, जगहथा एवं कस्बा भाटपाररानी, थाना भटनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम एकलाम, कुरमौटा घुरी, घाटी, हनुमान तिराहा, बासघाटी, जलपा माता मंदिर, गांधी चौक, रामलीला मैदान, कस्बा भटनी एवं थाना खामपार क्षेत्रान्तर्गत भिंगारी बाजार, कुकुरघाटी, बंगरा बाजार खामपार बाजार क्षेत्रों में पैदल गस्त किया गया।

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक श्री भीम कुमार गौतम कम्पनी कमाण्डर सीआईएसएफ नीलमणि मिश्रा प्रभारी निरीक्षक भाटपाररानी दिलीप पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक भटनी उदयशंकर कुशवाहा एवं थानाध्यक्ष खामपार महेन्द्र चतुर्वेदी आदि पुलिस बल मौजूद रहा।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.03.2024 जनपद देवरिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बुथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 11.03.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत थाना भाटपाररानी क्षेत्रान्तर्गत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड बल के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, बिजली-पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिव प्रताप सिंह व प्रभारी निरीक्षक भाटपाररानी श्री दिग्विजय पाण्डेय के साथ-साथ अन्य पुलिस बल मौजूद रहा।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.03.2024 जनपद देवरिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा पोलिंग बुथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 11.03.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय रेड्डी एवं क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवास्तव तथा जनपद देवरिया के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत पुलिस टीम द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बुथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.03.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 12.03.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा भाटपाररानी सर्किल अन्तर्गत थाना श्रीरामपुर व थाना बनकटा के संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय पुलिस टीम के साथ पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भिक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया। पैदल गस्त के क्रम में थाना श्रीरामपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रामपुर प्रतापपुर, चित्रसेन बनकटा, सिकटिया, पड़री, मिश्रौली, हरeram चौराहा, बंकुल, भवानी छापर, हाटा तथा चकिया कोठी इसी क्रम में थाना बनकटा क्षेत्रान्तर्गत अकटही बाजार, सोहनपुर बाजार, फफेलिया बाजार, रामपुर बुजुर्ग, रतसिया कोठी, अहिरौली बघेल, ब्लाक बनकटा व बंजरिया(बनकटा बाजार) क्षेत्रों में पैदल गस्त किया गया।

इस अवसर पर कम्पनी कमाण्डर सीआईएसएफ श्री नीलमणि मिश्रा प्रभारी निरीक्षक श्रीरामपुर श्री कल्याण सिंह सागर तथा थानाध्यक्ष बनकटा श्री अमित कुमार राय सहित थाने के समस्त पुलिस बल मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.03.2024 जनपद देवरिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बुथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 12.03.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम, क्षेत्राधिकारी बरहज श्री आदित्य कुमार गौतम एवं प्रभारी निरीक्षक भलुअनी श्रीमती अर्चना सिंह द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत थाना भलुअनी क्षेत्रान्तर्गत तथा इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी व थानाध्यक्ष श्री रामपुर कारखाना श्री नन्दा प्रसाद द्वारा थाना रामपुर कारखाना क्षेत्रान्तर्गत तथा जनपद देवरिया के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत पुलिस टीम द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड बल के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, बिजली-पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।

अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी द्वारा थाना महुआडीह क्षेत्रान्तर्गत बाह्य जनपद प्राप्त पुलिस बल, होमगार्ड बल व सीएपीएफ बल के ठहरने वाले चिन्हित विद्यालयों का में साफ-सफाई, बिजली-पानी व शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13.03.2024 जनपद देवरिया ।

मिशन शक्ति अभियान फेज-4 के तहत महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को उनके अधिकारों सरकारी योजनाओं एवं विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों सहित साइबर अपराधों के बारे में किया जा रहा जागरूक

मिशन शक्ति अभियान के चतुर्थ चरण के तहत महिला सशक्तिकरण जागरूकता हेतु जनपद देवरिया में उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा सम्मान व स्वावलम्बन हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान में महिलाओं/बालिकाओं/ छात्राओं को नारी सुरक्षा नारी स्वावलम्बन एवं नारी सम्मान की दिशा में थाना कोतवाली की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी ललिता गौतम व महिला पीसी विनीता दूबे द्वारा देवरिया पार्क कोतवाली में, इसी क्रम में थाना रुद्रपुर की शक्ति दीदी महिला आरक्षी कंचन यादव द्वारा उद्देश्य पब्लिक स्कूल में, इसी क्रम में थाना खामपार की शक्ति दीदी महिला आरक्षी ममता यादव द्वारा भींगारी बाजार व बंगरा बाजार में तथा थाना एकौना की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी खुशबू द्वारा एकौना थाना क्षेत्र की महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं को महिला सुरक्षा संबंधी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों तथा- वूमेन पॉवर लाइन-1090 पुलिस आपातकालीन सेवा-112 एम्बुलेंस सेवा-108 चाइल्ड लाइन-1098 स्वास्थ्य सेवा-102 महिला हेल्पलाइन-181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच बैड टच के संबन्ध में व घरेलू हिंसा के बारे में जागरूक करते हुए वर्तमान समय में बढ़ रहे साइबर अपराध के सम्बन्ध में जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी अन्जान व्यक्ति से अपना खाता संख्या एटीएम पिन सीवीवी नम्बर एटीएम कार्ड नम्बर पासवर्ड एवं मोबाइल नम्बर पर एसएमएस के जरिए प्राप्त ओटीपी कदापि शेयर न करें। यदि किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है तो वह तत्काल साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करायें साथ ही साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं यथा- निराश्रित विधवा पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना इत्यादि योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए पम्पलेट वितरित किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13.03.2024 जनपद देवरिया

थाना कोतवाली सलेमपुर पुलिस 25 हजार रुपए का इनामिया वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

थाना सलेमपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 276/2023 धारा 3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त दुर्गेश साहनी पुत्र स्व0 महेश साहनी निवासी डोल छपरा थाना सलेमपुर जनपद देवरिया जो मुकदमा पंजीकृत होने के दिनांक से ही फरार चल रहा था । श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद देवरिया द्वारा दुर्गेश साहनी उपरोक्त पर 25000/- रुपये धनाराशि का (इनामिया) पुरस्कार घोषित कर दिया गया था । जिसे दिनांक 13.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना सलेमपुर पुलिस टीम द्वारा डोल छपरा पक्का पुल के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 276/2023 धारा 3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
2. मु0अ0सं0 02/2022 धारा 3(1) युपी गैंगेस्टर एक्ट थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
3. मु0अ0सं0 156/2021 धारा 3/5, ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
4. मु0अ0सं0 170/2023 धारा 3/5, ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक उमेश वाजपेयी थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
2. आ0 आशुतोष यादव थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
3. आ0 कृष्णलला जायसवाल थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
4. आ0 सोनू सिंह थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
5. आ0 राहुल सिंह थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.03.2024 जनपद देवरिया।

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 14.03.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा नगर सर्किल के अन्तर्गत थाना रामपुर कारखाना व थाना बघौचघाट के संवेदनशील क्षेत्रों में थानाध्यक्ष मय पुलिस टीम के साथ पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भिक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया। पैदल गस्त के क्रम में थाना रामपुर कारखाना क्षेत्रान्तर्गत बैजनाथपुर, बरवामीर, रामपुर कस्बा, कोटवा व डुमरी में इसी क्रम में थाना बघौचघाट क्षेत्रान्तर्गत मलसी, बघौचघाट, पकहाँ, के0डी0 चौराहा, विसुनपुरा, रामपुर, महुआबारी, जट्टूखोरी आदी क्षेत्रों में पैदल गस्त किया गया।

इस अवसर पर कम्पनी कमाण्डर सीआईएसएफ श्री नीलमणि मिश्रा थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना उ0नि0 श्री नन्दा प्रसाद व थानाध्यक्ष बघौचघाट उ0नि0 श्री मृत्युंजय राय सहित थानों के समस्त पुलिस बल मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16.03.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 16.03.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा रुद्रपुर सर्किल के अन्तर्गत थाना रुद्रपुर व थाना एकौना के संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय पुलिस टीम के साथ पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भिक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया। पैदल गस्त के क्रम में थाना रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत फतेहपुर, रुद्रपुर कस्बा, खोरमा कन्हौली, रामपखन, लक्ष्मीपुर, निबही, गाजीपुर भैंसही, बेलकुण्डा, भभौली व छपौली में इसी क्रम में थाना एकौना क्षेत्रान्तर्गत नरायनपुर, पचलड़ी, बेलवा दुबौली, नगवाखास, लालपुर परसिया व सरांव खुर्द आदि क्षेत्रों में पैदल गस्त किया गया।

इस अवसर पर कम्पनी कमाण्डर सीआईएसएफ श्री नीलमणि मिश्रा थानाध्यक्ष रुद्रपुर श्री रतन कुमार पाण्डेय व प्रभारी निरीक्षक एकौना श्री सुनील कुमार सहित थाने के समस्त पुलिस बल मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.03.2024 जनपद देवरिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा पोलिंग बुथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 14.03.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिव प्रताप सिंह तथा जनपद देवरिया के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत पुलिस टीम द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बुथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।

1 Celebrating World Consumer Rights Day on March 15th! It's not just about buying, it's about knowing your rights and making informed choices. Let's shine a light on consumer empowerment, fair trade, and ethical business practices. 🙌

#Mission_GraHAQ

2 Let's SCAN the truth

On World Consumer Rights Day, let's celebrate the magic ✨ of the barcode! It's not just a bunch of lines; it's a window into transparency, empowering us to make informed choices about the products we buy.

#Mission_GraHAQ

3 From every CORNER to every CART This World Consumer Rights Day, let's educate ourselves and others about our rights as consumers and advocate for fair practices in the marketplace in every corner of the world.

#Mission_GraHAQ

4 On this World Consumer Rights Day, let's remember: whether you're a big spender or a thrifty shopper, your rights are equally important. Let's champion equality in every purchase!

#Mission_GraHAQ

5 Shopping smarter, not harder! 🤖

This World Consumer Rights Day, let's delve into how AI can assist you. But remember 🤖, do your research first and be aware of the potential risks associated with AI.

#Mission_GraHAQ

6 🤖 Don't let scams slip through the cracks!

On this World Consumer Rights Day, let's make it a habit to ask for a bill. It's a simple yet effective way to combat fraud and protect yourself. Stay informed, stay safe! 🤖

#Mission_GraHAQ

7 Let's reaffirm our commitment to vigilance this World Consumer Rights Day. Stay alert to safeguard yourself and your community from deceptive schemes. Your proactive awareness is pivotal!

#Mission_GraHAQ

8 Shopping online?

Don't let scammers spoil the experience! On this World Consumer Rights Day, let's empower consumers with knowledge. Check for secure websites, read reviews, and be cautious of deals that seem too good to be true.

#Mission_GraHAQ

9 Your rights matter! 🤔

As guardians of justice, we urge everyone to exercise caution amidst the sea of options. On this World Consumer Rights Day let's champion consumer rights and make conscientious choices. 🤔🤔"

#Mission_GraHAQ

10 "Don't get 'GOLAMAAL-ED' by shady sellers! 🤔

This World Consumer Rights Day, let's raise awareness and empower ourselves with knowledge about consumer rights. 🤔 Educate yourself to make informed choices and protect against deception.

#Mission_GraHAQ

11 "Happy World Consumer RightsDay! Know your rights: safety, information, choice, and more. Let's empower consumers globally! 🤔 🙌

#Mission_GraHAQ

13 Phishing scams are the new 'school' of trickery!

Don't take the bait hook, line, and sinker. Be a smart fish in the cyber sea, and don't let sketchy emails and links 'lure' your personal info away.

#Mission_GraHAQ

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 17.03.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्योहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी द्वारा अर्द्धसैनिक बल के साथ थाना लार व थाना सलेमपुर क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 17.03.2024 को जनपद देवरिया में पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ के साथ लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं आगामी त्योहार के दृष्टिगत थाना लार क्षेत्रान्तर्गत चुरिया, मेहरौना, कस्बा लार, पिंडी, रेवली व सहजोर चौराहा में क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री दीपक शुक्ल तथा सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस टीम के साथ पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भिक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया। इसी क्रम में अर्द्धसैनिक बल द्वारा सर्किल सलेमपुर क्षेत्रान्तर्गत थाना सलेमपुर में ग्राम मधवापुर, कस्बा मझौलीराज तथा कस्बा सलेमपुर में सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस टीम के साथ पैदल गस्त किया गया।

दिनांक 05.02.2024 को थाना लार क्षेत्रांगत चुरिया गांव में एक महिला का शव बरामद हुआ था जिसके संबंध में पंजीकृत अभियोग का अनावरण करते हुए मृतका के पति को गिरफ्तार कर कार्यवाही की जा रही है। पुछताछ के क्रम में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि अपने ससुर से अपनी बच्ची के नाम पर चार लाख रुपए की मांग करता था, इसी विवाद को लेकर अपनी छः माह की बच्ची एवं पत्नी की हत्या कर दी गयी थी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18.03.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्योहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी द्वारा अर्द्धसैनिक बल के साथ थाना लार व थाना सलेमपुर क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 18.03.2024 को जनपद देवरिया में पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ के साथ लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 एवं आगामी त्योहार के दृष्टिगत थाना खुखुन्दू क्षेत्रान्तर्गत खुखुन्दू, मुसैला, पड़री बाजार व मगहरा में प्रभारी निरीक्षक श्री दिलीप कुमार सिंह मय पुलिस टीम के साथ पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भिक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18.03.2024 जनपद देवरिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा पोलिंग बूथों का किया गया स्थलीय/भौतिक निरीक्षण।

आज दिनांक 18.03.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री दीपक शुक्ल द्वारा थाना लार क्षेत्रान्तर्गत, क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवास्तव द्वारा थाना रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत तथा जनपद देवरिया के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल व होमगार्ड के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, बिजली-पानी व शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18.03.2024 जनपद देवरिया।

जिलाधिकारी देवरिया व पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण तथा स्थानीय पुलिस के साथ किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 18.03.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह व पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मद्देनजर जनपद के थाना बघौचघाट व थाना तरकुलवा क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण कर स्थानीय पुलिस के साथ पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भिक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया। इस दौरान उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी श्री संजय कुमार रेड्डी, सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18.03.2024 जनपद देवरिया।

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद के समस्त थानों पर पीस कमेटी मीटिंग का किया गया आयोजना

थाना क्षेत्र के गणमान्य/संभ्रांत व्यक्तियों व धर्मगुरुओं से त्योहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु किया गया अपील

आज दिनांक 18.03.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बरहज श्री आदित्य कुमार गौतम एवं उपजिलाधिकारी बरहज द्वारा थाना बरहज तथा जनपद के समस्त थानों पर सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के सभी धर्म के धर्मगुरुओं तथा संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ त्योहार से सम्बन्धित समस्याओं एवं उनके उपायों पर चर्चा की गयी तथा उच्चाधिकारीगणों द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहारों को मनाने की अपील की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.03.2024 जनपद देवरिया।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा पोलिंग बूथों का किया गया स्थलीय/भौतिक निरीक्षण।

आज दिनांक 19.03.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी द्वारा थाना महुआडीह क्षेत्रान्तर्गत, क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवास्तव द्वारा थाना गौरीबाजार क्षेत्रान्तर्गत तथा जनपद देवरिया के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल व होमगार्ड के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, बिजली-पानी व शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.03.2024 जनपद देवरिया।

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 19.03.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा बरहज सर्किल के अन्तर्गत थाना बरहज के संवेदनशील क्षेत्रों में उपजिलाधिकारी बरहज दिशा श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी बरहज श्री आदित्य कुमार गौतम के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक बरहज मय पुलिस टीम द्वारा थाना बरहज क्षेत्रान्तर्गत गौरा, कटइलवा, कस्बा बरहज, लवरछी, पैना तथा बेलडाड़ में पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया। इसी क्रम में अर्द्धसैनिक बलों प्रभारी निरीक्षक मईल के नेतृत्व में थाना क्षेत्रान्तर्गत बरठा, तेलिया कला, मईल बाजार, नरसिंहडाड़, भागलपुर, कुण्डौली व लार रोड आदि क्षेत्रों में पैदल गस्त किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.03.2024 जनपद देवरिया।

जिलाधिकारी देवरिया व पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत विभिन्न मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण तथा स्थानीय पुलिस के साथ किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 19.03.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह व पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के मद्देनजर जनपद के थाना बरियारपुर व थाना भटनी क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण कर स्थानीय पुलिस के साथ पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री दीपक कुमार शुक्ला, सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.03.2024 जनपद देवरिया

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा पोलिंग बुथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 19.03.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के द्वारा थाना बरियारपुर एवं भटनी क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बुथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.03.2024 जनपद देवरिया

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बुथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 22.03.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के द्वारा थाना रामपुर कारखाना क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बुथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। इसी प्रकार अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी द्वारा थाना गौरीबाजार क्षेत्रान्तर्गत, क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवास्तव द्वारा थाना एकौना क्षेत्रान्तर्गत तथा जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले पोलिंग बुथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 20.03.2024 जनपद देवरिया

थाना बनकटा पुलिस द्वारा एक लग्जरी वाहन से 47 पेटी देशी शराब के साथ 02 शराब तस्करो को किया गया
गिरफ्तार

थाना प्रभारी जय प्रकाश दुबे थाना बनकटा जनपद देवरिया के नेतृत्व मे उ0नि0 राघवेन्द्र सिंह, का0 नामवर सिंह यादव, का0 प्रमोद यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम रतसिया मोड़ के पास से एक अदद टाटा सफारी वाहन संख्या UP15BK4702 से 47 पेटी बंटी बबली देशी शराब प्रत्येक पेटी में 45 शीशी प्रत्येक शीशी 200 ML कुल 423 लीटर अवैध देशी शराब के साथ दो अभियुक्त क्रमशः 01. जयराम कुमार सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह 02. जमशेद अंसारी पुत्र अनबर अंसारी निवासीगण बड़गांव धुंधा टोला थाना मैरवा जनपद सिवान, बिहार अभियुक्तो को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणो का विवरण:-

01. जयराम कुमार सिंह पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी बड़गांव धुंधा टोला थाना मैरवा जनपद सिवान, बिहार
02. जमशेद अंसारी पुत्र अनबर अंसारी निवासी बड़गांव धुंधा टोला थाना मैरवा जनपद सिवान, बिहार

बरामदगी का विवरण:-

01. अदद टाटा सफारी वाहन संख्या UP15BK4702
02. 47 पेटी बंटी बबली देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री राघवेन्द्र सिंह थाना बनकटा जनपद देवरिया
2. का0 नामवर सिंह यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया
3. का0 प्रमोद यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.03.2024 जनपद देवरिया

01.थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शातिर वाहन चोर गिरोह के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही:-

दिनांक 20.03.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा अवगत कराया गया की शातिर अभियुक्त 1. शिवा गौड़ उर्फ बादल पुत्र अमरनाथ गौड़ सा0 खरजरवा थाना कोतवाली जनपद देवरिया 2. किशन कुमार गौड़ पुत्र अमला कुमार गौड़ सा0 खरजरवा थाना कोतवाली जनपद देवरिया 3. गोलू राजभर पुत्र धनेश राजभर सा0 कबीरपुर जनपद सिवान बिहार 4. सुनील कुमार राजभर पुत्र रामछबिला राजभर सा0 अघांव थाना बनकटा जनपद देवरिया उपरोक्त एक संगठित गिरोह ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर मोटरसाइकिलों की चोरी करना इनका पेशा है, इस संबंध में थाना कोतवाली में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

02. थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा दो तस्करों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही:-

इसी क्रम में थानाध्यक्ष बरियारपुर द्वारा अवगत कराया गया की शातिर अभियुक्त 1. विकाश मिश्रा पुत्र दीपक मिश्रा निवासी जैती थाना बेलघाट जिला गोरखपुर व 2. छट्टू पुत्र स्व0 बदलू निवासी हकीमपुर पोस्ट डेवरी थाना घनघटा जिला सन्तकबीर नगर उपरोक्त एक संगठित गिरोह ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर गोवंशीय पशुओं व मादक पदार्थों की अवैध तस्करी करना इनका पेशा है, इस संबंध में थाना बरियारपुर में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.03.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही ।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा कच्ची शराब, अवैध देशी शराब व अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सत्येन्द्र पाण्डेय पुत्र कैलाश पाण्डेय निवासी बड़का गांव थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12 शीशी अवैध देशी शराब (कुल 2.16 लीटर) बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सुरेश उराव पुत्र घूस उराव निवासी सिसई थाना सिसई जिला गुमला, झारखण्ड को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. बन्धुन उराव पुत्र खरिया उरांव ग्राम हेण्डालासो बधुआपार थाना लोहरदगा जनपद लोहरदगा (झारखण्ड) हा0मु0 सेरखुई ईट भट्टा थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया तथा 2. रंजीत उरांव पुत्र भवरा उरांव साकिन हेसला पोस्ट नवागढ़ थाना लातेहर जनपद लातेहर झारखण्ड हाल मुकाम कतौरा थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 17 व 13 लीटर अवैध शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नाथूराम पुत्र शर्मा उरांव निवासी चरवां उराव सा0 कुली थाना इटली जिला रांची झारखंड को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. अमरजीत उराँव पुत्र प्रसाद उराँव पश्चिम चम्पारण विहार 845106 तथा 2. मुकेश उराँव पुत्र विरसम उराँव ग्राम देवाकी थाना घाघरा जनपद गुमला झारखण्ड को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 09 लीटर तथा 11 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना भलुअनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त हरिनरायन पाठक पुत्र कृष्ण अवतार पाठक साकिन भलुअनी थाना भलुअनी जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना मईल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्ता सुमती देवी पत्नी पूरन उरांव निवासी मडमा थाना चन्दवा जनपद लातेहार (झारखण्ड) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना महुआडीह पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1. रामसरन प्रसाद पुत्र कोकिल प्रसाद ग्राम खड़ाइच थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया 2. दिल्लू प्रसाद पुत्र लालबचन प्रसाद सा0 शामपुर थाना महुआडीह जनपद देवरिया तथा अजय पाण्डेय पुत्र गोरख पाण्डेय सा0 खड़ाइच थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10-10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त मनील भगत पुत्र कलेधर भगत निवासी मसमानो थाना मण्डरा ठाकुर गाँव जनपद लोहरदग्गा (झारखण्ड) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त क्रमशः 1. मुनेन्दर प्रसाद पुत्र स्व0 रामप्रित प्रसाद पता छितही बाजार थाना रुद्रपुर जिला देवरिया 2. रामजीत यादव पुत्र लक्ष्मन यादव पता कोरम्बे थाना सेना जिला लोहरदग्गा, झारखण्ड को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 08-08 लीटर (कुल 16 लीटर) अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. सुरेन्द्र गौड़ पुत्र स्व0 जयशंकर गौड़ निवासी कौड़िया मिश्र थाना सलेमपुर जनपद देवरिया तथा 2. रामभजु पुत्र बुधई पता मालीपुर थाना कोतवाली सलेमपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः अवैध 20 पाउच बंटी-बबली शराब व 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.03.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 21.03.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा भाटपार रानी सर्किल के अन्तर्गत थाना खामपार के संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारी भाटपार रानी श्री शिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में थानाध्यक्ष खामपार मय पुलिस टीम द्वारा थाना खामपार क्षेत्रान्तर्गत भिंगारी बाजार, निशनिया पैकौली, कुकुरघाटी, सरया एवं खामपार में पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया। इसी क्रम में अर्द्धसैनिक बलों प्रभारी निरीक्षक भटनी के नेतृत्व में थाना क्षेत्रान्तर्गत नोनापार, वेहरा डाबर, बलुआ अफगान, कस्बा घाटी, नूरीगंज एवं चंदपार क्षेत्रों में पैदल गस्त किया गया। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक भाटपार रानी के नेतृत्व में कस्बा भाटपार रानी, मैहरौना, जगहथा, चनुकी एवं बराईपार बाबू क्षेत्रों में पैदल गस्त किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.03.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 22.03.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा भाटपार रानी सर्किल के अन्तर्गत थाना श्रीरामपुर क्षेत्रान्तर्गत भवानी छपर, राजपुर, बलुअन, मिश्रौली, रामपुर-प्रतापपुर, चित्रसेन बनकटा तथा बिहार बार्डर आदि क्षेत्रों में पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया। इसी क्रम में थाना बनकटा क्षेत्रान्तर्गत अकटही बाजार, सोहनपुर, रामपुर बुजुर्ग, फफेलिया चौराहा, रतसिया तिराहा, अहिरौली बघेल तथा बनकटा ब्लाक आदि क्षेत्रों में पैदल गस्त किया गया।

इस अवसर पर सीआईएसएफ कम्पनी कमाण्डर श्री नीलमणि ,क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिव प्रताप सिंह ,प्रभारी निरीक्षक श्रीरामपुर श्री कल्याण सिंह सागर तथा थानाध्यक्ष बनकटा श्री अमित कुमार राय सहित थाने का समस्त पुलिस बल मौजूद रहा।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23.03.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा कच्ची शराब, अवैध देशी शराब व अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➔थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को क्रमशः 1. जयराम उरांव पुत्र सुकरा उरांव सा0 बेयासी थाना नरकोपी जनपद रांची (झारखण्ड) 2. बीरबल कन्नौजिया पुत्र नगीना कन्नौजिया साकिन रुद्रपुर मोड़ लक्ष्मीनारायण मंदिर थाना कोतवाली जनपद देवरिया तथा 3. संतोष गिरी पुत्र पुजारी गिरी साकिन हरपुर महेशपुर थाना विजयीपुर जनपद गोपालगंज (बिहार) को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 09 लीटर, 07 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा 21 पाउच बंटी बबली अवैध देशी शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. शनि लोहरा पुत्र टोइचा लोहरा ग्राम कोराम्बे थाना सनहा जिला लोहर दग्गा (झारखण्ड) उम्र करीब 30 वर्ष हा0मु0 भटौली खुर्द थाना गौरीबाजार देवरिया तथा 2. श्यामदेव उर्फ बिराट पुत्र स्व0 चन्द्रदेव यादव ग्राम खैरटिया थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उमके कब्जे से 13 व 17 लीटर अवैध शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना मईल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त रोपन यादव पुत्र रामबृक्ष यादव सा0 तेलिया कला थाना मईल जनपद देवरियाको गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 18 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अमित राम पुत्र खेदु राम निवासी ग्राम-रामपुर थाना विजयीपुर जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 18 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त दीपक उरांव पुत्र मंगल उरांव साकिन भुरसो थाना सिसई गुमला झारखंड को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 05 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना महुआडीह पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. जोगेन्द्र साहनी पुत्र रामदरस ग्राम-भटनी बुजुर्ग थाना-महुआडीह जनपद-देवरिया तथा 2. विश्वनाथ s/o मोती चन्द कन्नौजिया ग्रा0 अकटहिया थाना महुआडीह जन0- देवरिया को गिरफ्तार कर उमके कब्जे से 08 व 09 लीटर अवैध शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना लार पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को क्रमशः 1. पवन यादव पुत्र स्व0 श्री रामअधार यादव सा0 भेड़िहरवा टोला वार्ड लार थाना लार जनपद देवरिया 2. मनोज यादव S/O स्व0 मोती चन्द यादव R/O मटियरा जगदीश थाना लार जनपद देवरिया 3. अरविन्द कुमार पुत्र स्व0 सुदामा सा0-गुठनी पो0 गुठनी थाना-गुठनी जनपद सिवान (बिहार) तथा 3. को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 10 लीटर, 20 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा 35 पाउच बंटी बबली अवैध देशी शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23.03.2024 जनपद देवरिया

01.थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा लुटेरों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही:-

दिनांक 22.03.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया की शातिर अभियुक्तगण 1. भीमसेन राव पुत्र मैनेजर राव निवासी हरपुर बिन्दवलिया थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया , 2. संयोगिता राव पत्नी भीमसेन राव निवासी हरपुर बिन्दवलिया थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया , 3. अभिषेक सिंह पुत्र मारकण्डेय सिंह निवासी पिपरा थाना बघौचघाट जनपद देवरिया, 4.रामानन्द साहनी पुत्र बीरझन साहनी निवासी हरपुर बिन्दवलिया थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरियाउपरोक्त एक संगठित गिरोह ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर मारपीट व लूट करना इनका पेशा है, इस संबंध में थाना रामपुर कारखाना में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

02. थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत जिला बंदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार:-

थाना तरकुलवा क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त बिट्टू यादव पुत्र महन्त यादव ग्राम नरायनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया को दिनांक 22.02.2024 को जिला बंदर की कार्यवाही की गयी थी, जिसके उलंघन में दिनांक 22.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर जिला बंदर अभियुक्त बिट्टू यादव उपरोक्त को उसके घर से स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते हुए मु0अ0सं0 99/2024 धारा 3/10 उत्तर प्रदेश गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम,1970 का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23.03.2024 जनपद देवरिया

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 23.03.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के द्वारा सर्किल भाटपाररानी के थाना खामपार, थाना भटनी व थाना भाटपाररानी क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी भाटपाररानी व क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिव प्रताप सिंह एवं सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।

इसी प्रकार अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी द्वारा थाना रामपुर कारखाना क्षेत्रान्तर्गत तथा जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23.03.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 23.03.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा रुद्रपुर सर्किल के अन्तर्गत थाना गौरीबाजार के संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवास्तव के नेतृत्व में थानाध्यक्ष गौरीबाजार श्री दिनेश कुमार मिश्र मय पुलिस टीम द्वारा थाना गौरीबाजार क्षेत्रान्तर्गत कस्बा गौरीबाजार, पथरहट, मठिया माफी, इंदूपुर, लबकनी, ककवल, खैराबनुआ, मोहन मठ, रसौली, बभनौली, गुलरिहा, चरियांव खास, चरियांव बुजूर्ग, सीरजम, गुड़री तथा बैतालपुर में पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का*प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23.03.2024 जनपद देवरिया*

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 23.03.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा रुद्रपुर सर्किल के अन्तर्गत थाना गौरीबाजार के संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवास्तव के नेतृत्व में थानाध्यक्ष गौरीबाजार श्री दिनेश कुमार मिश्र मय पुलिस टीम द्वारा थाना गौरीबाजार क्षेत्रान्तर्गत कस्बा गौरीबाजार, पथरहट, मठिया माफी, इंदूपुर, लबकनी, ककवल, खैराबनुआ, मोहन मठ, रसौली, बभनौली, गुलरिहा, चरियांव खास, चरियांव बुजूर्ग, सीरजम, गुड़री तथा बैतालपुर में पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.03.2024 जनपद देवरिया

थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा एक अदद तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 23.03.2024 को थाना श्रीरामपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर स्याही नदी के पास वहद ग्राम करजनिया भेडवा के पास से एक व्यक्ति को 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर अपना नाम ऋषि यादव पुत्र खेदू यादव साकिन-करजनिया भेडवा थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया बताया। इसके अतिरिक्त जांच से पाया गया कि उक्त अभियुक्त बिहार के थाना भोरे पर पंजीकृत मु0अ0सं0 604/2023 धारा 379 भादंवि में वांछित था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस 12 को बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

ऋषि यादव पुत्र खेदू यादव साकिन-करजनिया भेडवा थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस 12

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.उ0नि0 श्री दीपक सिंह थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।
- 2.उ0नि0 श्री दीनबन्धु राय थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।
- 3.उ0नि0 श्री अनिल तिवारी थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।
- 4.हे0का0 सुभाष सिंह थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।
- 5.का0 मनीष कुशवाहा थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.03.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा कच्ची शराब, अवैध देशी शराब व अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1. अकलेश कुमार पुत्र शम्भू माझी साकिन सलेमपट्टी थाना उचका जिला गोपालगंज बिहार 2. रामप्रवेश गुप्ता पुत्र श्रीराम गुप्ता साकिन बसडीला थाना कोतवाली जनपद देवरिया तथा 3. राधेश्याम पुत्र सुरेश प्रसाद साकिन रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 07 लीटर, 10 लीटर तथा 09 लीटर कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना खामपार पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1. राजकुमार शर्मा पुत्र सिंहासन शर्मा ग्राम खामपार पाण्डेय टोला थाना खामपार जनपद देवरिया 2. संजू महली पुत्र जागेश्वर महली ग्राम कोडेकेरा थाना सिसई जनपद गुमला (झारखण्ड) तथा 3. विजय कुमार पुत्र स्व0 खेनर भगत सा0 रेडवरिया तिवारी थाना भोरे जिला गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 20 पाउच, 20 पाउच कच्ची शराब तथा 48 अदद फ्रूटी पैक अवैध अंग्रेजी शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 12 अभियुक्तों क्रमशः 1. राजेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 देवी प्रसाद ग्राम कालाबन थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया 2. बसन्त लोहारा पुत्र जलेसर लोहरा साकिन डोरण्डा थाना नरकोपी जिला रांची (झारखण्ड) 3. मनोज भारती S/O केदार भारती ग्रा0 कालाबन थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया 4. रामअवध गुप्ता पुत्र रामप्रसाद गुप्ता ग्रा0 लबकनी थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया 5. भोला प्रसाद पुत्र रामधारी प्रसाद साकिन लबकनी थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया 6. मनोज लोहार पुत्र जयपाल लोहार साकिन गजनी थाना कैरो जिला लोहरदंगा (झारखण्ड) 7. रामसमुझ पुत्र बेलास ग्राम भटौली खुर्द थाना गौरीबाजार जिला देवरिया 8. दुर्जन गुप्ता पुत्र दीनानाथ गुप्ता ग्रा0 वार्ड नं0- 10 किसान नगर थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया 9. जयनाथ प्रजापति पुत्र रामनिहारे प्रजापति साकिन तिनपथवा टोला कालाबन थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया 10. पूर्णवासी विश्वकर्मा पुत्र लालसा विश्वकर्मा साकिन लबकनी थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया 11. नागेन्द्र सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह साकिन गुडरी बैतालपुर थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया तथा 12. जवान पुत्र चून्दा ग्राम कोच्चा थाना पुसो जिला गुमला झारखण्ड हालमुकाम कतौरा थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 15,14,20,20,17,17,20,18,18,12 तथा 12 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1. विनय तिग्गा पुत्र सुकरा तिग्गा सा0 बासजाडी थाना मांडर जिला राची झारखण्ड 2. रमायन पुत्र श्रीरामबंजन राजभर सा0 मुण्डेरा जगदीश थाना तरकुलवा जनपद देवरिया तथा 3. विक्रम राजभर पुत्र स्व0 चन्द्रिका राजभर सा0 कंचनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 13,15 तथा 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तों क्रमशः 1. दिलीप पुत्र इश्वरदेव सा0 कण्ठीपट्टी थाना बघौचघाट जनपद देवरिया 2. नन्हे हासमी पुत्र हनिफ हासमी सा0 कुचया पथरदेवा थाना तरकुलवा जनपद देवरिया 3. मारकण्डेय गुप्ता S/O जगन्नाथ गुप्ता R/O कुर्मीपट्टी थाना बघौचघाट जनपद देवरिया 4. श्याम बहादुर यादव पुत्र भीखम यादव साकिन ग्राम बृक्षा पट्टी थाना तरकुलवा जनपद देवरिया तथा 5. वसीर मिया पुत्र स्व0 सुलेमान मिया सा0 ग्राम धुपबल पोस्ट मुशहरी थाना

विजयीपुर जिला गोपालगंज को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 8,8,9,9 तथा 9 लीटर कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना बरहज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त पारस नाथ यादव पुत्र रामधनी यादव निवासी परसिया देवार अमरुतानी टोला थाना बरहज जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 101 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. अंगनू पुत्र स्व0 नगुवा निवासी ग्राम बनटोली थाना भरनो जिला गुमला (झारखण्ड) तथा 2. अजय उरांव पुत्र सोमा उरांव सा0 खपिया थाना घाघरा जिला गुमला (झारखण्ड) को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 18 व 13 लीटर कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना भाटपाररानी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. कृष्ण दयाल विश्वकर्मा पुत्र स्व0 कन्हैया विश्वकर्मा निवासी बनकटा शम्भू थाना खामपार जनपद देवरिया तथा 2. बिहारी गोड पुत्र जमुना गोड निवासी बनकटा शम्भू थाना खामपार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 10-12 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना मईल पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. बृजलाल पुत्र स्व0 केदार साहनी निवासी तेलिया कला थाना मईल जनपद देवरिया तथा 2. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामगति निवासी इटहुरा हजाम थाना मईल जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 व 12 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना मदनपुर पुलिस द्वारा 01 एक अभियुक्त राजेश गुप्ता पुत्र जगदम्भा गुप्ता साकिन कदमही वार्ड न0 08 थाना मदनपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना महुआडीह पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों क्रमशः 1. रामदेव हरिजन s/o स्व0 बंगाली हरिजन निवासी ग्राम रामपुर दुबे टोला पकड़ीहवा थाना महुआडीह जिला देवरिया 2. बिमलेश उर्फ नितेश पुत्र बृजराज सा0 पकड़ी वीरभद्र थाना महुआडीह जिला देवरिया 3. बृजेश कुमार s/o सुग्रीव ग्राम सवरेजी खर्ग थाना-महुआडीह जनपद देवरिया तथा 4. सैफ खान पुत्र अकरम खान निवासी ग्राम सेखौना डीह टोला थाना महुआडीह जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 05,09,08 व 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. महेन्द्र उराँव पुत्र रमई उराँव निवासी भुरसो बेरी टोली पोस्ट – भुरसो थाना सिसई गुमला जनपद गुमला झारखण्ड तथा 2. बबलू उराँव पुत्र प्रधान उराँव निवासी बड़ा अम्बेरा थाना भण्डारा जिला लोहरदंगा , झारखण्ड को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 व 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों क्रमशः 1. प्रेम पुत्र कन्हैया साकिन सूरजपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया 2. जयराज पुत्र शंकर ग्राम सूरजपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया 3. सेराज अली पुत्र मुंशी अली ग्राम सुरजपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया तथा 4. वकिल पुत्र नेबूलाल साकिन एकला मिश्रौलिया थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर

उनके कब्जे से 10-10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना लार पुलिस द्वारा 01 एक अभियुक्त वैभव कुमार आर्या पुत्र प्रेमचन्द सा0-राउतपार रघेन थाना लार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 शीशी बन्टी बबली, 10 बीयर किंग फिशर व 4 शीशी रायल स्टेग -कुल 14 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 01 एक अभियुक्त रोहित राजभर पुत्र रमेश राजभर सा0 मझवलिया थाना सलेमपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 शीशी बंटी बबली अवैध देशी शराब बरामद कर चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.03.2024 जनपद देवरिया

थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा एक अदद तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 23.03.2024 को थाना रुद्रपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सेमरौना पुल के पास से एक व्यक्ति को 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से नाम-पता पूछने पर अपना नाम मनोहर पाण्डेय पुत्र जवाहर पाण्डेय निवासी मछरहट्टा वार्ड थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया बताया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 12 को बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

मनोहर पाण्डेय पुत्र जवाहर पाण्डेय निवासी मछरहट्टा वार्ड थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

01 अदद तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 12

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.उ0नि0 मनोज उपाध्याय थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
- 2.उ0नि0 आशीष राय थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
- 3.का0 रोहित गौड़ थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
- 4.का0 अरविन्द यादव थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
- 5.का0 दिनेश यादव थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.03.2024 जनपद देवरिया

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देवरिया द्वारा अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक- 24.03.2024 को श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय जनपद देवरिया के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के निर्देशन में थानाध्यक्ष नन्दा प्रसाद मय हमराह क्षेत्र के भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम सिधुवा नहर पुलिया के पास रामपुर कारखाना जनपद देवरिया से 03 नफर 1. राहुल भारती पुत्र रामाधार निवासी माधोपुर थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया 2. नितेश यादव पुत्र राजेश यादव साकिन मोहाव थाना बरहज जनपद देवरिया 3. मुकेश गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता साकिन लवरछी थाना बरहज जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. राहुल भारती पुत्र रामाधार निवासी माधोपुर थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया
2. नितेश यादव पुत्र राजेश यादव साकिन मोहाव थाना बरहज जनपद देवरिया
3. मुकेश गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता साकिन लवरछी थाना बरहज जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद मोटर साइकिल सुपर स्पेण्डर रजि0 नं0 UP 52 AZ 1755
2. एक अदद मोटर साइकिल प्लैटिना रजि0 नं0 UP 57 E 0694

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

1. राहुल भारती पुत्र रामाधार का आपराधिक इतिहास

- .मु0अ0सं0- 268/2020 धारा 379, 411 भादवि
- .मु0अ0सं0- 022/2023 धारा 379, 411 भादवि
- . मु0अ0सं0- 321/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

2. निलेश यादव पुत्र राजेश यादव का आपराधिक इतिहास

- .मु0अ0सं0 273/2023 धारा 323, 427, 504, 506 भादवि

3. मुकेश गुप्ता पुत्र महेश गुप्ता का आपराधिक इतिहास

- .मु0अ0सं0 036/2023 धारा 323, 342, 504, 506 भादवि

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष नन्दा प्रसाद थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया
2. उ0नि0 आशा राम थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया
3. का0 बाबूलाल यादव थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया
4. का0 मुकेश यादव थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया
5. का0 दुर्गा प्रसाद यादव थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया
6. का0 चंगेज खान थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.03.2024 जनपद देवरिया

दिनांक 24.03.2024 को आबकारी निरीक्षक श्री मनीष कुमार सिंह व थाना लार की संयुक्त टीम द्वारा लार क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से 215 लीटर कच्ची शराब बरामद किया गया तथा मौके पर कच्ची शराब बनाने वाले तसला, मटका औजार एवं करीब 03 कुन्टल लहन नष्ट किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना लार पर मु0अ0सं0 098/2024 धारा-60/62 बनाम अशोक सिंह पुत्र चन्द्रिका सिंह निवासी मटियरा जगदीश थाना लार जनपद देवरिया, मु0अ0सं0-99/2024 बनाम गोविन्द पुत्र रामानन्द निवासी लख्खू मोड़ थाना लार जनपद व मु0अ0सं0-100/2024 बनाम अमरजीत सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी मटियरा जगदीश थाना लार जनपद देवरिया धारा 60/62 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अशोक सिंह पुत्र चन्द्रिका सिंह निवासी मटियरा जगदीश थाना लार जनपद देवरिया
2. गोविन्द पुत्र रामानन्द निवासी लख्खू मोड़ थाना लार जनपद
3. अमरजीत सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी मटियरा जगदीश थाना लार जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. आबकारी निरीक्षक मनीष कुमार सिंह जनपद देवरिया
2. उ0नि0 गोविन्द सिंह थाना लार जनपद देवरिया
3. उ0नि0 संतोष यादव थाना लार जनपद देवरिया
4. उ0नि0 ओमकार सिंह थाना लार जनपद देवरिया
5. मु0आ0 श्याम बिहारी थाना लार जनपद देवरिया
6. मु0आ0 रितु प्रकाश चौधरी थाना लार जनपद देवरिया
7. मु0आ0 सुनील कुमार सिंह थाना लार जनपद देवरिया
8. आ0 संजीव शर्मा थाना लार जनपद देवरिया
9. आ0 योगेश कुमार सिंह थाना लार जनपद देवरिया
10. आ0 श्रीराम यादव थाना लार जनपद देवरिया
11. आ0 योगेन्द्र यादव थाना लार जनपद देवरिया
12. आ0 अजीत यादव थाना लार जनपद देवरिया
13. आ0 मिठाई लाल यादव थाना लार जनपद देवरिया
14. आ0 कमलेश सरोज थाना लार जनपद देवरिया
15. आ0 प्रवीण पाण्डेय थाना लार जनपद देवरिया
16. म0आ0 पूजा निगम थाना लार जनपद देवरिया
17. म0आ0 दीक्षा शुक्ला थाना लार जनपद देवरिया
18. म0आ0 सुनीता कुमारी थाना लार जनपद देवरिया

आज दिनांक- 24.03.2023 को थाना बनकटा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम गाढा उर्फ कानुनगोई ईंट भट्टे के पास से दो अभियुक्तों क्रमशः 1. अमन उराव पुत्र मांगा उरांव निवासी कुर्से थाना लोहरदग्गा जनपद लोहरदग्गा झारखण्ड 2. शिव कुमार उराव पुत्र मनी उराव निवासी सलगी नवारी थाना कुरु जिला लोहर्सा झारखण्ड को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 105 लीटर कच्ची देशी शराब बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। कार्यवाही के दौरान 02 कुन्टल लहन भी नष्ट कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अमन उराव पुत्र मांगा उरांव निवासी कुर्से थाना लोहरदग्गा जनपद लोहरदग्गा झारखण्ड
2. शिव कुमार उराव पुत्र मनी उराव निवासी सलगी नवारी थाना कुरु जिला लोहर्सा झारखण्ड

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष अमित कुमार राय थाना बनकटा जनपद देवरिया
2. वरि0उ0नि0 जय प्रकाश दुबे थाना बनकटा जनपद देवरिया
3. उ0नि0 शेषनाथ कन्नौजिया थाना बनकटा जनपद देवरिया
4. का0 मो0 आदिल थाना बनकटा जनपद देवरिया
5. का0 राकेश तिवारी थाना बनकटा जनपद देवरिया
6. का0 राकेश यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया
7. का0 आशीष सिंह थाना बनकटा जनपद देवरिया

आगामी त्थौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 24.03.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा नगर सर्किल के अन्तर्गत थाना रामपुर कारखाना तथा महुआडीह के संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी के नेतृत्व में संबंधित प्रभारी निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष मय पुलिस टीम द्वारा थाना रामपुर कारखाना क्षेत्रान्तर्गत डुमरी कस्बा, कस्बा रामपुर कारखाना, बैजनाथपुर, आनन्दनगर तथा बरवामीर छापर में पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया। इसीक्रम में थाना महुआडीह क्षेत्रांतर्गत रामपुर गोनरिया व महुआडीह कस्बा में अर्द्धसैनिक बलों के साथ पैदल गस्त किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.03.2024 जनपद देवरिया

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा होली त्यौहार के दृष्टिगत प्रमुख चौराहों, बाजारों में लगे पुलिस बल का किया गया निरीक्षण

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा होली त्यौहार के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना कोतवाली, थाना सलेमपुर व थाना खुखुन्दू क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले प्रमुख चौराहों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे पुलिस बल का निरीक्षण किया गया एवं सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.03.2024 जनपद देवरिया

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी द्वारा होली त्यौहार के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना कोतवाली व थाना तरकुलवा में क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय रेड्डी व संबन्धित प्रभारी निरीक्षक के साथ भ्रमणशील रहकर प्रमुख चौराहों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे पुलिस बल का निरीक्षण किया गया एवं सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा थाना बरहज व थाना लार में क्षेत्राधिकारी बरहज श्री आदित्य कुमार गौतम व क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री दीपक कुमार शुक्ल व सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र में भ्रमणशील रहकर चौराहों आदि पर लगे पुलिस बल का निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर, क्षेत्राधिकारी सलेमपुर, क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी व क्षेत्राधिकारी बरहज द्वारा अपने-अपने सर्किल के समस्त थानों में भ्रमणशील रहकर चौराहों, कस्बों, बाजारों आदि में लगे पुलिस बल का निरीक्षण किया गया व सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 26.03.2024 जनपद देवरिया

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा होली त्यौहार के दृष्टिगत प्रमुख चौराहों, बाजारों में किया गया पैदल गस्त।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा होली त्यौहार के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी, क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी, क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवास्तव तथा सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय पुलिस टीम के साथ थाना कोतवाली व थाना रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले प्रमुख चौराहों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे पुलिस बल का निरीक्षण करते हुए पैदल गस्त किया गया एवं सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 26.03.2024 जनपद देवरिया

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी द्वारा होली त्यौहार के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु थाना कोतवाली व थाना रुद्रपुर में क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय रेड्डी, क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवास्तव व सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के साथ भ्रमणशील रहकर प्रमुख चौराहों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे पुलिस बल का निरीक्षण किया गया एवं सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा थाना श्रीरामपुर में क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिव प्रताप सिंह व सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक मय पुलिस टीम द्वारा थानाक्षेत्र में भ्रमणशील रहकर चौराहों आदि पर लगे पुलिस बल का निरीक्षण किया गया। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर, क्षेत्राधिकारी सलेमपुर, क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी व क्षेत्राधिकारी बरहज द्वारा अपने-अपने सर्किल के समस्त थानों में भ्रमणशील रहकर चौराहों, कस्बों, बाजारों आदि में लगे पुलिस बल का निरीक्षण किया गया व सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 26.03.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में होली त्यौहार व आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 25-03-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी शराब व अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

- ➡थाना एकौना पुलिस द्वारा 01 एक अभियुक्त रामबली यादव पुत्र स्व0 तीरथ यादव साकिन एकौना सरांव बुजुर्ग थाना एकौना जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 एक अभियुक्त कैलास पाल पुत्र स्व0 राम प्यारे पाल सा0 बांस देवरिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा 01 एक अभियुक्त मोहन गुप्ता पुत्र रामशकल गुप्ता सा0 डोमनपुरा थाना बघौचघाट जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 09 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा 01 एक अभियुक्त शशिकान्त कुमार उर्फ पवन पुत्र बच्चा राम निवासी ग्राम अम्मरपुर थाना दरौली जनपद सीवान (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 38 पीस किंगफीशर बीयर कुल 19 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 01 एक अभियुक्त अष्टभुज कुमार पुत्र विरेन्द्र प्रसाद निवासी मझौलीराज मेन चौराहा वार्ड नं0- 2 थाना सलेमपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 28 शीशी देशी बंटी बबली अवैध शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.03.2024 जनपद देवरिया

थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 424 ग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 26.03.2024 को थानाध्यक्ष रुद्रपुर मय फोर्स देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तलाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि सेमरौना पुल के नीचे बथुआ रीवर फ्रंट के पास एक व्यक्ति पुलिस टीम को देखकर भागने लगा जिसे हिकमत अमली से घेरघार कर पकड़ लिया गया। जिसके द्वारा अपना नाम व पता विशाल सोनकर पुत्र मोहन सोनकर पता चौहट्टा वार्ड रुद्रपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया बताया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 424 ग्राम चरस बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

01. 424 ग्राम चरस

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

01. मु0अ0सं0- 151/21 धारा 392,411,323 भादंवि थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 रतन कुमार पाण्डेय थानाध्यक्ष रुद्रपुर जनपद देवरिया।
2. उ0नि0 असगर अली थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
3. उ0नि0 सुमित कुमार राय थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
4. का0 प्रदीप कुमार थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
5. का0 अंकित कुमार राय थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.03.2024 जनपद देवरिया

थाना मदनपुर पुलिस द्वारा आर्म्स ऐक्ट में की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर रोकथाम लगाने हेतु थाना मदनपुर पुलिस द्वारा दिनांक 26.03.2024 को उ0नि0 अभिमित कुमार मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बराव चौराहा के निकट स्थित ईंट भट्टे के पास से एक व्यक्ति को एक अदद अवैध दाव के साथ गिरफ्तार करते हुए नाम पता पूँछने पर अपना नाम व पता मोहम्मद किताबुद्दीन पुत्र अनवारुल हक साकिन कोटिया वार्ड नं0-10 कस्बा मदनपुर थाना मदनपुर जनपद देवरिया बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद अवैध दाव बरामद करते हुए धारा 4/25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग थाना स्थानीय पर पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में उ0नि0 अभिषेक कुमार यादव मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर एम0एम0 पब्लिक स्कूल के निकट शराब भट्टी के पास से एक व्यक्ति को एक अदद अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार करते हुए नाम पता पूँछने पर तौफिक अहमद पुत्र मो0 शहीद साकिन कोटिया मुहल्ला वार्ड नं0-10 कस्बा मदनपुर थाना मदनपुर जनपद देवरिया बताया गया गिरफ्तार अभियुक्त के पास से अदद अवैध चाकू बरामद करते हुए धारा 4/25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग थाना स्थानीय पर पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मोहम्मद किताबुद्दीन पुत्र अनवारुल हक साकिन कोटिया वार्ड नं0-10 कस्बा मदनपुर थाना मदनपुर जनपद देवरिया
2. तौफिक अहमद पुत्र मो0 शहीद साकिन कोटिया मुहल्ला वार्ड नं0-10 कस्बा मदनपुर थाना मदनपुर जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद अवैध दाव
2. एक अदद अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अभिमित कुमार थाना मदनपुर जनपद देवरिया।
2. उ0नि0 अभिषेक कुमार यादव थाना मदनपुर जनपद देवरिया।
3. उ0नि0 विकाश सिंह थाना मदनपुर जनपद देवरिया।
4. हे0का0 उपेन्द्र सिंह यादव थाना मदनपुर जनपद देवरिया।
5. का0 विवेक कुमार थाना मदनपुर जनपद देवरिया।

आगामी त्थौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 27.03.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा रुद्रपुर सर्किल के अन्तर्गत थाना रुद्रपुर के संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवास्तव के नेतृत्व में थानाध्यक्ष रुद्रपुर श्री रतन कुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा थाना रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत कस्बा रुद्रपुर, अतरंगी, बेलकुण्डा, लक्ष्मीपुर, लक्ष्मीपुर टढ़वा टोला, रामलक्षन, करिहवा, लुअठई, लुदई खोरमा, पचमा व भैंसहीं में भ्रमण करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

इसी क्रम में थाना मदनपुर में प्रभारी निरीक्षक मदनपुर श्री रामाज्ञा सिंह व अर्द्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम द्वारा थाना मदनपुर क्षेत्रान्तर्गत कदमही, सोनकर बस्ती, खटिका टोला, पक्कड़ चौराहा, कोटिया मोहल्ला, गोला बनकट, पुर्वा मोहल्ला हाजीनगर, शेखटोला, अम्बेडकर नगर, केवटलिया, समोगर मोहरा, बराव, बहसुआ, महेन, नेतवार, गनियारी फरीदपुर, पहाड़पुर और देवपुर जयराम भ्रमण करते हुए सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

इसी क्रम में थाना एकौना में प्रभारी निरीक्षक एकौना श्री सुनील कुमार व अर्द्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम द्वारा थाना एकौना क्षेत्रान्तर्गत नरायनपुर सरांव खुर्द व पचलड़ी में पैदल गस्त किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.03.2024 जनपद देवरिया

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बुथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 27.03.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के द्वारा थाना महुआडीह क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.03.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 27-03-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी व अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

- ➡थाना एकौना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त शिवबचन पुत्र मोहन निवासी ग्राम हौली बलिया थाना एकौना जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त आलोक चौरसिया पुत्र हरीलाल चौरसिया निवासी देवरिया खास रजला थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना खामपार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त खेसारी साह उर्फ बुलट पुत्र सुरेश साह निवासी कोरिगावा थाना कटया जनपद गोपालगंज (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 18 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना भलुअनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अजय कुमार कुशवाहा पुत्र रामजतन कुशवाहा निवासी सिसई पो0 फुडवा उर्फ दिलीप नगर, थाना-कसया, जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 25 पाउच बंटी बबली अवैध देशी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना महुआडीह पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सन्दीप सिंह पुत्र रामनरायन निवासी सुरचक थाना-महुआडीह जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 08 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.03.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 28-03-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी व अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त मोहन यादव पुत्र राम सुरेश निवासी बंगला पाण्डेय पोस्ट रामपुर पाण्डेय थाना खजनी जिला गोरखपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 पाउच बंटी बबली अवैध देशी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. संजय पटेल पुत्र मोतीचन्द पटेल साकिन चकसराय बदलदास थाना कोतवाली जनपद देवरिया व 2. रामलखन पुत्र रामधारी साकिन रजला (बरई टोला) थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 21 पाउच अवैध देशी शराब व 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना भाटपाररानी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त राजेश कुमार पुत्र हरेन्द्र भगत साकिन फकुली थाना फकुली जनपद मुजफ्फरपुर (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 24 अदद ऑफिसर च्वाइस टेटरा पैक अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना मदनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त ओमप्रकाश गौड़ पुत्र दीनानाथ गौड़ साकिन तकिया मोहल्ला कस्बा मदनपुर थाना मदनपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 09 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सन्दीप सुमेश उरांव पुत्र घूरन उरांव सा0 सिसई थाना सिसई जिला गुमला झारखंड को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना भटनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सुरेश बासफोर पुत्र स्व0 तिलंगी बासफोर निवासी ग्राम कुटिया पोस्ट छितौना थाना बिजयीपुर जिला गोपालपुर बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 08 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना महुआडीह पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त विरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 मंगल सिंह उपरोक्त थाना महुआडीह जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 08 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.03.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 28.03.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा सलेमपुर सर्किल के अन्तर्गत थाना सलेमपुर के संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री दीपक शुक्ल के नेतृत्व में प्रभारी

निरीक्षक सलेमपुर श्री उमेश वाजपेयी मय पुलिस टीम द्वारा थाना कस्बा सलेमपुर, धनौती राज व मझौली राज में पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

इसी क्रम में में प्रभारी निरीक्षक लार श्री कपिल देव चौधरी व अर्द्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम द्वारा थाना लार क्षेत्रान्तर्गत कस्बा लार, सहजोर व रेवल पिण्डी आदि में पैदल गस्त करते हुए सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.03.2024 जनपद देवरिया

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैरइरादतन हत्या के प्रकरण में एक अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास से दण्डित कराया गया।”

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना मईल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-57ए/1993 धारा-304,147,323,504,506 भादंसं में अभियुक्त अजय प्रकाश मिश्र पुत्र त्रियोगी मिश्र साकिन पिपरा मिश्र थाना मईल जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दि0 28.03.2024 को 03 वर्ष के कारावास से दण्डित कराया गया। जिसमें अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री मनीष सिंह एवं पैरवीकार थाना मईल मु0आ0 कमलेश यादव, कोर्ट मोहर्रिर मु0आ0 कृष्ण मोहन एवं मानिट्रिंग सेल प्रभारी निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद जैसल का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.03.2024 जनपद देवरिया

तरकुलवा पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना तरकुलवा पर दिनांक 20.03.2024 को वादी सीमा देवी पत्नी राजू चौहान निवासी कंचनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया की तहरीर के आधार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 59/24 धारा 307,323 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त साबिर अंसारी उर्फ गुड्डू अंसारी पुत्र स्व0 हामिद अंसारी निवासी कंचनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया को दिनांक 28.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा कंचनपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद 315 बोर देशी तमंचा व एक अदद 315 बोर जिंदा कारतूस बरामद करते हुए धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग थाना स्थानीय पर पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. साबिर अंसारी उर्फ गुड्डू अंसारी पुत्र स्व0 हामिद अंसारी निवासी कंचनपुर थाना तरकुलवा जनपद देवरिया

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 59/24 धारा 307,323 भादंवि थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।

2. मु0अ0सं0 116/24 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 नन्द किशोर राय थाना तरकुलवा जनपद देवरिया

2. म0उ0नि0 कोमल पाण्डेय थाना तरकुलवा जनपद देवरिया

3. आ0 रोहित यादव थाना तरकुलवा जनपद देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.03.2024 जनपद देवरिया

थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा एक अदद 12 बोर देशी तमंचा बरामद करते हुए एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

थाना रुद्रपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 28.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर माहीगंज टोला खरोह के पास एक अदद 12 बोर देशी तमंचा व दो अदद 12 बोर जिंदा के कारतूस के साथ के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूँछताछ के क्रम में अपना नाम पता अनुज यादव पुत्र राम अशीष यादव साकिन माहीगंज टोला खरोह थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद 12 बोर देशी तमंचा व दो अदद 12 बोर जिंदा के कारतूस बरामद करते हुए धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अनुज यादव पुत्र राम अशीष यादव साकिन माहीगंज टोला खरोह थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ०नि० श्री चन्द्रशेखर राम थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।

2. हे०का० रंजीत कुमार थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।

3. का० रोहित गोड़ थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।

4. का० दिनेश यादव थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.03.2024 जनपद देवरिया

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बुथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 29.03.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के द्वारा थाना थाना रुद्रपुर व थाना एकौना क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया। बिजली-पानी, कमरों की संख्या व शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।

इसी क्रम अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत व अपर पुलिस दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा थाना सलेमपुर क्षेत्रान्तर्गत तथा जनपदीय पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत वाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल के ठहरने वाले चिन्हित विद्यालयों व पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया एवं बिजली-पानी, कमरों की संख्या व शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 30.03.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 29-03-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी व अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

- ➡थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त श्यामदेव यादव उर्फ विराट पुत्र स्व0 चन्द्रदेव साकिन खैरटिया थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 16 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. राजेश शर्मा पुत्र शंकर शर्मा साकिन बजाजी गली थाना कोतवाली जनपद देवरिया व 2. राहुल मद्धेशिया पुत्र कंसराज साकिन नेहरूनगर चकियवा थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12-12 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सुरेन्द्र महली पुत्र श्याम महली निवासी नगजुआ थाना कैरो जिला लोहरदगा (झारखण्ड) वर्तमान पता गब्बू यादव का भट्टा बरियारपुर भरौटा थाना बरियारपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 14 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना मईल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त संदीप कुमार चौरसिया पुत्र मोहन प्रसाद चौरसिया निवासी भागलपुर थाना मईल जनपद को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. अभिनेश्वर भगत पुत्र स्व0 लंका भगत सा0 भवरगानी थाना घाघरा जिला जुमला (झारखण्ड) हाल पता ईट भट्टा बडहरा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया व 2. विश्वकर्मा निषाद पुत्र स्व0 लालबचन पता लक्ष्मीपुर थाना रुद्रपुर जिला देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 व 09 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना लार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सरवन चौहान पुत्र स्व0 जंगली चौहान सा0 धवरिया वार्ड लार थाना लार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.03.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 30-03-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी व अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1. अजय नंदकिशोर पुत्र नंदकिशोर ठाकुर थाना सोनपुर जिला छपरा बिहार 2. अनुज कुमार पुत्र अनिल राय निवासी ग्राम पखेजाबाद थाना सोनपुर जिला छपरा (बिहार) 3. कार्तिक उरांव पुत्र रामकेश्वर उरांव साकिन ग्राम आनन्दपुर पोस्ट किस्को थाना बगरू जनपद लोहरदंगा राज्य झारखण्ड हा0 मु0 कुवंरबखरा थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 22 शीशी 8pm प्रीमीयम ब्लैक प्रत्येक 180 ml कुल 3.96 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब तथा 15 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. प्रमोद यादव पुत्र रामकेवल यादव सा0 महुआबारी थाना कोतवाली जनपद देवरिया व 2. आकाश गुप्ता पुत्र रमेश गुप्ता सा0 रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली जनपद देवरियाको गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 13 लीटर कच्ची शराब व 14 शीशी बन्टी बबली अवैध देशी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त विनोद गौड पुत्र लालजी गौड सा0 छपौली थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 08 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना भाटपाररानी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 गनेश महतो साकिन दामोदरपुर डुमरी थाना कुढ़नी जनपद मुजफ्फरपुर (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 25 अदद बन्टी बबली प्रत्येक 200 मीली0 कुल 05 लीटर अवैध देशी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त हरेन्द्र मण्डल पुत्र स्व0 शिवराज मण्डल ग्राम भरठही दुहौना थाना कटया जिला गोपालगंज विहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 16 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त राजेन्द्र उरांव पुत्र सोमा उराव साकिन चऊ थाना सेन्हा जिला लोहदग्गा झारखण्ड को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त त्रिवेनी महली पुत्र पुनी महली ग्राम सीकुबार थाना घाघरा जिला गुमला (झारखण्ड) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना खामपार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त रामनाथ उराँव पुत्र जमा उराँव ग्राम बंजार किसको PS लोहर दुग्गा जिला लोहर दुग्गा (झारखण्ड) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 18 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अभियुक्त संदीप उराँव पुत्र बन्दे उराँव निवासी ग्राम मसमानो थाना मण्डरा ठाकूर गाँव जनपद लोहरदंगा (झारखण्ड) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना महुआडीह पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. उपेन्द्र यादव (उप्पन यादव) पुत्र राजमंगल यादव निवासी महुआडीह थाना महुआडीह जनपद देवरिया व 2. शशी राज पुत्र स्व0 भोला ग्राम बेजवाली थाना लोहर दगा जिला लोहरदगा झारखण्ड गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 08-08 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना भटनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सोनू कुमार पुत्र भरत महतो निवासी ग्राम चांदोपट्टी थाना मुफस्सिल जनपद समस्तीपुर (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 31 पाउच फूटी बन्टी बबली लाईम अवैध देशी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त चन्दन चौहान पुत्र मोती चन्द्र सा0 वार्ड नं0 12 सुगही टीचर कालोनी थाना सलेमपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 22 पाउच बंटी बबली अवैध देशी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.03.2024 जनपद देवरिया

थाना बरहज पुलिस द्वारा एक अदद देशी तमंचा बरामद करते हुए एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बरहज पुलिस टीम द्वारा दिनांक 30.03.2024 को मुखबिर की सूचना पर रगड़गंच तिराहे के पास से 315 एक अदद देशी तमंचा व 315 बोर एक अदद जिंदा के कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूँछ-ताछ पर अपना नाम-पता राकेश कुमार पुत्र रामआसरे निवासी महेशपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद 315 बोर देशी तमंचा व एक अदद 315 बोर जिंदा के कारतूस बरामद करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 69/24 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. राकेश कुमार पुत्र रामआसरे निवासी महेशपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद 315 बोर देशी तमंचा व एक अदद 315 बोर जिंदा के कारतूस

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 52/17 धारा 4/25 आर्म्स ऐक्ट थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया

2. मु0अ0सं0 81/22 धारा 22/8 एनडीपीएस ऐक्ट थाना जी0आर0पी0 वाराणसी जनपद जी0आर0पी0 अनुभाग प्रयागराज

3. मु0अ0सं0 83/22 धारा 411,414 भादंवि थाना जी0आर0पी0 वाराणसी जनपद जी0आर0पी0 अनुभाग प्रयागराज

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री राधेश्याम चौधरी थाना बरहज जनपद देवरिया।

2. आ0 कृष्ण कुमार थाना बरहज जनपद देवरिया।

3. आ0 आशीष यादव थाना बरहज जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.03.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्त।

आज दिनांक 31.03.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा भाटपाररानी सर्किल के अन्तर्गत थाना भाटपाररानी, थाना भटनी व थाना खामपार के संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक भाटपाररानी श्री दिलीप पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा कस्बा भाटपाररानी, जगहथा, बेलपार पण्डित व पकड़ी बाबू में पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक भटनी श्री उदय शंकर कुशवाहा व अर्द्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम द्वारा थाना भटनी क्षेत्रान्तर्गत कस्बा भटनी, नोनापार, एकलाम चौराहा, घाटी, थवई टोला व रायपुरा आदि में पैदल गस्त किया गया एवं थाना खामपार पुलिस द्वारा व अर्द्धसैनिक बल की उपस्थिति में थाना खामपार क्षेत्रान्तर्गत भिंगारी बाजार एवं बीरमापट्टी आदि क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.03.2024 जनपद देवरिया

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देवरिया द्वारा अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 31.03.2024 को थाना कोतवाली जनपद देवरिया की पुलिस टीम द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 863/2023 धारा 147/307/427/504/506/120बी भादवि के वांछित अभियुक्त अजीत यादव पुत्र बद्रीनाथ यादव उर्फ पट्ट निवासी भटवलिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया को चीनी मिल ग्राउंड देवरिया के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

1- अजीत यादव पुत्र बद्रीनाथ यादव उर्फ पट्ट निवासी भटवलिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1- उ0नि0 रामलक्ष्मण सिंह थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

2- आ0 संकठा प्रसाद थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 31.03.2024 जनपद देवरिया

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक अदद शस्त्र व दो अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देवरिया द्वारा अवैध शराब निष्कर्षण/ बिक्री की रोकथाम व अवैध तमंचे की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय व क्षेत्राधिकारी नगर महोदय जनपद देवरिया के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली जनपद देवरिया पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दानोपुर ब्लाक रोड के पास से अभियुक्त हैप्पी यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी दानोपुर थाना कोतवाली जनपद देवरिया को एक अदद 315 बोर तमन्चा व 02 अदद 315 बोर जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. हैप्पी यादव पुत्र अवधेश यादव निवासी दानोपुर थाना कोतवाली जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण-

01. एक अदद 315 बोर तमन्चा

02. 02 अदद 315 बोर जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण—

01. उ0नि0 विपिन कुमार यादव थाना कोतवाली जनपद देवरिया

02. मु0आ0 संजय यादव थाना कोतवाली जनपद देवरिया

03. आ0 सुनील यादव थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.04.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्थौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्त

आज दिनांक 01.04.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा भाटपाररानी सर्किल के अन्तर्गत थाना श्रीरामपुर के संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभारी निरीक्षक श्रीरामपुर श्री कल्याण सिंह सागर मय पुलिस टीम द्वारा बनकटा चित्रसेन, बिहार बार्डर, रामपुर प्रतापपुर, हरराम चौराहा, अहिबरन राय टोला, हाटा व भवानी छापर में पैदल गस्त व बुथों का निरीक्षण करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

इसी क्रम में में थानाध्यक्ष बनकटा श्री अमित कुमार राय व अर्द्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम द्वारा थाना बनकटा क्षेत्रान्तर्गत अकटही बाजार, सोहनपुर, रामपुर बुजुर्ग, फफेलिया, रतसिया, अहिरौली बघेल, बंजरिया, बनकटा ब्लाक आदि क्षेत्रों में पैदल गस्त करते हुए एरिया डोमिनेशन किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.04.2024 जनपद देवरिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत देवरिया पुलिस जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बुथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 01.04.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी द्वारा थाना रामपुर कारखाना क्षेत्रान्तर्गत, क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवास्तव द्वारा थाना रुद्रपुर व क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री दीपक कुमार शुक्ल द्वारा थाना बरियारपुर आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बुथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं फोर्स के ठहरने वाले चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.04.2024 जनपद देवरिया

थाना मईल पुलिस द्वारा पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 01.04.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय देवरिया के निर्देश के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी महोदय के मार्ग दर्शन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी बरहज महोदय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री गोरखनाथ सरोज के नेतृत्व में आज दिनांक 01.04.2024 को उ0नि0 अरविन्द कुमार मय हमराह मुखबिर की सूचना पर बरेजी पुल के पास से अभियुक्त नवीन उपाध्याय उर्फ रोहित उपाध्याय पुत्र स्वयंबर उपाध्याय साकिन बरेजी थाना मईल जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 50/2024 धारा 376,504,506 भा०द०वि० व 5/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. नवीन उपाध्याय उर्फ रोहित उपाध्याय पुत्र स्वयंबर उपाध्याय साकिन बरेजी थाना मईल जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अरविन्द कुमार थाना मईल जनपद देवरिया

2. मु0आ0 नन्दलाल यादव थाना मईल जनपद देवरिया

3. आ0 विश्वामित्र थाना मईल जनपद देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02.04.2024 जनपद देवरिया

01.*थाना भाटपाररानी पुलिस द्वारा स्मैक के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।*

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना भाटपाररानी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 01.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर सलेमपुर रोड पर फुलवरिया चौराहे के पास से 4.70 ग्राम स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूँछ-ताछ पर अपना नाम-पता संदीप सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह साकीन फुलवरिया थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 4.70 ग्राम स्मैक बरामद करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 53/24 धारा 8/21 एनडीपीएस ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. संदीप सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह साकीन फुलवरिया थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. 4.70 ग्राम स्मैक

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार पाण्डेय थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया।
2. आ0 सन्तविजय यादव थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया।
3. आ0 अरविन्द कुमार मौर्य थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया।
4. आ0 स्वतन्त्र कुमार शक्ति थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया।

02.*थाना खामपार पुलिस द्वारा एक तमंचा के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।*

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना खामपार पुलिस टीम द्वारा दिनांक 01.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर मायापुर रोड पर छितरौला तिराहा के पास से एक अदद 12 बोर तमंचा मय 12 बोर दो अदद जिंदा कारतूस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूँछ-ताछ पर अपना नाम-पता आदित्य तिवारी पुत्र जितेन्द्र तिवारी सा0 तारा परसा थाना विजयीपुर जिला गोपालगंज (बिहार) बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद 12 बोर तमंचा मय 12 बोर दो अदद जिंदा कारतूस बरामद करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 62/24 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. आदित्य तिवारी पुत्र जितेन्द्र तिवारी सा0 तारा परसा थाना विजयीपुर जिला गोपालगंज (बिहार)

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद 12 बोर तमंचा मय 12 बोर दो अदद जिंदा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 सुनील कुमार थाना खामपार जनपद देवरिया।
2. मु0आ0 ओमकार यादव थाना खामपार जनपद देवरिया।
3. आ0 कन्हैयालाल चौधरी थाना खामपार जनपद देवरिया।
4. आ0 गणेश कुशवाहा थाना खामपार जनपद देवरिया।
5. आ0 रामकेश थाना खामपार जनपद देवरिया।

6.आ0 बिलाल अंसारी थाना खामपार जनपद देवरिया।

03. जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही ।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 30-03-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी व अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 06 अभियुक्तों क्रमशः 1. गुड्डू गुप्ता पुत्र स्व0 रमाशंकर गुप्ता साकिन राघवनगर थाना कोतवाली जनपद देवरिया 2. सोनू प्रजापति पुत्र स्व0 राजेन्द्र प्रजापति उम्र करीब 36 वर्ष साकिन लक्ष्मीपुर थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया 3. गुड्डु मध्देशिया पुत्र ओमप्रकाश मध्देशिया सा0 इन्द्रानगर भुजौली कालोनी थाना कोतवाली जनपद देवरिया 4. सतेन्द्र राजभर पुत्र परमहंस राजभर निवासी रामपुर कुसमी गंज गोरखपुर हाल मुकाम पता बसड़ीला थाना कोतवाली देवरिया 5. अर्जुन चौहान पुत्र स्व लालजी चौहान साकिन जमुना सदन सिन्धी मिल कालोनी थाना कोतवाली जनपद देवरिया 6. राकेश गुप्ता पुत्र रामप्रीत शाह निवासी साकिन मुसैरी बाजार थाना विजयीपुर जिला गोपालगंज बिहार भुजौली कालोनी थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर, 06 लीटर, 08 लीटर व 11 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त संतोष यादव पुत्र स्व0 छागुर यादव सा0 मठियारत्ती थाना तरकुलवा जिला देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 18 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. उमेश राजभर पुत्र स्व0 रामनरेश सा0 कोइरीपट्टी थाना बघौचघाट जनपद देवरिया 2- रामरक्षा राजभर पुत्र स्व0 हीरा सा0 कोइरीपट्टी थाना बघौचघाट देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 18 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बरहज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र रामअवतार यादव निवासी विशुनपुर देवार थाना बरहज जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना भाटपाररानी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त विवेक कुमार पुत्र गौरीशंकर महतो साकिन वार्ड नं0-14 सुहाई थाना डुमरा जनपद सीतामढ़ी (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 24 शीशी अबैध देशी शराब बंटी बबली टेट्रापैक प्रत्येक शीशी 200 एमएल कुल 4.8 ली0 अवैध देशी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना मईल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त बीरू प्रसाद पुत्र रामचन्द्र प्रसाद ग्राम बड़या हरदो थाना मईल जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 08 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त ईश्वरी प्रसाद पुत्र रामखिलाड़ी निवासी वास शोभाराम थाना खन्दौली जनपद आगरा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 11 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. रामआशीष पुत्र भोला चौहान साकिन हड़ही नदोलवा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया 2. गोरख पुत्र मोतीलाल साकिन बड़हरा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 09-09 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त विककी कुमार पुत्र मिठू राय सा0 नयानापुर नौवगिरी थाना अकीलपुर जनपद पटना बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 170 पाउच आफिसर च्वाइस व 80 पाउच 8 PM अवैध अंग्रेजी शराब (कुल 45 लीटर) बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना सुरौली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नेबू लाल पुत्र स्व0 इन्द्रासन निवासी ग्रा0 व पो0 बरडीहा दल थाना सुरौली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त कमलेश चौहान पुत्र रामब्रत चौहान सा0 बरसीपार छावनी टोला थाना सलेमपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 08 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

ब्रेकिंग

देवरिया पुलिस का एसपी संकल्प शर्मा के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान जारी

जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से कुल 142 लीटर कच्ची शराब, 24 शीशी (कुल 4.8 लीटर) अवैध देशी शराब तथा 250 पाउच (45 लीटर) अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया गया अभियुक्तों को भेजा गया जेल ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02.04.2024 जनपद देवरिया

थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया गया पर्दाफाश, 06 अदद मोटरसाइकिल बरामद , 02 बालअपचारियों सहित कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तारा

थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भवानी छापर के पास से एक मोटर साइकिल पर तीन सवार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछ-ताछ में अपना नाम पता 1. आनंद कुमार पुत्र राम इकबाल राम निवासी कोयलाडिया मिश्रौली थाना मीरगंज जनपद गोपालगंज (बिहार) 2. बाल अपचारी व 3. बाल अपचारी बताया गया। वाहन के सम्बन्ध में कागजात मांगने पर नहीं दिखा पाए जिसके संबन्ध में ई-चालान एप्प के माध्यम से जांच किया गया तो मोटरसाइकिल नं0 BR29AP4362 पाया गया जिसके जांच के क्रम में पाया गया कि उक्त मोटरसाइकिल के संबन्ध में बिहार के जनपद गोपालगंज में थाना हथुआ पर मु0अ0सं0 13/24 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत है। अभियुक्तों से कड़ाई से पूछ-ताछ करने पर अभियुक्तों की निशानदेही पर ग्राम ब्रम्ह पाली लंगड़ा टोला में अभियुक्त बालअपचारी के बुआ के घर छुपा कर रखी गयी कुल पांच मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया। जांच के क्रम में जिसके सम्बन्ध में थाना श्रीरामपुर पर 1. मोटरसाइकिल नं0 UP52BC8830 के संबन्ध में मु0अ0सं0 81/24 धारा 379 भादवि व 179(1)एमवी ऐक्ट , 2. मोटरसाइकिल नं0UP52BV3485 के संबन्ध में मु0अ0सं0 82/24 धारा 379 भादवि व 179(1)एमवी ऐक्ट व 3. मोटरसाइकिल नं0 UP52AC3943 संबन्ध में मु0अ0सं0 85/24 धारा 379 भादवि व 179(1)एमवी ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत है तथा अन्य दो मोटरसाइकिलों क्रमशः हीरो स्पेल्डर प्लस रंग काला सफेद रजि0 नं- 1. UP52V0406 व 2. महिंद्रा सेंचुरों रंग काला रजि0 नं0 UP52AD3703 के संबन्ध में जांच की जा रही है।

इस प्रकार अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी से बिहार राज्य में मोटरसाइकिल चोरी के संबन्ध में थाना हथुआ जनपद गोपालगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0 13/24 धारा 379 भादवि एवं जनपद देवरिया के थाना श्रीरामपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 81/24 धारा 379 भादवि व 179(1)एमवी ऐक्ट, मु0अ0सं0 82/24 धारा 379 भादवि व 179(1)एमवी ऐक्ट व मु0अ0सं0 85/24 धारा 379 भादवि व 179(1)एमवी ऐक्ट का सफल अनावरण किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. आनंद कुमार S/0 राम इकबाल राम निवासी कोयलाडिया मिश्रौली थाना मीरगंज जनपद गोपालगंज (बिहार)
2. बालअपचारी
3. बालअपचारी

बरामदगी का विवरण:-

1. हीरो स्पेल्डर प्लस रजि० नं0 BR29AP4362
2. बजाज प्लेटिना रजि० नं0 UP52BC8830
3. हीरो स्पेल्डर प्लस रजि० नं0 UP52BV3485
4. हीरो एचएफ डीलक्स रजि० नं0 UP52AC3943
5. हीरो होंडा स्पेल्डर प्लस रजि० नं0 UP52V0406
6. महिंद्रा सेंचुरो रजि० नं0 UP52AD3703

गिरफ्तारी करने वाली टीम—

01. प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।
02. उनि०० दिनेश कुमार मौर्य थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया
03. उ०नि० दीपक सिंह थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।
04. उ०नि० छोटेलाल थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।
05. हे०का० मुकेश यादव थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।
06. हे०का० सुभाष सिंह थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।
07. का० मनीष कुशवाहा थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।
08. का० उमेश चौहान थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।
09. का० अभिषेक यादव थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।
10. का० संतोष यादव थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।

बाइट

जनपद देवरिया के थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो बालअपचारी सहित कुल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया इनके कब्जे से कुल चोरी की कुल छः मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं चोरी की मोटरसाइकिलों के संबन्ध में बिहार के जनपद गोपालगंज थाना हथुआ व जनपद देवरिया के थाना श्रीरामपुर पर पंजीकृत अभियोगों का सफल अनावरण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02.04.2024 जनपद देवरिया

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी की 02 मोटर साइकिल बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पिपरपाती पुलिया के पास से 02 अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सवार 02 अभियुक्तों का गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पूँछ-ताछ में अपना नाम पता क्रमशः 1. भीम चौहान पुत्र स्व0 लोरिक चौहान निवासी घटैला चेती थाना कोतवाली जनपद देवरिया 2. अमर गौड़ पुत्र स्व0 राम प्यारे गोड़ निवासी गरूणपार थाना कोतवाली जनपद देवरिया बताया गया। वाहन के सम्बन्ध में कागजात मांगने पर नहीं दिखा पाए। पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूँछने पर बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में दोनों अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि काले रंग की हीरो स्पलेन्डर प्लस रजि0 नं0 UP52AQ1877 को सदर अस्पताल देवरिया से दिनांक 18.10.2023 को चुराए थे तथा काले व लाल रंग की होन्डा सीडी110 ड्रीम डीएक्स रजि0 नं0 UP52CR2259 को राजघाट गोरखपुर से एसियन पेन्ट हाउस की दुकान के पास से 17.03.2024 को चोरी किया गया था।

इस प्रकार अभियुक्तों कि गिरफ्तारी व बरामदगी से मोटर साइकिल होन्डा सीडी110 ड्रीम डीएक्स रजि0 नं0 UP52CR2259 के सम्बन्ध में जनपद गोरखपुर के थाना राजघाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 100/24 धारा 379 भादवि तथा हीरो स्पलेन्डर प्लस रजि0 नं0 UP52AQ1877 के सम्बन्ध में थाना कोतवाली जनपद देवरिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0 904/2024 धारा 379 भा.द.वि. का सफल अनावरण किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. भीम चौहान पुत्र स्व0 लोरिक चौहान निवासी घटैला चेती थाना कोतवाली जनपद देवरिया
2. अमर गौड़ पुत्र स्व0 राम प्यारे गोड़ निवासी गरूणपार थाना कोतवाली जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. हीरो स्पलेन्डर प्लस रजि0 नं0 UP52AQ1877
2. काले व लाल रंग की होन्डा सीडी110 ड्रीम डीएक्स रजि0 नं0 UP52CR2259

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.उ0नि0 संजय सिंह चन्देल थाना कोतवाली जनपद देवरिया।
- 2.का0 का0 सन्तोष कुमार यादव थाना कोतवाली जनपद देवरिया।
- 3.का0 विवेक प्रजापति थाना कोतवाली जनपद देवरिया।
- 4.का0 कविन्द्र कुमार थाना कोतवाली जनपद देवरिया।
- 5.का0 विमलेन्द्र कुमार थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.04.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 03.04.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा बरहज सर्किल के अन्तर्गत थाना बरहज के संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभारी निरीक्षक बरहज श्री राहुल कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा बनकटा कपरवार, बेलडांड, बारादीक्षित, गौरा, कस्बा बरहज, लवरछी व करुअना आदि क्षेत्रों में पैदल गस्त व बुथों का निरीक्षण करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भिक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक मईल श्री गोरखनाथ सरोज व अर्द्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम द्वारा थाना मईल क्षेत्रान्तर्गत बरठा बाजार, अण्डिलागाँव, तेलियाकला, नरसिंहडांड, मईल बाजार, भागलपुर व लार रोड आदि क्षेत्रों में पैदल गस्त करते हुए एरिया डोमिनेशन किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.04.2024 जनपद देवरिया

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बुथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 03.04.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा थाना भाटपाररानी व थाना खामपार क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बुथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया। बिजली-पानी, कमरों की संख्या व शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी भाटपाररानी, क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी व सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी द्वारा थाना रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत तथा जनपदीय पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत वाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल के ठहरने वाले चिन्हित विद्यालयों व पोलिंग बुथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया एवं बिजली-पानी, कमरों की संख्या व शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04.04.2024 जनपद देवरिया

थाना एकौना पुलिस द्वारा गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत जिला बदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार:-

थाना एकौना क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त धर्मेन्द्र गिरी पुत्र जगदीश गिरी निवासी कोड़री थाना एकौना जनपद देवरिया को दिनांक 21.02.2024 को गुण्डा अधिनियम में जिला बदर की कार्यवाही की गयी थी, जिसके उल्लंघन में दिनांक 03.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर जिला बदर अभियुक्त धर्मेन्द्र गिरी उपरोक्त को रुद्रपुर रोड पर पचलड़ी के पास से प्रभारी निरीक्षक एकौना श्री सुनिल कुमार मय पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करते हुए मु0अ0सं0 52/2024 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डागर्दी नियंत्रण अधिनियम, 1970 का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. धर्मेन्द्र गिरी पुत्र जगदीश गिरी निवासी कोड़री थाना एकौना जनपद देवरिया

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 11/09 धारा 307, 323, 325, 504, 506 भादवि थाना एकौना जनपद देवरिया।

2. मु0अ0सं0 21/09 धारा 110 सीआरपीसी थाना एकौना जनपद देवरिया।

3. मु0अ0सं0 15/10 धारा 323, 504, 506 भादवि तथा 3(1)10 एससी/ एसटी ऐक्ट थाना एकौना जनपद देवरिया।

4. मु0अ0सं0 42/10 धारा 3/4 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम थाना एकौना जनपद देवरिया।

5. मु0अ0सं0 6955/14 धारा 147, 323, 324, 504, 506 भादवि थाना एकौना जनपद देवरिया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनिल कुमार थाना एकौना जनपद देवरिया।

2. उ0नि0 जयशंकर मिश्रा थाना एकौना जनपद देवरिया।

3. मु0आ0 दिलीप मालवी थाना एकौना जनपद देवरिया।

4. आ0 अभय कुशवाहा थाना एकौना जनपद देवरिया।

5. आ0 शुभम यादव थाना एकौना जनपद देवरिया।

6. आ0 कृष्ण कुमार थाना एकौना जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04.04.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 04.04.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा थाना रुद्रपुर के संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवास्तव व थानाध्यक्ष रुद्रपुर श्री रतन कुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा डाला, जंगल भुषौल, फतेहपुर, कोरवां, दीनापुर, नींबही, भैसहीं, घुरैती, पिण्डरा व कस्बा रुद्रपुर आदि क्षेत्रों में तथा प्रभारी निरीक्षक मदनपुर श्री रामाज्ञा सिंह मय पुलिस टीम द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के साथ कस्बा मदनपुर, बस स्टैंड, कदमही, फक्कड़ चौराहा, कोटिला मोहल्ला, पूर्वा मोहल्ला, छावनी, इमामबाड़ा, बरांवा, नेतवार, हरनहीं, गंगाचक, नपैरु, करायलशुक्ल, भुलईपुर, खुदिया बुजुर्ग, पकड़ तिराहा, बहसुआ पहाड़पुर, देवकली जयराम, बलरामचक देवरियामीर आदि क्षेत्रों में पैदल गस्त व बुथों का निरीक्षण करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

इसी क्रम में थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना श्री नन्दा प्रसाद व अर्द्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम द्वारा थाना रामपुर कारखाना क्षेत्रान्तर्गत कस्बा रामपुर कारखाना, पाण्डेयचक, नौतनहथियागढ़, आनन्दनगर, बरवामीर छापर व बैजनाथपुर आदि क्षेत्रों में पैदल गस्त करते हुए एरिया डोमिनेशन किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04.04.2024 जनपद देवरिया

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बुथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 04.04.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा थाना रामपुर कारखाना व थाना महुआडीह क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया। बिजली-पानी, कमरों की संख्या व शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी सहित सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.04.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही !

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 04-04-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी व अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

- ➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1.रोहित गुप्ता पुत्र स्व0 महेन्द्र गुप्ता साकिन भीमपुर थाना कोतवाली जनपद देवरिया 2. करन सिंह पुत्र चन्द्रदेव सिंह साकिन बेलडरिया थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 09 व 08 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अभियुक्त आरिफ अंसारी पुत्र साकिर निवास इन्दुपुर थाना गौरी बाजार देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 17 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. प्रतिमा देवी पुत्री कुबेर निषाद सा0 साकिन लक्ष्मीपुर बाबू टोला थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया 2- मुन्ना राजभर पुत्र स्व0 जमुना राजभर पता शिवपुर भरटोली थाना रुद्रपुर जिला देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 08 व 09 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना बरहज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सुरज प्रसाद पुत्र विरेन्द्र प्रसाद निवासी पटखोली थाना बरहज जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना लार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त राजकुमारी देवी पत्नी मुनेश्वर उराँव ग्राम गड़गाँव थाना हेसुबे जनपद लोहरदगा(झारखण्ड) हाल मुकाम पता इन्द्रानगर वार्ड थाना लार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 01 विजय कृष्ण चौहान पुत्र गणेश चौहन सा0 करौदी थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद देवरिया के थाना लार पुलिस द्वारा मेहरौना चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान एक पीकअप वाहन पर प्याज की वोरियों के नीचे छिपाकर बिहार ले जायी जा रही कुल 180 पेटी अंग्रेजी शराब जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15.5 लाख रुपये है को बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.04.2024 जनपद देवरिया

थाना लार पुलिस द्वारा एक पिकप वाहन से 180 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक तरकर को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 05.04.2024 को थाना लार पुलिस द्वारा मेहरौना चेकपोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकप वाहन रजि0 नं0 UP60BT5729 से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसके द्वारा अपना नाम पता चन्दन सिंह यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी तपनी थाना सुखपुरा जनपद बलिया बताया गया। वाहन की गहराई से जांच करने पर प्याज की बोखियों के नीचे छिपाकर रखी कुल 180 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गयी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 15.50 लाख रुपए है एवं बरामद वाहन की कीमत लगभग 07 लाख रुपए है। इस प्रकार पुलिस टीम द्वारा कुल बरामदगी 22.50 लाख रुपए की गयी। पुलिस टीम द्वारा वाहन व अंग्रेजी शराब को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1- चन्दन सिंह यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी तपनी थाना सुखपुरा जनपद बलिया

बरामदगी का विवरण

1- 80 पेटी 8 PM अंग्रेजी शराब

2-100 पेटी ऑफिसर च्वाइस अंग्रेजी शराब

2- एक अदद पिकप वाहन रजि0नं0 UP60BT5729

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1-उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार थाना लार जनपद देवरिया।

2. हे0का0 रंजीत सिंह थाना लार जनपद देवरिया।

3. हे0का0 रविन्द्र चौहान थाना लार जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.04.2024 जनपद देवरिया

थाना लार पुलिस द्वारा एक मैजिक वाहन से 02 गोवंश के साथ 02 गो-तस्कर को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 04.04.2024 को थाना लार पुलिस द्वारा चनुकी मोड़ के पास से वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक मैजिक वाहन रजि0 नं0 यूपी 52 एटी 7029 से 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसके द्वारा अपना नाम पता क्रमशः 1. सुनील कुमार यादव पुत्र मगरु यादव निवासी परसौनी दीक्षित पोस्ट बंकुर थाना श्रीरामपुर जिला देवरिया 2. परमहंस प्रसाद पुत्र स्व0 मूरत प्रसाद निवासी बाघाछापर थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया बताया गया। वाहन की जांच करने पर वाहन में 02 गोवंश क्रूरतापूर्वक बंधे हुए पाये गये। उक्त गोवंश को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 113/24 धारा 3/5ए/8 गोवंश निवारण अधिनियम, 11 पशु क्रूरता का निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1. सुनील कुमार यादव पुत्र मगरु यादव निवासी परसौनी दीक्षित पोस्ट बंकुर थाना श्रीरामपुर जिला देवरिया
2. परमहंस प्रसाद पुत्र स्व0 मूरत प्रसाद निवासी बाघाछापर थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण

- 1- 02 अदद गोवंश
- 2- एक अदद मैजिक वाहन रजि0नं0 यूपी 52 एटी 7029

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

- 1-उ0नि0 धर्मेन्द्र मिश्र थाना लार जनपद देवरिया।
2. हे0का0 राजकुमार सरोज थाना लार जनपद देवरिया।
3. का0 प्रीतम सिंह थाना लार जनपद देवरिया।
4. का0 मृत्युंजय थाना लार जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.04.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 05.04.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा थाना खुखुन्दू के संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभारी निरीक्षक खुखुन्दू श्री दिलीप कुमार सिंह मय पुलिस टीम द्वारा बीरपुर, बैरौना, मठिया पठान व बालीपुर आदि क्षेत्रों में तथा थानाध्यक्ष सुरौली श्री अनिल कुमार मय पुलिस टीम द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के साथ मझागाँवा, कतरारी, पैकौली, सुरौली, जहूपरसिया, पकड़बाजार आदि क्षेत्रों में पैदल गस्त व बुथों का निरीक्षण करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05.04.2024 जनपद देवरिया

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बुथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 05.04.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा थाना भलुअनी क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बुथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया। बिजली-पानी, कमरों की संख्या व शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया तथा उपजिलाधिकारी बरहज, क्षेत्राधिकारी बरहज श्री आदित्य कुमार गौतम, प्रभारी निरीक्षक श्रीमती अर्चना सिंह आदि के साथ भलुअनी कस्बे में पैदल गस्त किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.04.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 05-04-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी व अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त छोटेलाल कमकर पुत्र स्व0 अशोक कमकर निवासी सिन्धी मिल वार्ड न0 4 थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त रतन बढई पुत्र बुद्धनाथ बढई साकिन मारासिली थाना भरनो जिला गुमला (रांची) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 13 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. रामसमुझ निषाद पुत्र स्व0 रामदास निषाद सा0 रामनगर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया 2- नेबूलाल निषाद उर्फ गब्बू पुत्र स्व0 रामधनी सा0 लक्ष्मीपुर थाना रुद्रपुर जिला देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10-10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना मईल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त भुनेश्वर मुण्डा पुत्र दिवाली मुण्डा निवासी वटपुरी थाना भरनो जनपद गुमला (झारखण्ड) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो प्लास्टिक की पिपियों में 20 लीटर कच्ची अपमिश्रित शराब , शराब बनाने के उपकरण, यूरिया 400 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर 1 पैकेट 750 ग्राम नौशादर 200 ग्राम बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना लार पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों 1. चन्दन सिंह यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी ग्राम तपनी थाना सुखपुरा जनपद बलिया 2. अमरजीत यादव पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम सुखपुरा थाना सुखपुरा जनपद बलिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक पिकप वाहन से प्याज की बोरियों के नीचे छिपाकर रखी कुल 180 पेट्टी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.04.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 06.04.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा थाना बनकटा के संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में थानाध्यक्ष बनकटा श्री अमित कुमार राय मय पुलिस टीम द्वारा अकटही बाजार, सोहनपुर, रामपुर बुजुर्ग, फफेलिया, भैंसही, रतसिया, अहिरौली बघेल, बंजरिया व बनकटा आदि क्षेत्रों में तथा थानाध्यक्ष खामपार श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी मय पुलिस टीम द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के साथ खामपार, भिंगारी बाजार, निछुनिया पैकौली, कुकुर घाटी, सरया, बखरी, बंगरा व मिश्रौलीआदि क्षेत्रों में पैदल गस्त व बुथों का निरीक्षण करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

इसी क्रम में थानाध्यक्ष बघौचघाट श्री मृत्युञ्जय राय मय पुलिस टीम द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के साथ बघौचघाट, तुर्कपट्टी, बसडिला मैनडिह, जदूखोरी, मोतीपुर, मलसी, रामपुर महुआबारी, हरफोड़ा, कोटवां मिश्र, पकहां,बिंदही, विशुनपुरा, शाहापुर शुक्ल व देवरिया धूस आदि क्षेत्रों में पैदल गस्त किया गया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.04.2024 जनपद देवरिया।

एसओजी देवरिया व थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा लूट की घटना का किया गया सफल अनावरण, लूट के कुल रूपयों के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 04.04.2024 को अमर नमकीन फैक्ट्री गोरखपुर में कार्यरत गुलाब चन्द्र पुत्र स्व0 टीकम दास देवरिया में दुकानदारों को नमकीन देकर उसके कलेक्शन का 02 लाख रूपया लेकर वापस गोरखपुर जा रहे थे कि थाना गौरीबाजार क्षेत्रान्तर्गत मझला नाला पुल के पास मोटरसाइकिल सवार अज्ञात अभियुक्तों द्वारा हमलावर होकर 02 लाख रूपये लूट लिये गये थे, जिसके सम्बन्ध में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गौरीबाजार पर मु0अ0सं0-149/2024 धारा-394,427 भादंसं का अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही है। आज दिनांक 07.04.2024 को प्रभारी एसओजी देवरिया व थानाध्यक्ष गौरीबाजार मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर खरोह चौराहे के पास से 02 मोटरसाइकिल सवार 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा अपना नाम पता 1-विवेक सागर पुत्र रामकुमार भारती साकिन वार्ड नं0 16 अम्बेडकर नगर मिर्जापुर पचपेडवा निकट मातेश्वरी मन्दिर थाना गोरखनाथ 2-दीपक उर्फ दीपू पुत्र सुभाष साकिन उनौला दोयम निकट रेलवे स्टेशन उनौला थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर 3- शहनवाज पुत्र मन्नू साकिन वार्ड नं0 47 चकसा हुसैन थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर हाल मुकाम मिर्जापुर पचपेडवा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर 4-दुर्गेश कुमार पुत्र रामेश्वर साकिन बेलवा खोडवा टोला थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर बताया गया। अभियुक्तों के पास दिनांक 04.04.2024 को लूटी गयी बैग सहित कुल 02 लाख रूपये, कुल 01 अदद देशी तमंचा व 02 अदद करतूस एवं घटना में प्रयुक्त 01 अदद चाकू बरामद किया गया। बरामद मोटरसाइकिल में एचएफ डीलक्स **UP5229849** के चोरी के सम्बन्ध में थाना महुआडीह पर मु0अ0सं0-77/2024 धारा-379 भादंसं का होना पाया गया। अभियुक्त शहनवाज पुत्र मन्नू उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं अमर नमकीन फैक्ट्री गोरखपुर में वाहन का ड्राइवर हूँ, घटना के दिन मैं ही वाहन चला रहा था, मेरे द्वारा अपने साथियों के साथ षणयन्त्र बनाकर घटना को अन्जाम दिया गया था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से बरामद लूट की बैग सहित कुल 02 लाख रूपये को कब्जे में लेते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1- विवेक सागर पुत्र रामकुमार भारती साकिन वार्ड नं0 16 अम्बेडकर नगर मिर्जापुर पचपेडवा निकट मातेश्वरी मन्दिर थाना गोरखनाथ
- 2- दीपक उर्फ दीपू पुत्र सुभाष साकिन उनौला दोयम निकट रेलवे स्टेशन उनौला थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर
- 3- शहनवाज पुत्र मन्नू साकिन वार्ड नं0 47 चकसा हुसैन थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर हाल मुकाम मिर्जापुर पचपेडवा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
- 4- दुर्गेश कुमार पुत्र रामेश्वर साकिन बेलवा खोडवा टोला थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

अभियुक्त विवेक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 01.मु0अ0सं0-44 / 2019 धारा-3 (1) गैंगस्टर ऐक्ट, थाना पिपराईच गोरखपुर,
- 02.मु0अ0सं0-378 / 2019 धारा-411,419,420,467,468,471 भादंसं थाना पिपराईच गोरखपुर,
- 03.मु0अ0सं0-215 / 2023 धारा-120बी,406,419,420,467,468,471,506 भादंसं थाना शाहपुर गोरखपुर
- 04.मु0अ0सं-502 / 2016 धारा-3(25) आर्म्स ऐक्ट थाना शाहपुर गोरखपुर

अभियुक्त दीपक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- 01.मु0अ0सं0-110 / 2023 धारा-392,411 भादंसं थाना पिपराईच गोरखपुर,
- 02.मु0अ0सं0-212 / 2023 धारा-379,411 भादंसं थाना पिपराईच गोरखपुर,
- 03.मु0अ0सं0-563 / 2023 धारा-3(1) गैंगेस्टर ऐक्ट, थाना पिपराईच गोरखपुर
- 04.मु0अ0सं0-96 / 2020 धारा-147,149,323,504,304 भादंसं थाना पिपराईच गोरखपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 1-एच एफ डीलक्स रजि0 नं0 UP52Z9849 घटना में प्रयुक्त
- 2- पैसन प्रो रजि0 नं0 UP53BP0297
- 3- एक अदद तमन्चा 315 बोर
- 4- दो अदद कारतूस 315 बोर
- 5- लूट के बैग सहित कुल 2 लाख रुपए
- 6- एक अदद चाकू घटना में प्रयुक्त
- 7- एक अदद ताला तोडने वाली हाथ से बनी हुयी लोहे की चाबी

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 01.उ0नि0 दिनेश कुमार मिश्र थानाध्यक्ष गौरीबाजार देवरिया ।
- 02.उ0नि0 सादिक परवेज एसओजी प्रभारी देवरिया ।
- 03.उ0नि0 राघवेन्द्र सिंह थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
- 04.उ0नि0 दीपक पटेल थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
- 05.हे0का0 प्रशान्त शर्मा एसओजी देवरिया ।
- 06.हे0का0 विमलेश सिंह एसओजी देवरिया ।
- 07.हे0का0 वर्मा प्रजापति थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
- 08.का0 रमाकान्त पाल एसओजी देवरिया ।
- 09.का0 विदेश्वर एसओजी देवरिया ।
- 10.का0 रमेश यादव थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
- 11.का0 अभिनव यादव थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
- 12.का0 जितेन्द्र यादव थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
- 13.का0 प्रदीप कुमार थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
- 14.का0 अभिषेक यादव थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।

नोट:-पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु कुल 25,000/-रूपये से पुरस्कृत किये जाने की घोषणा की गयी ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.04.2024 जनपद देवरिया।

थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा चोरी के वाहनों से शराब तस्करी करने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश, चोरी की कुल 13 मोटरसाइकिलों, अवैध शस्त्र व देशी शराब के साथ 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 07.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीरामपुर मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर बैकुण्ठपुर मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान 03 मोटरसाइकिल पर सवार कुल 06 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिनके द्वारा अपना नाम पता 01.अभिषेक सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी-रामगढ़ थाना नौतन जनपद सिवान बिहार, 02.राजू यादव पुत्र दरोगा प्रसाद यादव निवासी-शाहपुर थाना नौतन जनपद सिवान बिहार, 03.अमरजीत कुमार पुत्र रामकृपाल निवासी-सगरा थाना नौतन जनपद सिवान बिहार, 04.विवेक कुमार कुशवाहा पुत्र रुदल कुशवाहा निवासी-अघाव थाना बनकटा जनपद देवरिया, 05.विशाल कुमार पुत्र शिवनाथ भगत निवासी-सेमरिया थाना नौतन जनपद सिवान बिहार, 06.सरोज कुमार पुत्र फौजदार प्रसाद निवासी-सेमरिया थाना नौतन जनपद सिवान बिहार बताया गया। अभियुक्तों के पास से 04 पेटी देशी बन्टी बबली शराब, 01 अदद देशी तमन्चा, 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि बरामद 03 मोटरसाइकिल चोरी की है तथा उनकी निशानदेही पर चीनी मिल प्रतापपुर के पीछे झरिया नदी के किनारे जंगल में छिपाकर रखी कुल चोरी की 10 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया तथा अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल से बिहार में शराब तस्करी का कार्य किया जाता था तथा ग्राहक मिलने पर चोरी की मोटरसाइकिल को भी बेच देते थे।

इस प्रकार अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी से बरामद कुल चोरी की 13 मोटरसाइकिलों में 05 मोटरसाइकिलों के सम्बन्ध में बिहार राज्य के थाना हथुआ, मैरवा, छपरा, धनौती पर पंजीकृत 05 अभियोगों का सफल अनावरण किया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त वाहन चोरी व शराब तस्करी में बिहार राज्य के 03 थानों उचका गांव, हथुआ तथा भोरे पर वाहन चोरी व शराब तस्करी के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों में वांछित अभियुक्त था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 01.अभिषेक सिंह पुत्र रमेश सिंह निवासी-रामगढ़ थाना नौतन जनपद सिवान बिहार,
 - 02.राजू यादव पुत्र दरोगा प्रसाद यादव निवासी-शाहपुर थाना नौतन जनपद सिवान बिहार,
 - 03.अमरजीत कुमार पुत्र रामकृपाल निवासी-सगरा थाना नौतन जनपद सिवान बिहार,
 - 04.विवेक कुमार कुशवाहा पुत्र रुदल कुशवाहा निवासी-अघाव थाना बनकटा जनपद देवरिया,
 - 05.विशाल कुमार पुत्र शिवनाथ भगत निवासी-सेमरिया थाना नौतन जनपद सिवान बिहार,
 - 06.सरोज कुमार पुत्र फौजदार प्रसाद निवासी-सेमरिया थाना नौतन जनपद सिवान बिहार
- ### बरामदगी का विवरण:-

- 01.चोरी की कुल 13 मोटरसाइकिलें,
- 02.एक अदद देशी तमन्चा, 02 अदद कारतूस,
- 03.चार पेटी देशी शराब बन्टी बबली,

अभियुक्त राजू यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 01.मु0अ0सं0-233 / 2021 धारा-413,414,34 भादंसं थाना नौतन, सिवान बिहार,
- 02.मु0अ0सं0-249 / 2022 धारा-399,402,412 भादंसं थाना नौतन, सिवान बिहार
- 03.मु0अ0सं0-100 / 2021 धारा-341,323,324,325,379,504,34 भादंसं थाना नौतन, सिवान बिहार

अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 01.मु0अ0सं0-253 / 2022 धारा-341,323,384,506,34 भादंसं थाना नौतन, सिवान बिहार
- 02.मु0अ0सं0-228 / 2021 धारा-341,323,353,325,504,34 भादंसं थाना नौतन, सिवान बिहार
- 03.मु0अ0सं0-157 / 2022 धारा-30(9) बिहार उत्पाद अधि0 थाना नौतन, सिवान बिहार

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 01.निरीक्षक कल्याण सिंह सागर प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीरामपुर देवरिया,
- 02.उ0नि0 धर्मेन्द्र मिश्र थाना श्रीरामपुर देवरिया,
- 03.उ0नि0 दिनेश कुमार मौर्य थाना श्रीरामपुर देवरिया,
- 04.उ0नि0 दीपक सिंह थाना श्रीरामपुर देवरिया,
- 05.मु0आ0 मनीष राय थाना श्रीरामपुर देवरिया,
- 06.कां0 शुभम मिश्रा थाना श्रीरामपुर देवरिया,
- 07.कां0 अरविन्द कुशवाहा थाना श्रीरामपुर देवरिया,
- 08.कां0 रामसागर गुप्ता थाना श्रीरामपुर देवरिया,
- 09.कां0 उमेश चौहान थाना श्रीरामपुर देवरिया,
- 10.कां0 मनीष कुशवाहा थाना श्रीरामपुर देवरिया,

गिरफ्तारी का दिनांक:- 07.04.2024 स्थल - मझना नाला के पास

नाम पता अभियुक्त:-

1. विवेक सागर पुत्र रामकुमार भारती साकिन वार्ड नं0 16 अम्बेडकर नगर मिर्जापुर पचपेडवा निकट मातेश्वरी मन्दिर थाना गोरखनाथ
2. दीपक उर्फ दीपू पुत्र सुभाष साकिन उनौला दोगम निकट रेलवे स्टेशन उनौला थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर
3. शहनवाज पुत्र मन्नू साकिन वार्ड नं0 47 चकसा हुसैन थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर हाल मुकाम मिर्जापुर पचपेडवा थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
4. दुर्गेश कुमार पुत्र रामेश्वर साकिन बेलवा खोडवा टोला थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्र थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
2. का० रमेश यादव थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
3. का० अभिनव यादव थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
4. का० जितेन्द्र यादव थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
5. उ०नि० राघवेन्द्र सिंह थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
6. उ०नि० दीपक पटेल थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
7. हे०का० वर्मा प्रजापति थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
8. का० प्रदीप कुमार थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
9. का० अभिषेक यादव थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
10. उ०नि० सादिक परवेज एसओजी प्रभारी देवरिया।
11. हे०का० प्रशान्त शर्मा एसओजी देवरिया।
12. हे०का० विमलेश सिंह एसओजी देवरिया।
13. का० रमाकान्त पाल एसओजी देवरिया।
14. का० विदेश्वर एसओजी देवरिया।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक एच एफ डीलक्स रजि० नं० UP52Z9849 - UP57Z5438

2. पैसन प्रो रजि0 नं0 UP53BP0297
3. एक अदद तमन्चा 315 बोर
4. एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर
5. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
6. कुल 2 लाख रुपए
8. पीले धातु की एक अंगुठी
9. एक अदद चाकू
12. एक अदद ताला तोडने वाली हाथ से बनी हुयी लोहे की चाबी

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.04.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों द्वारा क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 07.04.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा थाना गौरीबाजार के संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवस्तव के नेतृत्व में थानाधक्ष गौरीबाजार श्री दिनेश कुमार मिश्र मय पुलिस टीम द्वारा कस्बा गौरीबाजार, मठिया, लबकनी, इन्दूपुर, पन्नहा, कटइ, परषोत्तिमा, करनेल वर्डगौनिया, सुदामा चौराहा, बांकी, बौरडीह, दूधनाथ चौराहे, धतुरा खास, कौन्तेय नगर, उधवपुर, मुकुन्दपुर, साण्डा, असनहर, मंगल बाजार आदि क्षेत्रों में तथा प्रभारी निरीक्षक एकौना मय पुलिस टीम द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के साथ थाना एकौना के बेलवा दुबौली, पचलड़ी आदि क्षेत्रों में पैदल गस्त व बुथों का निरीक्षण करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक लार श्री कपिल देव चौधरी मय पुलिस टीम द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के साथ कस्बा लार , मेहरौना, सुतावर आदि क्षेत्रों में पैदल गस्त किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.04.2024 जनपद देवरिया

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत थाना खामपार क्षेत्रान्तर्गत स्थित विद्यालयों एवं पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 07.04.2024 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा थाना खामपार क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया तथा बिजली-पानी, कमरों की संख्या व शौचालय आदि का निरीक्षण करते हुये सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.04.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही ।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 07-04-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी व अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

→थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त दिनेश गुप्ता पुत्र वड़ाई गुप्ता पता बड़हरा थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

→थाना बरहज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त रामअवतार पुत्र स्व0 नेऊर सा0 किशनपुर देवार थाना बरहज जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

→थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. गोना उराँव पुत्र लूटूवा उराँव निवासी ग्राम मसमानो थाना भण्डा जिला लोहरदंगा(झारखण्ड) 2- रामइकबाल पुत्र सुदामा निवासी ग्राम विशुनपुर चिरकिहवा थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10-10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.04.2024 जनपद देवरिया

*** एसओजी व थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा 56 किलो से अधिक गांजे के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार***

क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में एसओजी व थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 07.04.2024 को मुखबीर की सूचना पर थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत सोनूघाट-बरहज मार्ग पर एक चार पहिया वाहन संख्या UP14 BV 6104 में छिपाकर रखे गये कुल 56 किलो 320 ग्राम गांजा जिसकी बाजारु कीमत 05 लाख से अधिक बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों 1. नवनीत मिश्रा पुत्र दिवाकर मिश्रा निवासी जमुई थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया व 2. रूदल यादव पुत्र स्व० ठाकुर यादव निवासी करुअना थाना बरहज जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 56.320 किग्रा गांजा
2. एक अदद वाहन महिन्द्रा एक्सयूवी 500, रजि० नं० UP14 BV 6104

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. नवनीत मिश्रा पुत्र दिवाकर मिश्रा निवासी जमुई थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया
2. रूदल यादव पुत्र स्व० ठाकुर यादव निवासी करुअना थाना बरहज जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. श्री संजय कुमार रेड्डी क्षेत्राधिकारी नगर देवरिया
2. प्रभारी निरीक्षक श्री वेद प्रकाश शर्मा थाना कोतवाली जनपद देवरिया
3. उ०नि० श्री सादिक परवेज एसओजी प्रभारी जनपद देवरिया
4. उ०नि० श्री विपिन कुमार यादव थाना कोतवाली जनपद देवरिया
5. का० उमाशंकर यादव थाना कोतवाली जनपद देवरिया
6. का० उमाशंकर यादव थाना कोतवाली जनपद देवरिया
7. म०का० प्रिन्सी सिंह थाना कोतवाली जनपद देवरिया
8. हे०का० संजय सिंह यादव थाना कोतवाली जनपद देवरिया
9. का० सुनील कुमार यादव थाना कोतवाली जनपद देवरिया
10. हे०का० धन्नजय श्रीवास्तव एसओजी टीम जनपद देवरिया
11. हे० का० मेराज खान एसओजी टीम जनपद देवरिया
12. का० विशाल जायसवाल एसओजी टीम जनपद देवरिया

के पास से 56 किलो 320 ग्राम नाजायज गांजा व एक अदद वाहन महिन्द्रा एक्सयूबी 500 बारंग सफेद नं० UP14 BV 6104 बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 260/2023 धारा 8/20 NDPS ACT पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त नाजायज गांजा आसाम व उड़ीसा राज्यो से सस्ते दाम पर मंगाकर आस पास के जनपदो तथा पड़ोसी देश नेपाल में जरूरत के हिसाब से लोगो को मंहगे दामो पर बेचकर लाभ प्राप्त किया जाता है। आज अभियुक्तगण उक्त महिन्द्रा एक्सयूबी 500 गाड़ी नम्बर UP14BV6104 से अवैध गांजा बहराईच के रास्ते नेपाल ले जा रहे थे जिनको उपरोक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध गांजे व परिवहन मे प्रयुक्त वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के उपरांत अभियुक्तगण उपरोक्त का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड लेने हेतु मा० न्यायालय देवरिया भेजा गया।

जनपद देवरिया के एसओजी व थाना कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर सोनूघाट-बरहज मार्ग पर एक लजरी वाहन से 56 किलो से अधिक गांजे के साथ 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.04.2024 जनपद देवरिया

थाना सुरौली पुलिस द्वारा नाबालिक से दुष्कर्म के अपराध में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

थाना सुरौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 58/2024 धारा 376(एबी) 506 भादवि व 5(एम)/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त प्रेमचन्द्र चौरसिया पुत्र अनिरुद्ध चौरसिया निवासी ग्राम लेहडा खास थाना सुरौली जनपद देवरिया अभियुक्त उपरोक्त को मुखबिर की सूचना पर सुरौली पुलिस द्वारा झिरूआ मार्ग पर स्थित पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त प्रेमचन्द्र चौरसिया पुत्र अनिरुद्ध चौरसिया को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

(1) मु0अ0सं0 58/2024 धारा 376 (एबी) 506 भादवि व 5(एम)/6 पाक्सो एक्ट थाना सुरौली जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.थानाध्यक्ष उ0नि0 अनिल कुमार थाना सुरौली जनपद देवरिया ।
2. उ0नि0 कमलेश कुमार शारदा थाना सुरौली जनपद देवरिया ।
3. आ0 सोनू यादव थाना सुरौली जनपद देवरिया ।
- 4.आ0 दीपक मौर्या थाना सुरौली जनपद देवरिया ।
- 5.म0आ0 विजेता यादव थाना सुरौली जनपद देवरिया ।

थानाध्यक्ष सुरौली थाना क्षेत्र में चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त करते हुये उसरा बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 58/2024 धारा 376 (एबी) 506 भादवि व 5(एम)/6 पाक्सो एक्ट से संबन्धित अभियुक्त प्रेमचन्द्र चौरसिया पुत्र अनिरुद्ध चौरसिया निवासी ग्राम लेहडा खास थाना सुरौली जनपद देवरिया को झिरूआ मार्ग पर स्थित पुलिया के पास मौजूद है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष सुरौली मय टीम के झिरूआ मार्ग पर स्थित पुलिया के पास पहुंचकर अभियुक्त प्रेमचन्द्र चौरसिया पुत्र अनिरुद्ध चौरसिया निवासी ग्राम लेहडा खास थाना सुरौली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.04.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब व आर्म्स एक्ट के विरुद्ध की गयी कार्यवाही I

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 08-04-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी, अंग्रेजी शराब तथा आर्म्स एक्ट के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1. अजय प्रताप सिंह पुत्र बच्चा सिंह पता भीमपुर थाना कोतवाली जनपद देवरिया, 2. छांगुर चौहान पुत्र स्व0 गनेश चौहान पता सोमनाथ मन्दिर थाना कोतवाली जनपद देवरिया व 03. रमेश प्रजापति पुत्र रामधारी प्रजापति निवासी कुम्हार गली गरूलपार थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 10, 12 व 09 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बनकटा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त क्रमशः 1. अभिमन्यु कुमार पुत्र इन्देश राजभर निवासी अघाव थाना बनकटा जनपद देवरिया व 2. रोहित तिवारी पुत्र नीलेश तिवारी सा0 धरनीछापर थाना मैरवा जिला सिवान, बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से क्रमशः 45 पाउच (कुल 09 लीटर) अवैध बन्टी बबली टेट्रा पैक देशी शराब व 35 पाउच (कुल 07 लीटर) अवैध बन्टी बबली टेट्रा पैक देशी शराब तथा 01-01 अदद चाकू बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1. करमदेव उरांव पुत्र जितिया उराव सा0 घाघरा थाना सिसई जनपद गुमला झारखण्ड को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 13 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना महुआडीह पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. कुवर यादव पुत्र हरि यादव ग्राम खिजरी थाना लोगरदंगा जिला लोहरदंगा झारखण्ड, 2. करमा उरांव विरसा उराव निवासी गढगांव थाना इटकी जनपद रांची, झारखण्ड को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से क्रमशः 08 व 09 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. भिखारी उरांव पुत्र स्व0 समय उरांव निवासी माईल वारोटोली पो0 देवकी थाना घाघरा जिला गुमला प्रान्त (झारखण्ड), 2. दिलराम उरांव पुत्र सुका उरांव ग्राम तुंजो सेमर थाना घाघरा सेहल जिला गुमला झारखण्ड को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से क्रमशः 09 व 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.04.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद के समस्त थानों पर थाना क्षेत्र के धर्मगुरु, ग्राम प्रधान, सभ्रान्त व्यक्तियों के साथ की गयी पीस कमेटी की गोष्ठी।

थाना क्षेत्र के गणमान्य/सभ्रान्त व्यक्तियों व धर्मगुरुओं से त्योहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु किया गया अपील

आज दिनांक 09.04.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी द्वारा थाना कोतवाली, क्षेत्राधिकारी बरहज श्री आदित्य कुमार गौतम द्वारा थाना मईल पर तथा जनपद के समस्त थानों पर सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के धर्मगुरुओं तथा सभ्रान्त व्यक्तियों के साथ आगामी त्योहार चैत्र रामनवमी, ईद व डाँ0 भीम राव अम्बेडकर जयंती के दृष्टिगत पीस कमेटी की गोष्ठी की गयी तथा गोष्ठी में सम्मिलित विभिन्न सम्प्रदाय के धर्मगुरुओ, ग्राम प्रधान व सम्भ्रान्त व्यक्तियों से आगामी त्योहार ईद, चैत्र रामनवमी व डा0 भीमराव अम्बेडकर जयंती को सकुशल सम्पन्न कराने की अपील की गयी तथा उक्त त्योहार के सम्बन्ध में उच्चाधिकारीगण द्वारा प्राप्त आदेशों निर्देशो से अवगत कराया गया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.04.2024 जनपद देवरिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी द्वारा पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 09.04.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत थाना बनकटा क्षेत्रान्तर्गत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड बल के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, बिजली-पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

इस अवसर पर थानाध्यक्ष बनकटा श्री अमित कुमार राय व अन्य मौजूद रहे ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.04.2024 जनपद देवरिया

आगामी त्यौहार व लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के साथ क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 09.04.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा थाना रुद्रपुर के संवेदनशील क्षेत्रों में क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवस्तव के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष रुद्रपुर श्री रतन कुमार पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा कस्बा रुद्रपुर, बड़ी मस्जिद, माल्लह टोली वार्ड, ढेड़ा वार्ड, मड़कडी, आल्लहलाहपुर, पिपरा कछार, पिड़री, पिड़रा, भैसही, निबही, खोरमा, रामलक्षन सरहसबह, छपौली व खजुहा में तथा थाना रामपुर कारखाना के संवेदनशील क्षेत्रों में थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना श्री नन्दा प्रसाद मय पुलिस टीम द्वारा डुमरी, बैजनाथपुर, सहबाजपुर, बरवामीर छापर, आनन्दनगर, नौतन हथियागढ़, पाण्डेयचक व कस्बा रामपुर कारखाना में एवं थाना मदनपुर के संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभारी निरीक्षक मदनपुर श्री रामाज्ञा सिंह मय पुलिस टीम द्वारा नकईल, बरौधा, महेन, दुबैली, शेख मोहल्ला, करमई टोला, लाला टोला, सकरवार मोहल्ला, सोनवा इस्लामाबाद व नेतवार आदि क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन के तहत पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन व निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु नागरिकों को जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.04.2024 जनपद देवरिया

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 09.04.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के द्वारा सर्किल नगर के थाना रामपुर कारखाना व सर्किल सलेमपुर थाना बरियारपुर क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी व क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री दीपक कुमार शुक्ला एवं ईओ अंकिता शुक्ला सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.04.2024 जनपद देवरिया

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबलिक से दुष्कर्म के प्रकरण में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये के दण्ड से दण्डित कराया गया।”

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना भटनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1390/2014 धारा-376,506,भादंसं व 5/6 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त प्रमोद प्रसाद पुत्र मल्लख प्रसाद निवासी ग्राम टेघरा थाना भटनी जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दि0 09.04.2024 को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये के से दण्डित कराया गया। जिसमें विशेष लोक अभियोजक श्री हरिदत्त मिश्र एवं पैरवीकार थाना भटनी आ0 राम प्रसाद चौधरी, कोर्ट मोहरीर आ0 शैलेंद्र यादव एवं मानिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद जैसल का सराहनीय योगदान रहा।

सराहनीय कार्य

जनपद देवरिया

महोदय,

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से नाबलिक से दुष्कर्म के प्रकरण में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये के दण्ड से दण्डित कराया गया।”

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना भटनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1390/2014 धारा-376,506,भादंसं व 5/6 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त प्रमोद प्रसाद पुत्र मल्लख प्रसाद निवासी ग्राम टेघरा थाना भटनी जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दि0 09.04.2024 को आजीवन कारावास व 12 हजार रुपये के से दण्डित कराया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.04.2024 जनपद देवरिया

ईद के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी द्वारा ईदगाह स्थल का किया गया निरीक्षण, शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु थाना कोतवाली पुलिस के साथ किया गया पैदल गस्त, गणमान्य/संभ्रांत व्यक्तियों व धर्मगुरुओं से त्योहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु किया गया अपील

आज दिनांक 10.04.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी द्वारा आगामी त्योहार ईद के दृष्टिगत थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत जामा मस्जिद, छोटी मस्जिद, ईदगाह मालवीय रोड, तीरी मस्जिद, मलकौली ईदगाह व अन्य ईदगाह स्थलों का सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत भ्रमण/निरीक्षण कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा अबुबकर नगर, स्टेशन रोड व तहसील रोड एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों, बाजारों आदि में थाना कोतवाली पुलिस के साथ पैदल गस्त कर स्थानीय लोगों से संवाद करते हुए त्योहार को शांतिपूर्ण व सद्भावनापूर्ण तरीके से भाईचारे के साथ मुस्लिम धर्मगुरुओं से संवाद कर ईद को शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील करते हुए जनता को सुरक्षा के प्रति आश्चस्त किया गया। भ्रमण/निरीक्षण व पैदल गस्त के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी व कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्री वेद प्रकाश शर्मा एवं मय पुलिस बल उपस्थित रहे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.04.2024 जनपद देवरिया

थाना सुरौली पुलिस द्वारा 01 अदद तमन्चा व 01 अदद जिंदा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

क्षेत्राधिकारी बरहज श्री आदित्य कुमार गौतम के कुशल निर्देशन में थाना सुरौली पुलिस टीम उसरा बाजार में मौजूद थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र छांगुर प्रसाद ग्राम तिवई थाना सुरौली जनपद देवरिया को एक अदद तमन्चा व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ कुर्ना नाला उसरा पुल थाना सुरौली जनपद देवरिया से गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

राहुल कुमार पुत्र छांगुर प्रसाद ग्राम तिवई थाना सुरौली जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमन्चा
2. अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 814/20 धारा 380,411 भादसं थाना कोतवाली जनपद देवरिया
2. मु0अ0सं0-59/24 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सुरौली जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 कमलेश कुमार शारदा थाना सुरौली जनपद देवरिया
2. का0 मदन कुमार थाना सुरौली जनपद देवरिया
3. का0 राजू राजभर थाना सुरौली जनपद देवरिया
4. का0 राम प्रवेश सिंह थाना सुरौली जनपद देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.04.2024 जनपद देवरिया।

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोरों को किया गया गिरफ्तार, चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामदा।

दिनांक 09.04.2024 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर राजकीय पालीटेक्निक मुण्डेरा मल्ल मोड़ के पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल रॉयल इनफिल्ड 350 के साथ दो अभियुक्तों 01. राजकपूर निषाद पुत्र राजेन्द्र निषाद, निवासी पड़री लिलई कोठी, थाना हाटा, जनपद कुशीनगर व 02. अखिलेश शर्मा पुत्र बिकाऊ शर्मा, निवासी प्रेमनगर पिपरा, थाना कसया, जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा पूछताछ के क्रम में अभियुक्तों द्वारा बताया कि उक्त मोटर साइकिल को हम लोगों द्वारा दिनांक 28.03.2024 की रात्रि में पुरवा मेहड़ा से चोरी किये थे और आज इसी मोटरसाइकिल को बेचने के लिये नेपाल जा रहे थे कि आप लोगो नें पकड़ लिया। बरामद बुलेट रजि0 नं0 UP52AH9890 के चोरी होने के सम्बन्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 269/2023 धारा 379 भादसं व 179(1) एमवी एक्ट पंजीकृत हैं। पुलिस टीम द्वारा दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए बरामद मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकार अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी से थाना कोतवाली पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा चोरी मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 269/2023 धारा 379 भादसं व 179(1) एमवी एक्ट का सफल अनावरण किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

01. राजकपूर निषाद पुत्र राजेन्द्र निषाद, निवासी पड़री लिलई कोठी, थाना हाटा, जनपद कुशीनगर,

02. अखिलेश शर्मा पुत्र बिकाऊ शर्मा, निवासी प्रेमनगर पिपरा, थाना कसया, जनपद कुशीनगर।

बरामदगी का विवरण:-

01. रॉयल इनफिल्ड बुलेट, रजि0नं0- UP52AH9890

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01. उ0नि0 श्यामजीत सिंह, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,

02. का0 अभिषेक पटेल, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,

03. का0 रमेश प्रजापति, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,

04. का0 प्रविन्द यादव, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,

05. का0 पवन यादव, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,

06. का0 अजीत कुमार, थाना कोतवाली जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.04.2024 जनपद देवरिया।

थाना लार पुलिस द्वारा 25 हजार रूपये इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 10.04.2024 को प्रभारी निरीक्षक लार मय पुलिस टीम द्वारा थाना लार क्षेत्रान्तर्गत लार बाईपास के पास से मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त राजू पंडित पुत्र अशोक पंडित निवासी-चक सिकन्दर पुर थाना बिन्दुपुर जनपद वैशाली (बिहार) को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त थाना लार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-356/2023 धारा-3(1) गैंगस्टर ऐक्ट में दिनांक 14.12.2023 से वांछित चल रहा था तथा इसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद देवरिया से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01.राजू पंडित पुत्र अशोक पंडित निवासी-चक सिकन्दर पुर थाना बिन्दुपुर जनपद वैशाली (बिहार)

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01.प्रभारी निरीक्षक कपीलदेव चौधरी थाना लार देवरिया,

02.कां0 रामप्रवेश थाना लार देवरिया,

03.कां0 मुकेश थाना लार देवरिया,

04.कां0 प्रीतम थाना लार देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.04.2024 जनपद देवरिया।

थाना खामपार पुलिस द्वारा चोरी की 03 मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

थाना खामपार पुलिस द्वारा दिनांक 09.04.2024 को वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पैकौली मोड़ के पास से चोरी की प्लेटिना मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त मोहन उर्फ नीतिश सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी-कुकुरघाटी टोला नन्दपुर थाना खामपार जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया पूछ ताछ के क्रम में बताया गया कि उक्त मोटरसाइकिल को ग्राम छितौनी बिहार से लगभग कुछ माह पूर्व चोरी किया गया था, जिसकी जांच से मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में बिहार राज्य के जनपद गोपालगंज थाना विजयीपुर पर मु0अ0सं0-123/2023 धारा-379 भादसं का अभियोग पंजीकृत होना पाया गया तथा उसकी निशानदेही पर चोरी की 01 हीरो स्पलेण्डर प्रो उसके घर से बरामद किया गया तथा उसके एक साथी संतोष शर्मा पुत्र विश्वनाथ शर्मा निवासी-रामपुर खुरहुरिया थाना भटनी जनपद देवरिया को कुकुरघाटी केरवनिया पुल के पास से एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद चोरी की मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 76/2024 धारा 41,411,413,414,473 भादवि पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

01.मोहन उर्फ नीतिश सिंह पुत्र राजकुमार सिंह निवासी-कुकुरघाटी टोला नन्दपुर थाना खामपार जनपद देवरिया

02. संतोष शर्मा पुत्र विश्वनाथ शर्मा निवासी-रामपुर खुरहुरिया थाना भटनी जनपद देवरिया बरामदगी का विवरण:-

03 अदद चोरी की मोटरसाइकिल।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. उ0नि0 महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी थानाध्यक्ष खामपार देवरिया,
2. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना खामपार देवरिया
3. का0 सौरभ सिंह, थाना खामपार देवरिया
4. का0 रतन कन्नौजिया, थाना खामपार देवरिया
- 5.का0 हरिश्चन्द्र यादव, थाना खामपार देवरिया
6. का0 राहुल सिंह थाना खामपार देवरिया
8. का0 राजू चौहान, थाना खामपार देवरिया
9. का0 उपेन्द्र यादव थाना खामपार देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.04.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब व आर्म्स ऐक्ट के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 10-04-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी, अंग्रेजी शराब तथा आर्म्स ऐक्ट के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

- ➡थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों क्रमशः 1. हंसनाथ चौहान पुत्र रामकिशुन चौहान निवासी डोल छपरा थाना सलेमपुर जनपद देवरिया 2. संदीप यादव पुत्र जोखन यादव निवासी मोहम्मद कढर, मगहर जनपद संतकबीरनगर 03.लक्ष्मन पुत्र दुलारे ग्राम बेलपार थाना सलेमपुर जनपद देवरिया व 04.दीनानाथ यादव पुत्र शंकर यादव सा0 गोपालपुर थाना सलेमपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 24 पाउच बन्टी बबली देशी शराब, 22 पाउच बन्टी बबली देशी शराब, 12 लीटर कच्ची शराब व 28 पाउच बंटी बबली देशी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना भाटपाररानी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1.मिथिलेश कुमार पुत्र छोटनलाल राय साकिन सबलपुर नवल टोला थाना सोनपुर जनपद छपरा बिहार व 2. दीपक कुमार पुत्र उमेश राय साकिन सबलपुर नवल टोला, सोनपुर, सारन बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 12 लीटर व 15 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1. रुदल निषाद पुत्र रामकेवल निषाद निवासी शिवपुर पड़रही थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 08 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना महुआडीह पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों क्रमशः 1. विरेन्द्र प्रसाद पुत्र स्व0 श्री बल्ली प्रसाद निवासी मुण्डेरा चन्द थाना महुआडीह जनपद देवरिया 2. अनुरुद्ध यादव पुत्र स्व0 मुखुत यादव निवासी सेखौना मिर्जा टोला थाना महुआडीह जनपद देवरिया 3. रामनाथ यादव पुत्र स्व0 बेचू यादव निवासी खड़ाइच थाना रामपुर खारखाना जनपद देवरिया 4. जयगोविन्द सिंह पुत्र रामअधार सिंह निवासी गुलरिहा बाजार थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 64 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त विनोद पुत्र नगीना निवासी रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना एकौना पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1.बलवन्त कुमार पुत्र स्व0 रामदरश प्रसाद निवासी गौनरिया थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया 2. विजय प्रताप साहनी पुत्र वंशी साहनी सा0 बेलवा दुबौली थाना एकौना जनपद देवरिया व 3. पन्नेलाल यादव पुत्र स्व0 चनर यादव निवासी पचलडी कृतपुरा थाना एकौना जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 16 लीटर कच्ची शराब, 18 लीटर कच्ची शराब व 01 अदद अवैध चाकू बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त प्रमोद यादव पुत्र काशी यादव निवासी ग्राम हिरन्दापुर थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना लार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अरविन्द प्रसाद पुत्र पारस प्रसाद निवासी बरडीहा दलपत टोला पिपराडीह थाना लार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध चाकू बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.04.2024 जनपद देवरिया

थाना बनकटा पुलिस द्वारा एक अदद तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बनकटा पुलिस द्वारा दिनांक 11.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर नैनहा भटवलिया मोड़ के पास से एक अभियुक्त को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर तथा एक अदद 315 बोर कारतूस के साथ गिरफ्तार करते हुए नाम पता पूँछने पर अपना नाम पता शिव शंकर यादव पुत्र स्व० बाबूनन्दन यादव निवासी किशोरी छापरा थाना बनकटा जनपद देवरिया बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद 315 बोर कारतूस बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बनकटा का हिस्ट्रीशीटर-ए भी है।

अभियुक्त का विवरण:-

1. शिव शंकर यादव पुत्र स्व० बाबूनन्दन यादव निवासी किशोरी छापरा थाना बनकटा जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद देशी तमंचा 315 बोर

2. एक अदद 315 बोर कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० निला/2006 धारा 41/411 भादवि थाना बनकटा देवरिया

2. मु०अ०सं० 04/2007 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना बनकटा देवरिया

3. मु०अ०सं० 355/2009 धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना बनकटा देवरिया

4. मु०अ०सं० 683/209 धारा ¾ गुण्डा अधि० थाना बनकटा देवरिया

5. मु०अ०सं० निला/2011 धारा 41/411/419/420/467/468/471 भादवि थाना बनकटा देवरिया

6. मु०अ०सं० 706/2015 धारा 110जी सीआरपीसी थाना बनकटा देवरिया

7. मु०अ०सं० 151/2010 धारा 392/411 भादवि थाना खामपार देवरिया

8. मु०अ०सं० 89/2007 धारा 392 भादवि थाना मैरवा जनपद सिवान बिहार

9. मु०अ०सं० 110/2016 धारा 307/323/504/506 भादवि 7 सीएलए ऐक्ट थाना खामपार देवरिया

10. मु०अ०सं० 124/2020 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना बनकटा देवरिया

11. मु०अ०सं० 90/21 धारा 147,323,427,504 भादवि थाना बनकटा देवरिया

12. मु०अ०सं० 311/2019 धारा 341/323/353/504/34 भादवि व 45 बिहार मद्य निषेध अधि० थाना मैरवा सिवान बिहार

13. मु०अ०सं० 223/22 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना बनकटा जनपद देवरिया

14. मु०अ०सं० 420/22 धारा 160,1,145, 146, 147 रेल अधि० रेलवे सुरक्षा बल सिवान बिहार

15. मु०अ०सं० 73/2024 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना बनकटा देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. वरि० उ०नि० श्री जयप्रकाश दूबे थाना बनकटा देवरिया।

2. का० नामवर यादव थाना बनकटा देवरिया।

3. का० जितेन्द्र कुमार थाना बनकटा देवरिया।

4. का0 सज्जन चौहान थाना बनकटा देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.04.2024 जनपद देवरिया

थाना भाटपाररानी पुलिस द्वारा एक अदद तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना भाटपाररानी पुलिस द्वारा दिनांक 11.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर अमेठिया तिराहे के पास से एक अभियुक्त को एक अदद देशी तमंचा 12 बोर तथा एक अदद 12 बोर जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार करते हुए नाम पता पूँछने पर अपना नाम पता अंगेश कुमार पुत्र स्व0 कपिल देव पासवान निवासी बनकटा अमेठिया थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व एक अदद 12 बोर जिंदा कारतूस बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण:-

1. अंगेश कुमार पुत्र स्व0 कपिल देव पासवान निवासी बनकटा अमेठिया थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद देशी तमंचा 12 बोर
2. एक अदद 12 बोर जिंदा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र यादव थाना भाटपाररानी देवरिया।
2. का0 विरेन्द्र गौड़ थाना भाटपाररानी देवरिया।
3. का0 विशाल चौहान थाना भाटपाररानी देवरिया।
4. का0 विकास यादव थाना भाटपाररानी देवरिया।
5. का0 गोविन्द कुशवाहा थाना भाटपाररानी देवरिया।
6. म0का0 निर्मला यादव थाना भाटपाररानी देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.04.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 11-04-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी, अंग्रेजी शराब तथा आर्म्स एक्ट के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना एकौना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त विवेक साहनी पुत्र रामाश्रय साहनी निवासी ग्राम बेलवा दुबौली थाना एकौना देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 08 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना खामपार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त उराव पुत्र घूड़ा उराव सा0 पलमा कोठी टोली थाना घागरा जिला गुमला झारखण्ड को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 18 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. बनाम रामप्रवेश सिंह पुत्र स्व0 ज्वाला सिंह साकिन डीहाबसन्त थाना बरियारपुर जनपद देवरिया 2. छोटेलाल पुत्र हरिहर प्रसाद साकिन हरपुरकला थाना बरियारपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 18 लीटर व 13 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 12.04.2024 जनपद देवरिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के साथ क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 12.04.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा थाना सलेमपुर के संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभारी निरीक्षक सलेमपुर श्री उमेश कुमार वाजपेयी मय पुलिस टीम द्वारा कस्बा सलेमपुर, मझौलीराज व नवलपुर आदि क्षेत्रों में तथा थाना एकौना के संवेदनशील क्षेत्रों में प्रभारी निरीक्षक एकौना श्री सुनिल कुमार मय पुलिस टीम द्वारा सरांव खुर्द, सरांव बुजुर्ग, कराहकोल, लालपुर परसियां, बेलवां दुबौली, भगवान मांझा, पचलड़ी, नरायनपुर, नगवाखास व उढियां आदि क्षेत्रों में एवं थाना गौरीबाजार के संवेदनशील क्षेत्रों में थाना गौरीबाजार पुलिस टीम द्वारा कस्बा गौरीबाजार, पानन कुण्डा, पथरहट, लबकनी, इंदूपुर, बैतालपुर कस्बा व बरारी आदि क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन के तहत पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन व निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु नागरिकों को जागरूक किया गया।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक लार श्री कपिलदेव चौधरी मय पुलिस टीम व अर्द्धसैनिक बलों द्वारा ग्राम चुरिया, सुतावर, मेहरौना, बरडीहा दलपत व बरडीहा परशुराम में पैदल गस्त करते हुए एरिया डोमिनेशन किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13.04.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 12-04-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी, अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

- ➡थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त चमरा खलखो पुत्र जोजो उराँव सा0 सुरसा थाना मांडर जनपद राची (झारखण्ड) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना भलुअनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त मुन्ना मद्रेशिया पुत्र लक्ष्मी मद्रेशिया साकिन भलुअनी वार्ड नं0 12 जयप्रकाश नगर थाना भलुअनी जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 09 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना भटनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त कपिल मण्डल पुत्र रामयादी साकिन घाट बन्धौरा थाना विजयीपुर जिला गोपालगंज (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 18 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सुनील कुमार यादव पुत्र मैनेजर यादव साकिन परासखाड थाना तरकुलवा जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त कुन्दन कुमार पासवान s/o राजेश मान्झी साकिन भरौली थाना आंदर जनपद सिवान (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 48 पीस किंग फीशर बीयर अवैध शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त व्यास गुप्ता पुत्र नथुनी साकिन रतनपुरा थाना बरियारपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 17 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13.04.2024 जनपद देवरिया

थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा पशु तस्करों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही:-

दिनांक 12.04.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थानाध्यक्ष बघौचघाट द्वारा अवगत कराया गया की शातिर अभियुक्त 1.भुट्टू अली पुत्र नूरमुहम्मद निवासी तकियाबारी निकट राजापुर बाजार थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार 2.पप्पू शाह उर्फ पप्पू अली पुत्र मन्नु सेठ साकिनान अहिरौली दुबौली टोला तकिया थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज, बिहार 3.सोनू अली पुत्र संजय दिवान सा0 तकियाबारी निकट राजापुर बाजार थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज, बिहार 4.दिलमुहम्मद पुत्र मुस्लिम सा0 लतवा मुरलीधर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर उपरोक्त एक संगठित गिरोह ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर पशुओं की तस्करी करना इनका पेशा है, इस संबंध में थाना बघौचघाट में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13.04.2024 जनपद देवरिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के साथ क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 13.04.2024 को जनपद देवरिया में प्राप्त अर्द्धसैनिक बल सीआईएसएफ की कम्पनी द्वारा थाना महुआडीह के संवेदनशील क्षेत्रों में महुआडीह पुलिस टीम द्वारा रामपुर गौनरिया, लक्ष्मीपुर आदि क्षेत्रों में तथा थाना भटनी के संवेदनशील क्षेत्रों में भटनी पुलिस टीम व अर्द्धसैनिक बलों द्वारा कस्बा भटनी, नोनापार, लक्ष्मीपुर बिहार बार्डर, खोरीबारी, घाटीचौकी व एकलाम आदि क्षेत्रों में एवं थाना भाटपाररानी के संवेदनशील क्षेत्रों में भाटपाररानी पुलिस व अर्द्धसैनिक बलों द्वारा फुलवरिया, भेड़ापाकड़, चनुकी व दिस्तौली आदि क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन के तहत पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं आदर्श आचार संहिता के अनुपालन व निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु नागरिकों को जागरूक किया गया।

इसी क्रम में थाना कोतवाली पुलिस टीम व अर्द्धसैनिक बलों द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में व प्रमुख चौराहों पर पैदल गस्त करते हुए एरिया डोमिनेशन किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13.04.2024 जनपद देवरिया

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 13.04.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के द्वारा सर्किल बरहज के थाना बरहज व थाना भलुअनी तथा सर्किल रुद्रपुर के थाना मदनपुर क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी बरहज दिशा श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी बरहज श्री आदित्य कुमार गौतम क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवास्तव व सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.04.2024 जनपद देवरिया

थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा एसिड अटैक में वांछित अभियुक्त को एक अदद तमंचे व एक अदद जिंदा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।

आज दिनांक 14.04.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया के कुशल निर्देशन में देवगांव गौरीबाजार में हुए एसिड अटैक की घटना में वांछित अभियुक्त को थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर सेखुई ईंटभट्टे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ में अपना नाम व पता आकाश निषाद पुत्र गिरिश नारायन निवासी लंगडी देवकुआं थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया बताया गया। अभियुक्त उपरोक्त के पास से एक अदद 315 देशी तमंचा व एक अदद 315 बोर जिंदा कारतूस बरामद कर थाना गौरीबाजार पर धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का विवरण:-

1. आकाश निषाद पुत्र गिरिश नारायन निवासी लंगडी देवकुआं थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 156/2024 धारा 326ए भादवि थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
2. मु0अ0सं0 157/24 धारा 307 भादवि थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।
3. मु0अ0सं0 163/24 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद 315 देशी तमंचा
2. एक अदद 315 बोर जिंदा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 दिनेश कुमार मिश्र थानाध्यक्ष गौरीबाजार देवरिया।
2. उ0नि0 राघवेन्द्र सिंह थाना गौरीबाजार देवरिया।
3. का0 अनिल कुमार थाना गौरीबाजार देवरिया।
4. का0 संजीव सिंह थाना गौरीबाजार देवरिया।
5. का0 अभिनव यादव थाना गौरीबाजार देवरिया।
6. म0का0 प्रीति दुबे थाना गौरीबाजार देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.04.2024 जनपद देवरिया

थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल व एक अदद तमंचा के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 14.04.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दुलारपट्टी टोला हरखौली के पास से एक मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से पूँछ-ताछ में अपना नाम पता दीपक गुप्ता पुत्र रामध्यान गुमा निवासी खीरीडीह कवलाचक थाना विजयीपुर जनपद गोपालगंज बिहार बताया गया। अभियुक्त के पास से एक अदद 315 बोर देशी तमंचा व एक अदद 315 बोर जिंदा कारतूस बरामद किया गया व बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में कागजात मांगने पर नहीं दिखा पाए। पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूँछने पर बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मोटरसाइकिल काले रंग की स्पेलण्डर प्लस रजि0नं0 यूपी52बीएस 8756 दिनांक 15.12.2023 को पलक मैरेज लान थाना कोतवाली जनपद देवरिया से चोरी किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 1048/23 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए बरामद मोटरसाइकिल व बरामद एक अदद 315 बोर देशी तमंचा व एक अदद 315 बोर जिंदा कारतूस को कब्जे में लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकार अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी से चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1048/23 धारा 379 भादंसं का सफल अनावरण किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. दीपक गुप्ता पुत्र रामध्यान गुमा निवासी खीरीडीह कवलाचक थाना विजयीपुर जनपद गोपालगंज बिहार

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 82/2024 धारा 41/411,420,473 भादवि

2-मु0अ0सं0 83/2024 धारा 3/25 आयुध अधिनियम

बरामदगी का विवरण-

1-एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल हिरो स्पेलण्डर प्लस रजि0नं0 यूपी52बीएस 8756

2-एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाले टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 ओमप्रकाश सिंह थाना बघौचघाट जनपद देवरिया

2- हे0का0 मदनमोहन राय थाना बघौचघाट जनपद देवरिया

3. का0 अवधेश पटेल थाना बघौचघाट जनपद देवरिया

4. का0 दीपक यादव थाना बघौचघाट जनपद देवरिया

5- का0 संजय सरोज थाना बघौचघाट जनपद देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.04.2024 जनपद देवरिया

***थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा एक अदद टाटा मैजिक वाहन से अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 01**

अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया*

दिनांक 14.04.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध व अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नवादा चौराहा के निकट पड़री पुल के पास से 01 अदद टाटा मैजिक वाहन नं0 UP-57 AT-7348 से 20 पेटी 08 PM अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 01 अभियुक्त रियाजुद्दीन उर्फ राजू अंसारी पुत्र सफीजुल्लाह अंसारी साकिन ततायर खुर्द थाना खामपार जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब व वाहन को कब्जे में लेते हुए उक्त के सम्बन्ध में स्थानीय थाने पर मु0अ0सं0 95/2024 धारा-467,468,471,473 व भादवि 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. रियाजुद्दीन उर्फ राजू अंसारी पुत्र सफीजुल्लाह अंसारी साकिन ततायर खुर्द थाना खामपार जनपद देवरिया।

बरामदगी का विवरण

01. 20 पेटी 08 PM अवैध अंग्रेजी शराब

02. एक अदद टाटा मैजिक वाहन नं0 UP-57 AT-7348

गिरफ्तार करने वाली टीम:

01. व0उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।

02. उ0नि0 छोटेलाल थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।

03. उ0नि0 अनिल कुमार तिवारी थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।

04. का0 अमृतेश सिंह थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।

05. का0 मनीष कुशवाहा थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।

06. का0 विशाल सिंह थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.04.2024 जनपद देवरिया

01.जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 14-04-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी, अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

- ➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त धर्मेन्द्र गौड़ पुत्र स्व0 कमला गौड़ निवासी जमुना सदन सिन्धी मिल थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना खामपार पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. गोलू जायसवाल पुत्र रमायन जायसवाल ग्राम भिंगारी बाजार थाना खामपार जनपद देवरिया व 2. पतरु यादव पुत्र जगदीश यादव सा0 खामपार थाना खामपार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः एक प्लास्टिक के झोले में कुल 7 हाफ बोतल रायल स्टेज अंग्रेजी शराब व 5 हाफ बोतल इम्पिरीयल ब्लू अवैध अंग्रेजी शराब व 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त राम शरण राम मोची पुत्र बालक राम मोची ग्राम सहिजाना थाना सिसई जिला गुमला झारखण्ड को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 18 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त राकेश कुमार सिंह पुत्र स्व0 गुलाब सिंह साकिन रामगुलाम टोला थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 166 टेद्रा पैक कुल 200 ml बन्टी बबली अवैध देशी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

जनपद देवरिया के थाना बनकटा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम छेरिया में एक व्यक्ति जो जनपद बलिया का निवासी है अपने ससुराल अपनी पत्नी के साथ आया था, जहां पर उसकी पत्नी द्वारा उसके ऊपर गरम पानी डाल दिए जाने तथा मार पीट करने की सूचना पर थाना बनकटा में अभियोग पंजीकृत करते हुए पीड़ित की पत्नी को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.04.2024 जनपद देवरिया

अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया दक्षिणी द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 15.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा सर्किल सलेमपुर के थाना सलेमपुर क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री दीपक कुमार शुक्ला व सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक श्री उमेश कुमार वाजपेयी सहित विभिन्न अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.04.2024 जनपद देवरिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन प्रक्रिया में शान्ति/सुरक्षा ड्यूटी हेतु बाह्य जनपद रवाना होने वाले पुलिसकर्मियों की थानास्तर पर की गयी ब्रीफिंग,

सकुशल चुनाव सम्पन्न कराने व मा0 निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करने के दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की निर्वाचन प्रक्रिया में शान्ति/सुरक्षा ड्यूटी हेतु बाह्य जनपद रवाना होने वाले पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की थानास्तर पर सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा ब्रीफ करते हुए बूथ ड्यूटी, लॉ एण्ड ऑर्डर ड्यूटी तथा विभिन्न प्रकार की ड्यूटियों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर दायित्वबोध कराते हुए सकुशल चुनाव संपन्न कराने व मा0 निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन से अवगत कराते हुए अनुशासन में रहकर निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण मतदान संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

जनपद देवरिया के थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा नवादा चौराहे के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक पिकप वाहन से 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16.04.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 15-04-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी, अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त राजकुमार पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद साकिन रामगुलाम टोला थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना खामपार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त कृष्णा विश्वकर्मा पुत्र सुरेश विश्वकर्मा साकिन बतरौली थाना बनकटा जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक प्लास्टिक के झोले में कुल 29 शीशी बंटी बबली अवैध देशी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अर्जुन कुमार पुत्र काशी साकिन भलुअनी दुबे थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1. राजेश भगत पुत्र सुखलाल भगत ग्राम तान पो0 जिगी थाना कुडु जिला लोहरदगा खारखण्ड हा0मु0 देवरहा थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया, 2.अमरेंद्र प्रताप सिंह पुत्र मारकंडेय सिंह साकिन सांडा थाना गौरीबाजार देवरिया तथा 3. अभियुक्त विजयी गौड़ पुत्र बीरबल गौड़ साकिन सिरजम देई थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 11लीटर, 15लीटर व 12लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. गौतम कुमार पुत्र केशव चौहान निवासी ग्राम बेलछी बिघहा थाना अरियरी जिला शेखपुरा बिहार व 2. रितिक कुमार पुत्र जमुना लोहदा निवासी ग्राम कटरमाली जरिया थाना बेडो जिला रांची झारखण्ड को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30-30 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों क्रमशः 1. अतुल कुमार गौतम पुत्र नन्द कुमार गौतम सा0 देहवा पट्टी थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर 2. मनोज गुप्ता पुत्र शिवनाथ गुप्ता निवासी विन्दही थाना बघौचघाट जनपद देवरिया 3. संदीप राजभर पुत्र किशोर राजभर निवासी विशुनपुरा बाजार थाना बघौचघाट जनपद देवरिया तथा 4. राकेश पटेल पुत्र गोबर्धन पटेल निवासी शाहपुर भीखम थाना बघौचघाट जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 17लीटर, 17लीटर, 18लीटर व 18लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बरहज पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. सतीश यादव पुत्र शिवबचन यादव निवासी ग्राम सिसवा कारखाना थाना मधुबन जिला मऊ व 2. बृजेश कुमार पुत्र राम दरश प्रसाद साकिन पैना थाना बरहज जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 व 12 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना भटनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त बनाम कृष्णानन्द पुत्र स्व. श्रवण चौरसिया सा0 बरसाथ सिसवा थाना भटनी जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 26 बंटी बबली लाइम अवैध देशी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. रामनरेश कुशवाहा पुत्र रामचन्द्र कुशवाहा सा0 भड़सरा वार्ड नं0 08 नगर पंचायत बरियारपुर थाना बरियारपुर जनपद देवरिया व 2. सन्तोष नायक पुत्र सुलेन्द्र नायक ग्राम आजन थाना गुमला जिला गुमला झारखण्ड को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 13-13 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना मदनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अभियुक्त मुबारक अली पुत्र स्व0 शौकत अली सा0 हाजीनगर वार्ड नं0 13 मदनपुर थाना मदनपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना लार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त मोहन सिंह पुत्र स्व0 गनेश सिंह सा0 रावतपार अमेठिया थाना लार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना महुआडीह पुलिस द्वारा 06 अभियुक्तों क्रमशः 1.किशोर पुत्र सुन्नर बिन्द साकिन बरपार थाना-रामपुर काखाना जनपद देवरिया 2.केदार प्रसाद पुत्र गोबरी प्रसाद साकिन बलटिकरा थाना महुआडीह जनपद देवरिया 3.राजू पुत्र रामगणेश साकिन केशव वारी पोस्ट बरपार थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया 4. हरिन्दर यादव पुत्र रामदतन यादव ग्राम बरारी थाना महुआडीह जनपद देवरिया 5.अलीरहम अंसारी पुत्र स्व0 सराजुद्दीन अंसारी ग्राम धनौती थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया तथा 6. राजकुमार पुत्र हरि प्रसाद ग्राम बरपार थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 20 लीटर, 19 लीटर, 15 लीटर, 19 लीटर, 20 लीटर व 08 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1.बन्धन उराँव पुत्र बिरसा उराँव निवासी ग्राम ब्राह्मणडीहा थाना झिको जिला लोहरदंगा झारखण्ड 2. राम आसरे साहनी पुत्र गामा साहनी निवासी ग्राम हरपुर थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया तथा 3.मनील भगत पुत्र कलेश्वर भगत निवासी ग्राम मसमानो थाना भंडारा जिला लोहरदंगा झारखण्ड को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 11 लीटर, 11 लीटर व 20 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1.फेकू निषाद पुत्र पुरई पता जंगल पिपरा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया व 2.अनिरुद्ध निषाद पुत्र तुफानी निषाद ग्राम सरहसबह थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10-10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त जितेश यादव पुत्र प्रभू चौधरी ग्राम भरपट्टीशा टोला हुसेपुर थाना भोरे जिला गोपागंज विहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 40 शीशी बिल्लो रानी देशी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त मोहन सिंह पुत्र स्व0 गनेश सिंह सा0 रावतपार अमेठिया थाना लार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 शीशी बंटी बबली देशी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

■→थाना सुलौली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्ता सरिता देवी पत्नी राममिलन निषाद साकिन कोईलगढहा बिचला टोला थाना सुलौली जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16.04.2024 जनपद देवरिया

थाना बनकटा पुलिस द्वारा एक लम्बरी वाहन से 30 पेटी अंग्रेजी शराब किया गया बरामद, 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 15.04.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध व अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बनकटा पुलिस द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों के चेंकिंग के दौरान सुन्दरपार बैरियर के पास से एक हुण्डई वर्ना वाहन सं0 BR01CC4627 से बिहार ले जायी जा रही कुल 30 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 01 अभियुक्त 1.रितेश कुमार दूबे पुत्र उमेश दूबे, निवासी जगतपुर थाना लकड़ी नबीगंज बसन्तपुर, जनपद सीवान, (बिहार) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त, बरामद शराब व वाहन को कब्जे में लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रितेश कुमार दूबे पुत्र उमेश दूबे, निवासी जगतपुर थाना लकड़ी नबीगंज बसन्तपुर, जनपद सीवान, बिहार

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद हुण्डई वर्ना वाहन सं0 BR01CC4627

2. 30 पेटी ऑफिसर चॉइस अंग्रेजी शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01.थानाध्यक्ष उ0नि0 अमित कुमार राय, थाना बनकटा जनपद देवरिया।

02.वरि0उ0नि0 जय प्रकाश दूबे, थाना बनकटा, जनपद देवरिया।

03.उ0नि0 अनिल कुमार थाना बनकटा जनपद देवरिया।

04.प्रशिक्षु उ0नि0 आलोक रंजन सिंह थाना बनकटा, जनपद देवरिया।

05.मु0आ0 प्रमोद प्रजापति थाना बनकटा जनपद देवरिया।

06.मु0आ0 राणाप्रताप सिंह, थाना बनकटा, जनपद देवरिया।

07.का0 जितेन्द्र यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया ।

08.का0 आशीष सिंह थाना बनकटा जनपद देवरिया।

09.का0 नामवर सिंह थाना बनकटा जनपद देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16.04.2024 जनपद देवरिया

थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा दो पिकअप वाहन समेत 06 गोवंशीय पशुओं का किया गया बरामद, एक देशी तमंचा सहित 04 तस्करोँ को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 16.04.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में थाना सलेमपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर नदावर पुल के पास से पिकअप वाहन संख्या UP 52AT 2763 से 03 राशि गोवंश सहित 1.अभियुक्त विपुल चौरसिया पुत्र विजय चौरसिया, निवासी- पैना, थाना बरहज, जनपद देवरिया तथा पिकप वाहन संख्या UP 52AT 4511 से 03 राशि गोवंश के साथ 2.अभियुक्त मोहित कुमार पुत्र विनोद श्रीवास्तव, निवासी- ग्राम रुईया पोस्ट बंगरा, थाना जीरादेई, जनपद सीवान, (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों से पूँछताछ पर मझौली मोड़ के पास से उनके दो साथियों क्रमशः 3.अनिल चौरसिया पुत्र गौरी चौरसिया निवासी पैना थाना बरहज जनपद देवरिया व 4. शुभम कुशवाहा पुत्र बलिराम कुशवाहा निवासी सिकटिया दिनाचक थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों, बरामद गोवंशीय पशुओं, अवैध तमन्चा व वाहनों को कब्जे में लेते हुए थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1.विपुल चौरसिया पुत्र विजय चौरसिया निवासी पैना थाना बरहज जनपद देवरिया।
- 2.मोहित कुमार श्रीवास्तव पुत्र विनोद श्रीवास्तव निवासी रुईया थाना जीरादेई जनपद सिवान (बिहार)
- 3.अनिल चौरसिया पुत्र गौरी चौरसिया निवासी पैना थाना बरहज जनपद देवरिया।
- 4.शुभम कुशवाहा पुत्र बलिराम कुशवाहा निवासी सिकटिया दिनाचक थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 06 अदद गोवंशीय
2. 02 पिकअप वाहन (UP 52AT 2763 व UP 52AT 4511)
3. 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 नीरज सिंह यादव, थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया,
2. उ0नि0 निरंजन लाल, थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया,
3. उ0नि0 नितिन शाहू थाना सलेमपुर जनपद देवरिया,
4. हे0का0 कविभूषण सिंह, थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया,
5. का0 गुलशन सोनकर, थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया,
6. का0 रितेश सोनकर, थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया,
7. का0 शम्भू सिंह, थाना सलेमपुर, जनपद देवरिया
8. का0 आलोक सिंह यादव थाना सलेमपुर जनपद देवरिया
9. का0 चन्दन गहलौत थाना सलेमपुर जनपद देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 17.04.2024 जनपद देवरिया

01.जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 16-04-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी, अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अजीत कुमार मिश्रा पुत्र स्व0 शंकर मिश्रा ग्राम अहिल्यापुर थाना बरियारपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना खामपार पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1.भीम कर्मलीय पुत्र तपेश्वर कर्मलीय ग्राम – मान्डू थाना मान्डू जिला रामगढ झारखण्ड व 2. राम उराव पुत्र मांगा उराव सा0 खुरहा टोला थाना बेड़ो जिला राँची झारखण्ड को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10-10 लीटर शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना एकौना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गुलाब चौहान पुत्र स्व0 छोटकन चौहान निवासी ग्राम बेलवा दुबौली, थाना एकौना जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 09 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1.श्यामबदन राजभर पुत्र स्व0 ईश्वर राजभर ग्राम पथरदेवा थाना तरकुलवा जनपद देवरिया तथा 2. सीमा देवी पत्नी भरत पटेल निवासी सिरसिया गोठा थाना तरकुलवा जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 30-30 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना भाटपाररानी पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. बृजेश साहनी पुत्र मुन्ना साहनी ग्रा0 रोपन छपरा थाना लार जनपद देवरिया व 2. राजू कुमार तिवारी पुत्र लाल बाबू तिवारी निवासी ग्राम व पोस्ट महम्मदपुर ,मथानपुर ,जनपद सारन,बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 26 शीशी बंटी बबली देशी शराब व 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बरहज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त राजेश यादव उर्फ गिरीश पुत्र सुदामा यादव निवासी पैना थाना बरहज जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 08 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना भटनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सुरेश बासफोर पुत्र तिलंगी बासफोर निवासी ग्राम कुटिया पोस्ट छितौना थाना बिजयीपुर जिला गोपालपुर बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 28 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना महुआडीह पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त रामवेलास सिंह S/O स्व0 नागू ग्रा0 सोनबरसा थाना महुआडीह जनपद- देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 18 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना लार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त नागेन्द्र कुमार पुत्र कैलाश सा0 वैशकरनी वार्ड थाना लार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. रामप्रताप निषाद पुत्र बुद्धिराम साकिन गणेशपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया व 2. राजू राजकेश्वर उरांव पुत्र मनमोहन उरांव निवासी ग्राम जमगही थाना घाघरा जनपद गुमला (झारखण्ड) को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 09 लीटर व 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 17.04.2024 जनपद देवरिया

बनकटा पुलिस टीम द्वारा 1.776 किलो गांजे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 16.04.2024 को क्षेत्राधिकारी सलेमपुर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बनकटा पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर थाना बनकटा क्षेत्रान्तर्गत कुटियाभर गांव के पास 1.776 किलो गांजा जिसकी बाजारु कीमत लगभग 18 हजार बरामद करते हुए 01 अभियुक्त राज कुमार गौड़ पुत्र गोरख गौड़ निवासी कुटियाभर, रतसिया थाना बनकटा जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना बनकटा पर धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 1.776 किलो गांजा

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. राज कुमार गौड़ पुत्र गोरख गौड़ निवासी कुटियाभर, रतसिया थाना बनकटा जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अनिल कुमार राय थाना बनकटा जनपद देवरिया

2. उ0नि0 रामप्रताप कन्नौजिया थाना बनकटा जनपद देवरिया

3. का0 नामवर यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 17.04.2024 जनपद देवरिया।

थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर लूट की घटना का किया गया सफल
अनावरण, लूट के पूरे रूपये व अवैध शस्त्र के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.04.2024 को श्री पिन्दू उर्फ मुकेश त्यागी पुत्र रामभूल त्यागी निवासी-मोदीनगर फिरोजपुर थाना नेवाड़ी जनपद गाजियाबाद अपने भाई की शादी के लिए गोविन्द गौड़ पुत्र छोटेलाल गौड़ निवासी-परसिया अहिर थाना कोतवाली जनपद देवरिया के माध्यम से अपने भाई समेत कुल 04 लोग सलेमपुर स्टेशन के पास चार पहिया वाहन से आये थे, जहां पर स्थित एक छोटे से मन्दिर में गोविन्द गौड़ द्वारा लायी गयी लड़की को देखने के उपरान्त उससे उसके भाई का विवाह सम्पन्न हुआ तथा सलेमपुर कस्बे में इन लोगों द्वारा शॉपिंग भी की गयी तथा उसके उपरान्त वापस जा रहे थे कि थाना खुखुन्दू क्षेत्रान्तर्गत भरथुआ चौराहे के पास एक चार पहिया वाहन यूपी.43.एस.6666 से गोविन्द गौड़ (अगुवा) उपरोक्त व अन्य द्वारा ओवरटेक कर उनके पास रखे 14 हजार 200 रूपये लूट लिये गये तथा वादी के भाई व उसकी नवविवाहिता पत्नी को तमंचा व चाकू के बल पर अपनी गाड़ी में बैठाकर जबरदस्ती वहां से भाग गये थे। वादी श्री मुकेश त्यागी उपरोक्त की तहरीर के आधार पर थाना खुखुन्दू में मु0अ0सं0-149/2024 धारा-364,392 भादंसं का अभियोग गोविन्द गौड़ पुत्र छोटेलाल गौड़ निवासी-परसिया अहिर थाना कोतवाली जनपद देवरिया व 03 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत करते हुए आज दिनांक 17.04.2024 को थाना खुखुन्दू पुलिस द्वारा 24 घण्टे के अन्दर घटना का अनावरण करते हुए कतरारी चौराहे के पास से वाहन यूपी.43.एस.6666 में से वादी के भाई को बरामद करते हुए अभियुक्तगण 01. गोविन्द गौड़ पुत्र छोटेलाल गौड़ निवासी-परसिया अहिर थाना कोतवाली जनपद देवरिया 02.रामप्रवेश राजभर पुत्र रामदरश राजभर निवासी-हरैया थाना सुरौली जनपद देवरिया, 03.धनेश कुमार गौड़ पुत्र बृजभान गौड़ निवासी-परसिया अहिर थाना कोतवाली जनपद देवरिया, 04.बबलू मद्धेशिया पुत्र रामबहार मद्धेशिया निवासी-रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया, जिनकी शिनाख्त वादी मुकदमा द्वारा की गयी, जिनके पास से लूट के 14 हजार 90 रूपये, 02 अदद देशी तमन्चा, 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद चाकू बरामद किया गया, अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा मिलकर वादी उपरोक्त को अपने झांसे में लेकर शादी कराने के बहाने देवरिया बुलाकर उनके साथ लूट की घटना कारित करने का षडयन्त्र बनाया गया था, जिसमें लड़की भी हम लोगों के साथ मिली हुई थी जिसे हम लोगों द्वारा सोनूघाट के पास छोड़ दिया गया था जो वहां से वापस चली गयी थी। पुलिस टीम द्वारा बरामद लूट के रूपये, तमंचा, कारतूस व चाकू घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन को कब्जे में लेकर अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

01. गोविन्द गौड़ पुत्र छोटेलाल गौड़ निवासी-परसिया अहिर थाना कोतवाली जनपद देवरिया
- 02.रामप्रवेश राजभर पुत्र रामदरश राजभर निवासी-हरैया थाना सुरौली जनपद देवरिया,
- 03.धनेश कुमार गौड़ पुत्र बृजभान गौड़ निवासी-परसिया अहिर थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
- 04.बबलू मद्धेशिया पुत्र रामबहार मद्धेशिया निवासी-रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

- 01.घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन यूपी.43.एस.6666
- 02.लूट के 14090रु0
- 03.दो अदद देशी तमन्चा व 02 अदद जिन्दा कारतूस,
- 04.दो अदद चाकू।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 01.प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार सिंह थाना खुखुन्दू देवरिया,

02.उ0नि0 लवकुश कुमार, थाना खुखुन्दू देवरिया

03.कां0 गिरजेश यादव थाना खुखुन्दू देवरिया

04.कां0 सोनू यादव थाना खुखुन्दू देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 17.04.2024 जनपद देवरिया।

थाना बनकटा पुलिस द्वारा चोरी की वाहन से शराब तस्करी करने वाले 02 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए, चोरी की 07 मोटरसाइकिलों सहित अवैध शराब किया गया बरामद।

दिनांक 16.04.2024 को थाना बनकटा पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल संख्या बीआर.04.एडी.5577 से 02 अभियुक्तों क्रमशः 01.शुभम कुमार पुत्र छट्टू लाल प्रसाद निवासी-मौलेश्वरी चौक थाना टाउन जनपद सिवान (बिहार) 02.पप्पू मद्धेशिया पुत्र मुन्ना मद्धेशिया निवासी-सिसयी बाजार थाना भोरे जनपद गोपालगंज (बिहार) को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 80 पाउच अंग्रेजी शराब बरामद किया गया। मोटरसाइकिल की जांच से पाया गया कि उक्त मोटरसाइकिल दिनांक 08.06.2023 को कलेक्ट्रेट परिसर छपरा से चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना नगर सारण (बिहार) मु0अ0सं0-473/2023 धारा-379 भादंसं का अभियोग पंजीकृत होना पाया गया। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करके उससे शराब तस्करी का कार्य किया जाता है तथा ग्राहक मिलने पर मोटरसाइकिल को भी बेच दिया जाता है। अभियुक्तों की निशानदेही पर ग्राम छापरा जाने वाली रोड़ के पास स्याही नदी पुलिया के नीचे झाड़ियों में छिपाकर रखी गयी कुल 06 अदद चोरी की मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया। जिसमें मोटरसाइकिल ग्लैमर बीआर.04.एडी.9437 को दिनांक 21.03.2023 को न्यायालय परिसर छपरा से चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना नगर सारण पर पंजीकृत मु0अ0सं0-267/2023 धारा-379 भादंसं का अभियोग पंजीकृत होना पाया गया, मोटरसाइकिल टीवीएस अपाची बीआर.05.ई.6212, मोटरसाइकिल टीवीएस विक्टर बीआर.05.एजी.1085, मोटरसाइकिल पल्सर यूपी.60.डब्लू. 5112, मोटरसाइकिल पैशन प्रो बीआर.28.क्यू.0325, मोटरसाइकिल स्पलैण्डर प्लस बिना नम्बर के सम्बन्ध में जांच की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा चोरी की कुल बरामद 07 मोटरसाइकिलों व 80 पाउच अंग्रेजी शराब को कब्जे में लेकर अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 01.शुभम कुमार पुत्र छट्टू लाल प्रसाद निवासी-मौलेश्वरी चौक थाना टाउन जनपद सिवान (बिहार)
 - 02.पप्पू मद्धेशिया पुत्र मुन्ना मद्धेशिया निवासी-सिसयी बाजार थाना भोरे जनपद गोपालगंज (बिहार)
- बरामदगी का विवरण:-**

- 01.चोरी की कुल 07 अदद मोटरसाइकिल,
- 02.अंग्रेजी शराब कुल 80 पाउच।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 01.उ0नि0 अमित कुमार राय थानाध्यक्ष थाना बनकटा देवरिया,
- 02.व0उ0नि0 जयप्रकाश दुबे थाना बनकटा देवरिया,
- 03.उ0नि0 विरेन्द्र कुमार थाना बनकटा देवरिया
- 04.उ0नि0 सुशान्त पाठक थाना बनकटा देवरिया
- 05.मु0आ0 प्रमोद प्रजापति थाना बनकटा देवरिया
- 06.कां0 धीरज कुशवाहा थाना बनकटा देवरिया
- 07.कां0 किशलय कन्नौजिया थाना बनकटा देवरिया
- 08.कां0 सज्जन चौहान थाना बनकटा देवरिया
- 09.म0कां0 सुमन यादव थाना बनकटा देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 17.04.2024 जनपद देवरिया

थाना एकौना पुलिस द्वारा एक अदद तमंचे व एक अदद जिंदा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 17.04.2024 को थाना एकौना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नारायनपुर चौराहा के पास से एक अदद तमंचे व एक अदद जिंदा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त भीम यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी- संचौली पटवनिया थाना एकौना जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना एकौना पर आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. भीम यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी- संचौली पटवनिया थाना एकौना जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 मान सिंह थाना एकौना जनपद देवरिया

2. का0 राहुल यादव थाना एकौना जनपद देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 17.04.2024 जनपद देवरिया

थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा एक अदद देशी तमंचे के साथ एक हिश्ट्रीशीटर को किया गया गिरफ्तार।

आज दिनांक 16.04.2024 को थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर करियहवा पुल के पास से एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व एक अदद 12 बोर जिंदा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गोलू निषाद पुत्र सत्यवान निषाद सा0 जंगल पिपरा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना रुद्रपुर पर आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद 12 बोर तमंचा व 01 अदद 12 बोर जिंदा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. गोलू निषाद पुत्र सत्यवान निषाद सा0 जंगल पिपरा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 372/16 धारा 41/411 भा0द0वि0 थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
2. मु0अ0सं0 799/16 धारा 379 भा0द0वि0 थाना खोराबार गोरखपुर।
3. मु0अ0सं0 135/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
4. मु0अ0सं0 189/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री लालजी थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
2. का0 अजय कुमार यादव थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
3. का0 चन्द्रकान्त गोड थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
4. का0शैलेन्द्र यादव थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 18.04.2024 जनपद देवरिया

थाना एकौना पुलिस द्वारा एक अदद तमंचे व एक अदद जिंदा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 18.04.2024 को थाना एकौना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नगवा खास के पास 01 अभियुक्त दीवान साहनी पुत्र जयचंद साहनी निवासी भिरवा पोस्ट नगवाखास थाना एकौना जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद 315 बोर जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना एकौना पर आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद 315 बोर जिंदा कारतूस।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. दीवान साहनी पुत्र जयचंद साहनी निवासी भिरवा पोस्ट नगवाखास थाना एकौना जनपद देवरिया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार, थाना एकौना जनपद देवरिया,
2. उ०नि० विनय सिंह, थाना एकौना जनपद देवरिया,
3. कां० सोनू भारती, थाना एकौना जनपद देवरिया,
2. कां० अमरजीत कुमार, थाना एकौना जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.04.2024 जनपद देवरिया

थाना बरहज पुलिस द्वारा एक ट्रक वाहन से 25 गौवंशीय पशु व 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया तथा एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 18.04.2024 को थाना बरहज पुलिस द्वारा पर कपरवार बैरियर के पास से वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक वाहन सं० यूपी 45 टी 2414 पर लदे 25 राशि गौवंशीय पशु व 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया तथा एक अभियुक्त पप्पू उर्फ नन्हे नट पुत्र नजरुद्दीन निवासी लेदरहीं थाना खेता सराय जनपद जौनपुर को गिरफ्तार किया गया। बरामद ट्रक, 500 ग्राम गांजा, 25 राशि गौवंशीय पशुओं को कब्जे में लेते हुए थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. पप्पू उर्फ नन्हे नट पुत्र नजरुद्दीन निवासी लेदरहीं थाना खेता सराय जनपद जौनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक ट्रक वाहन सं० यूपी 45 टी 2414

2. गौवंशीय पशु 25 राशि

3. गांजा 500 ग्राम

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ०नि० महेन्द्र मोहन मिश्र थाना बरहज जनपद देवरिया।

2. उ०नि० सुभाष चन्द्र यादव थाना बरहज जनपद देवरिया।

3. उ०नि० अंकित यादव थाना बरहज जनपद देवरिया।

4. हे०कां० पवन राव थाना बरहज जनपद देवरिया।

5.. कां० मंशोक कुमार थाना बरहज जनपद देवरिया।

6. कां० धर्मराज गुप्ता थाना बरहज जनपद देवरिया।

7. कां० मुन्ना खरवार थाना बरहज जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 20.04.2024 जनपद देवरिया

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 20.04.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के द्वारा सर्किल नगर के थाना तरकुलवा क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी व सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत तथा क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर श्री अंशुमान श्रीवास्तव द्वारा थाना रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक निरीक्षण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 21.04.2024 जनपद देवरिया

01.जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 20-04-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी, अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त श्यामदेव उर्फ विराट यादव पुत्र चंद्रदेव यादव ग्राम खैरटिया थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. सुदर्शन प्रजापति पुत्र सुवित प्रजापति निवासी चैनपुर थाना विजयीपुर जनपद गोपालगंज बिहार व 2.अच्छेलाल पुत्र कैलाश यादव निवासी चैनपुर थाना विजयीपुर जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 19-19 लीटर शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सुकून उरांव पुत्र सहादेव उरांव साकिन चपका थाना घाघरा जिला गुमला झारखण्ड को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1. वोधना उरांव पुत्र समरा उरांव सा0 कुटमू चिगला टोली थाना लोहरदग्गा जनपद लोहरदग्गा झारखण्ड, 2.बांसदेव उरांव पुत्र सुकरा उरांव सा0 बोडो अम्बा टोली थाना सिसई जिला गुमला झारखण्ड तथा 3. सोनू महली पुत्र महावीर महली सा0 सा0 वझिला पोखर टोली थाना माण्डर जिला रांची झारखण्ड हाल मुकाम गबू यादव का ईंट भट्टा भरौटा थाना बरियारपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 18 लीटर, 12 लीटर तथा 14 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना मदनपुर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1.बृजेश राजभर पुत्र टेंगर राजभर साकिन सकतपुर थाना मदनपुर जनपद देवरिया, 2.उमेश राजभर पुत्र मुख्खू लाल राजभर साकिन सकतपुर थाना मदनपुर जनपद देवरिया व 3. राजकुमार पुत्र राममाजूब साकिन करायलशउक्ल थाना मदनपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 18 लीटर, 19 लीटर व 12 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बरहज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त रामसरेश पासवान (पासी) S/O स्व0 श्री वंशी पासी नि0 खाली टोला कटईलवा थाना बरहज जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना सुरौली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त अजीत राजभर पुत्र स्व0 रामसेवक निवासी ग्रा0 पो0 फतेहपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. भीखारी उराँव पुत्र समय उराँव ग्राम माईल बाडो टोली पोस्ट देवाली थाना घाघरा जिला गुमला झारखण्ड व 2. सुखराम उराँव पुत्र भोला निवासी ग्राम लुट्टो अम्बा टोली थाना गुमला जनपद गुमला झारखण्ड को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10-10 लीटर शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.04.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 21-04-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी, अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. गुड़िया महली पत्नी कृष्णा महली निवासी ग्राम मन्हो थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा झारखण्ड व 2. नारेन्द्र उराँव पुत्र गत्ती उराँव निवासी ग्राम गंगौलिया थाना सेमरा बाजार जनपद बगहा बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 38 लीटर व 19 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1.सुजीत बैठा पुत्र स्व0 रामप्रवेश बैठा सा0 कुसौधी थाना मीरगंज जनपद गोपालगंज (बिहार) 2. विशाल यादव पुत्र संजय यादव सा0 मालीछापर थाना खामपार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक चार पहिया वाहन टाटा गुड्स कैरियर रंग लाल रजि0 नं0 BR29N1492 से 585 पाउच अवैध देशी शराब बन्टी बबली ट्रेट्टा पैक बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त उदयभान पुत्र स्व0रामदास प्रसाद ग्राम हरपुर निजाम थाना तरकुलवा जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बरहज पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. प्रभात जायसवाल पुत्र गोविंद जायसवाल निवासी गौरा जयनगर PS बरहज जनपद देवरिया तथा 2. रामाश्रय प्रसाद पुत्र स्व0 बनवारी प्रसाद सा0 विशुनपुर देवार थाना बरहज देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 09 लीटर तथा 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना महुआडीह पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1.उमेश प्रसाद पुत्र सेवक सा0 भुजौली थाना महुआडीह जनपद देवरिया, 2. नन्दकिसोर पुत्र स्व0 भिखारी प्रसाद साकिन सेखौना बड़का टोला थाना महुआडीह जनपद देवरिया व 3. नरसिंह प्रसाद पुत्र स्व0 कान्ता प्रसाद साकिन सामपुर थाना महुआडीह जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 15 लीटर, 19 लीटर व 09 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना मईल पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. श्यामसुन्दर उराव पुत्र श्याम बिहारी उराँव निवासी एकागुड़ी थाना सेंहा जनपद लोहरदगा झारखण्ड व 2. संगम कुमार पुत्र उमा शंकर निवासी ग्राम उजरा मोहॉव गौरा थाना बरहज जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10-10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

- ➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. जयप्रकाश सिंह पुत्र स्व0 राज नरायन सिंह साकिन बभनी सकरापार थाना खुखून्दु जनपद देवरिया व 2.सुनील वर्मा पुत्र स्व0 शिवनाथ वर्मा साकिन कटेया बाजार थाना कटेया जनपद गोपालगंज (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12 लीटर व 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त कृष्णमोहन प्रसाद पुत्र स्व0 राजबली साकिन बरारी बैतालपुर थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना लार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त कवीन्द्र राजभर पुत्र सुरेन्द्र राजभर ग्राम पम्पापुर थाना सिकन्दरपुर जनपद बलिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना भलुअनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त मोनू विश्वकर्मा पुत्र रामा विश्वकर्मा सा0 नदावर, थाना-सलेमपुर, जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12 लीटर शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।
- ➡थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1. सुका उराँव पुत्र हिन्दू उराँव निवासी ग्राम अंसरो थाना बेड़ो जनपद राची (झारखण्ड), 2.सुखदेव उराँव पुत्र मगरू उराँव निवासी बर्री थाना कुर्शो जनपद गुमला (झारखण्ड) व 3. अरविन्द उराँव पुत्र पुनई उराँव, निवासी महादेव डाड टोली थाना सेनहा , जनपद लोहरदगा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 09 लीटर, 10 लीटर व 13 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23.04.2024 जनपद देवरिया ।

थाना बनकटा पुलिस द्वारा चोरी के 06 मोटरपंप व एक इनवर्टर बैट्री के साथ 07 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, चोरी के 02 मुकदमों का किया गया सफल अनावरण ।

थाना बनकटा पुलिस द्वारा दिनांक 21.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर भैंसही रोड इंगुरी अण्डर पास ढाले के पास से दो मोटरसाइकिल सवार 06 अभियुक्तों को क्रमशः 1.भोला कुमार उर्फ सोनू पुत्र रमाशंकर, 2.नीरज कुमार पुत्र जयप्रकाश प्रसाद, 3.अभिजीत पासवान पुत्र रमाकान्त प्रसाद, 4.रंजन कुमार पुत्र रामप्रसाद, 5. अरुण भारती पुत्र अखिलेश प्रसाद, तथा 6. शुभम भारती पुत्र सुरेश प्रसाद निवासीगण ग्राम भैंसही थाना बनकटा जनपद देवरिया को गिरफ्तार करते हुए उनके पास चोरी के 04 मोटरपंप बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा पूँछताछ में बरामद मोटरसाइकिल व 04 अदद मोटरपंप के सम्बन्ध में उनके द्वारा बताया गया कि ये दोनों मोटरसाइकिलें हम लोगों की हैं तथा हमलोग रात में इसी से घुमते रहते हैं तथा मोटरपंप व बैटरी आदि के चोरी करते हैं तथा उसे बेंच देते हैं। अभियुक्तों की निशानदेही पर ग्राम भैंसही गाँव से अभियुक्त 7.आसिफ अली उर्फ गोलू पुत्र ऐनुल अंसारी निवासी ग्राम भैंसही थाना बनकटा जनपद देवरिया के पास से 02 मोटरपंप व एक इनवर्टर बैटरी भी बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों व बरामद मोटरपंप तथा इनवर्टर बैटरी को कब्जे में लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकार अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी से थाना बनकटा पर मोटरपंप चोरी के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 86/24 धारा 379 भादंवि बनाम अज्ञात तथा मु0अ0सं0 87/24 धारा 379 भादंवि बनाम अज्ञात का सफल अनावरण किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1.भोला कुमार उर्फ सोनू पुत्र रमाशंकर, निवासी ग्राम भैंसही थाना बनकटा जनपद देवरिया
- 2.नीरज कुमार पुत्र जयप्रकाश प्रसाद, निवासी ग्राम भैंसही थाना बनकटा जनपद देवरिया
- 3.अभिजीत पासवान पुत्र रमाकान्त प्रसाद, निवासी ग्राम भैंसही थाना बनकटा जनपद देवरिया
- 4.रंजन कुमार पुत्र रामप्रसाद, निवासी ग्राम भैंसही थाना बनकटा जनपद देवरिया
5. अरुण भारती पुत्र अखिलेश प्रसाद, निवासी ग्राम भैंसही थाना बनकटा जनपद देवरिया
6. शुभम भारती पुत्र सुरेश प्रसाद, निवासी ग्राम भैंसही थाना बनकटा जनपद देवरिया
- 7.आसिफ अली उर्फ गोलू पुत्र ऐनुल अंसारी, निवासी ग्राम भैंसही थाना बनकटा जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. 06 अदद मोटर पंप
2. एक अदद इनवर्टर बैटरी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.उ0नि0 राघवेन्द्र सिंह, थाना बनकटा जनपद देवरिया।
- 2.उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार, बनकटा जनपद देवरिया।

- 3.उ0नि0 आलोग रंजन सिंह, थाना बनकटा जनपद देवरिया।
- 4.हे0कां0 रामभुवन, थाना बनकटा जनपद देवरिया।
- 5.कां0 रवि राय, थाना बनकटा जनपद देवरिया।
- 6.कां0 सर्वेश त्रिपाठी, थाना बनकटा जनपद देवरिया।
- 7.कां0 नामवर यादव, थाना बनकटा जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23.04.2024 जनपद देवरिया

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 23.04.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के द्वारा सर्किल बरहज के थाना सुरौली क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी, क्षेत्राधिकारी बरहज श्री आदित्य कुमार गौतम व सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।

इसी क्रम में थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना श्री नन्दा प्रसाद द्वारा थाना रामपुर कारखाना क्षेत्रान्तर्गत आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों/फोर्स के ठहरने वाले स्थानों का स्थलीय व भौतिक निरीक्षण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.04.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 23-04-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी, अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना भाटपाररानी पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों क्रमशः 1. गोविन्द कुमार जायसवाल पुत्र बहादुर जायसवाल निवासी चहेल सतुन गायत्री नगर पो0 मार्किनगंज चक अहाद बडौरा पारा थाना कोतवाली गाजीपुर जनपद गाजीपुर हा0पता मुनीम देशी शराब भट्टी महुआबारी थाना भाटपाररानी देवरिया, 2. डब्लू कुमार यादव पुत्र स्व0 बाबूलाल यादव निवासी ग्राम मकदमपुर पो0 मनकठा थाना अमहरा जिला लखीसराय (बिहार), 3. राजा कुमार यादव वर्ष पुत्र धीरज कुमार राय यादव पता जितवारपुर निजामत थाना उजियारपुर जिला समस्तीपुर, बिहार व 4. मेघनाथ राय यादव पुत्र सुबोध राय यादव पता जितवारपुर चौथ थाना समस्तीपुर जिला समस्तीपुर, बिहार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 23 अदद टेट्रा पैक बन्टी बबली, 22 अदद टेट्रा पैक बन्टी बबली देशी शराब, 30 अदद टेट्रा पैक आफीसर च्वाइस अंग्रेजी शराब व 30 अदद टेट्रा पैक आफीसर च्वाइस अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.04.2024 जनपद देवरिया

श्रीरामपुर पुलिस टीम द्वारा 500 ग्राम गांजे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 24.04.2024 को थाना श्रीरामपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर थाना श्रीरामपुर क्षेत्रान्तर्गत मिश्रौली के पास 500 ग्राम गांजा जिसकी बाजारु कीमत लगभग 05 हजार बरामद करते हुए 01 अभियुक्त सुभाष प्रसाद पुत्र स्व0 रामबली प्रसाद साकिन-मिश्रौली कुर्मी टोला, थाना श्रीरामपुर, जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना श्रीरामपुर पर धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 500 ग्राम गांजा

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. सुभाष प्रसाद पुत्र स्व0 रामबली प्रसाद साकिन-मिश्रौली कुर्मी टोला, थाना श्रीरामपुर, जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. व0उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया
2. उ0नि0 श्री अनिल तिवारी थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया
3. उ0नि0 श्री दिनेश कुमार मौर्य थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया
4. हे0का0 राजू प्रसाद थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया

प्रेस विज्ञापित दिनांक 24.04.2024 जनपद देवरिया

थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल व एक अदद तमंचा के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

दिनांक 23.04.2024 को थाना सलेमपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर सोहनाग रेलवे ढाला क्रासिंग के पास से चोरी की एक मोटर साइकिल व एक अदद तमंचा 315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ दो अभियुक्तों 01. रामसरीखा पुत्र शारदा प्रसाद निवासी कसली थाना मईल जनपद देवरिया व 02. सूरज गुप्ता पुत्र स्व0 दीनानाथ गुप्ता निवासी कसली थाना मईल जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया । पुलिस टीम द्वारा बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया कि उक्त मोटरसाइकिल हम लोगों द्वारा कई माह पूर्व मईल थाना क्षेत्र से चोरी किया गया था । पुलिस टीम द्वारा रामसरीखा उपरोक्त के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । पुलिस टीम द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल, तमन्चा व कारतूस को कब्जे में लेते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रामसरीखा पुत्र शारदा प्रसाद निवासी कसली थाना मईल जनपद देवरिया
2. सूरज गुप्ता पुत्र स्व0 दीनानाथ गुप्ता निवासी कसली थाना मईल जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. चोरी की मोटरसाइकिल प्लेटिना रजि0 नं- UP52 BD8818
- 2.01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिंदा कारतूस 315

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.उ0नि0 श्री उ0नि0 निरंजन लाल थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
2. हे0का0 कविभूषण सिंह थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
3. का0 गुलशन सोनकर, थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
4. का0 हरिप्रसाद यादव, थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
5. का0 मंजीत खरवार थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.04.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 24-04-2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी, अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1. गुड्डू चौहान पुत्र अमेरिका चौहान निवासी लाहिलपर उर्फ रतनपुरा थाना बरियारपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.04.2024 जनपद देवरिया

थाना एकौना पुलिस द्वारा एक अदद तमंचे व एक अदद जिंदा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

आज दिनांक 17.04.2024 को थाना एकौना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर नारायनपुर चौराहा के पास से एक अदद तमंचे व एक अदद जिंदा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त भीम यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी- संचौली पटवनिया थाना एकौना जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना एकौना पर आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. भीम यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी- संचौली पटवनिया थाना एकौना जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 मान सिंह थाना एकौना जनपद देवरिया
2. का0 राहुल यादव थाना एकौना जनपद देवरिया

थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित पशु तस्कर को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 25.04.2024 को थाना बघौचघाट पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित मु0अ0सं0-76/2024, धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम में वांछित अभियुक्त दिलमुहम्मद पुत्र मुस्लिम निवासी ग्राम लतवा मुरलीधर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. दिलमुहम्मद पुत्र मुस्लिम निवासी ग्राम लतवा मुरलीधर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 रंजय कुमार थाना बघौचघाट जनपद देवरिया।
2. हे0का0 सुरजीत कुमार थाना बघौचघाट जनपद देवरिया।
3. कां0 गुड्डू कुमार थाना बघौचघाट जनपद देवरिया।
4. कां0 संजय सिंह थाना बघौचघाट जनपद देवरिया।

जनपद देवरिया के थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे एक पशु तस्कर को मुखबिर की सूचना पर उसके घर से गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.04.2024 जनपद देवरिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी द्वारा थाना खामपार क्षेत्रान्तर्गत पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 25.04.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत थाना खामपार क्षेत्रान्तर्गत स्थित अतिसंवेदनशील व संवेदनशील पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड बल के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, बिजली-पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया तथा थाना क्षेत्र से अन्तर्राज्यीय बार्डर बिहार से सटे क्षेत्रों पर बैरियर लगाकर सघन चेंकिंग हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिव प्रताप सिंह व थानाध्यक्ष श्री महेन्द्र चतुर्वेदी के साथ-साथ अन्य पुलिस बल मौजूद रहा।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.04.2024 जनपद देवरिया

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 25.04.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के द्वारा सर्किल भाटपाररानी के थाना भटनी क्षेत्रान्तर्गत व सर्किल सलेमपुर के थाना खुखुन्दू क्षेत्रान्तर्गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिवप्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री दीपक शुक्ल व सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.04.2024 जनपद देवरिया

लार पुलिस टीम द्वारा 1 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

आज दिनांक 25.04.2024 को थाना लार पुलिस टीम द्वारा मुखबीर की सूचना पर थाना लार क्षेत्रान्तर्गत मठ वार्ड लार में खुर्शोद ईट भट्टा के बगल कब्रिस्तान के पास बगीचा में 01 अभियुक्त अकील अहमद पुत्र जफरूल हसन निवासी खिरी मोहल्ला मठ वार्ड थाना लार जनपद देवरिया उम्र-44 वर्ष को 1 किलो 200 ग्राम गांजे के साथ जिसकी बाजारु कीमत लगभग 12 हजार बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना लार पर धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 किलो 200 ग्राम गांजा

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. अहमद पुत्र जफरूल हसन निवासी खिरी मोहल्ला मठ वार्ड थाना लार जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा (चौकी प्रभारी कस्बा लार) थाना लार , देवरिया

2. हे0का0 राजकुमार सरोजथाना लार , देवरिया

3. का0 मनोज यादव थाना लार , देवरिया

4. का0 दीपक प्रजापति थाना लार , देवरिया

5. का0 कुश कुमार गोंड थाना लार , देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 26.04.2024 जनपद देवरिया

अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया दक्षिणी द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 26.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा सर्किल सलेमपुर के थाना लार क्षेत्रान्तर्गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री दीपक शुक्ल व लार प्रभारी निरीक्षक श्री कपिलदेव चौधरी सहित विभिन्न अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिवप्रताप सिंह द्वारा थाना भटनी क्षेत्रान्तर्गत एवं समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले पोलिंग बूथों व वाह्य जनपद से प्राप्त बल के ठहरने वाले स्थानों का निरीक्षण किया गया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.04.2024 जनपद देवरिया

*** लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद के एफएसटी टीमों द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की की गयी चेकिंग।***

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में गठित एफएसटी टीमों द्वारा जनपद क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध स्थानों, अन्तर्राज्यीय बार्डर, महत्वपूर्ण बैरियरों के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.04.2024 जनपद देवरिया।

अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया दक्षिणी द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 27.04.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा सर्किल सलेमपुर के थाना बरियारपुर क्षेत्रान्तर्गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। इस दौरान थाना बरियारपुर पुलिस सहित विभिन्न अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिवप्रताप सिंह द्वारा थाना भाटपाररानी व थाना खामपार क्षेत्रान्तर्गत एवं समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले पोलिंग बूथों व बाह्य जनपद से प्राप्त बल के ठहरने वाले स्थानों का निरीक्षण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.04.2024 जनपद देवरिया

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 27.04.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के द्वारा सर्किल नगर के थाना तरकुलवा व थाना बघौचघाट क्षेत्रान्तर्गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया एवं सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी नगर, क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी व सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.04.2024 जनपद देवरिया

थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा एक मैजिक वाहन से 06 अदद गोवंश बरामद करते हुए 02 तस्करों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में अपराध व अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 29.04.2024 को मुखबिर की सूचना पर चकिया कोठी के पास से एक मैजिक वाहन सं० यूपी52 टी 5275 से 06 अदद गोवंश बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. मुलाजिम मियां पुत्र सैय्यद मियां निवासी ग्राम रेडवरिया तिवारी थाना भोरे जनपद गोपालगंज बिहार व 2. जमादार यादव पुत्र गिरिजा यादव निवासी भगतौली टोला पिपरा बाबू पट्टी थाना खामपार जनपद देवरिया को गिरफ्तार करते हुए थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. मुलाजिम मियां पुत्र सैय्यद मियां निवासी ग्राम रेडवरिया तिवारी थाना भोरे जनपद गोपालगंज (बिहार),
2. जमादार यादव पुत्र गिरिजा यादव निवासी भगतौली टोला पिपरा बाबू पट्टी थाना खामपार जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद मैजिक वाहन सं० यूपी52 टी 5275
2. गोवंश 06 अदद

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ०नि० प्रमोद पाठक थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया
2. उ०नि० अनिल कुमार तिवारी थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया
3. उ०नि० दीनबंधु राय थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया
4. हे०का० शाहनवाज अली थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया
5. हे०का० धीरेन्द्र कुमार राय थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया
6. हे०का० मुकेश शाह थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.04.2024 जनपद देवरिया ।

थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा चोरी एक मोटरसाइकिल, एक अदद पिस्टल व एक अदद जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

आज दिनांक 29.04.2024 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान बंजरिया मोड़ के पास से एक बुलेट मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त से पूँछताछ करने पर अपना नाम पता रणजीत यादव पुत्र बसंत यादव निवासी कैथवलिया थाना तरकुलवा जनपद देवरिया बताया गया। अभियुक्त के पास से एक अदद पिस्टल 32 बोर व एक अदद 32 बोर जिंदा कारतूस बरामद हुआ। बरामद बुलेट मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि बुलेट मोटरसाइकिल को मेरे द्वारा बहुत पहले बिहार के विजयीपुर से चोरी किया गया है तथा इसका नम्बर प्लेट भी बदल दिया गया है। पुलिस टीम द्वारा बरामद बुलेट मोटरसाइकिल, बरामद पिस्टल व कारतूस को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रणजीत यादव पुत्र बसंत यादव निवासी कैथवलिया थाना तरकुलवा जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद काले रंग की बुलेट मोटरसाइकिल
2. एक अदद पिस्टल 32 बोर
3. एक अदद कारतूस 32 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ०नि० राजमणि सिंह थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।
2. हे०कां० मनोज गुप्ता थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।
3. कां० बृजेश पाण्डेय थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।
4. कां० गोरख प्रसाद थाना तरकुलवा जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 30.04.2024 जनपद देवरिया

थाना खामपार पुलिस द्वारा 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में थाना खामपार पुलिस द्वारा आज दिनांक 30.04.2024 मुखबिर की सूचना पर भठवा तिवारी मोड़ के पास एक अभियुक्त रियासत पुत्र वजीर मुहम्मद निवासी बखरी थाना खामपार जनपद देवरिया को एक अदद तमंचा 12 बोर व एक अदद 12 बोर जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम द्वारा तमंचा व कारतूस को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रियासत पुत्र वजीर मुहम्मद निवासी बखरी थाना खामपार जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमंचा 12 बोर
2. एक अदद 12 बोर जिंदा कारतूस

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 25/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना भटनी जनपद देवरिया।
2. मु0अ0सं0 103/2024 धारा 3(1) गैंगेस्टर अधिनियम थाना भटनी जनपद देवरिया।
3. मु0अ0सं0 30/2024 धारा 506 भादवि थाना खामपार जनपद देवरिया।
4. मु0अ0सं0 102/2024 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना खामपार जनपद देवरिया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी थानाध्यक्ष खामपार जनपद देवरिया।
2. उ0नि0 देवेन्द्र प्रताप थाना खामपार जनपद देवरिया।
3. उ0नि0 प्रियांशु दूबे थाना खामपार जनपद देवरिया।
4. कां0 सौरभ सिंह थाना खामपार जनपद देवरिया।
5. कां0 उपेन्द्र यादव थाना खामपार जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.05.2024 जनपद देवरिया

दिनांक 30.04.2024 को थाना भलुअनी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तेनुआ चौबे में मारपीट के दौरान एक व्यक्ति अशोक चौबे पुत्र सदानन्द चौबे उम्र 65 वर्ष के मृत्यु होने जाने के सम्बन्ध में वादी संजय चौबे पुत्र स्व0अशोक चौबे निवासी तेनुआ चौबे की तहरीर के आधार पर थाना भलुअनी में मु0अ0सं0 76/24 धारा 147,148,323,504,506 व 302 भादंवि का अभियोग 10 नामजद व दो-तीन अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा कुल 10 अभियुक्तों क्रमशः:1.किशन कुमार पुत्र सुभाष प्रसाद ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया 2.मुकेश पासवान पुत्र परदेशी पासवान ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया 3. मोनू पासवान पुत्र होशिला पासवान ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया 4.मीरा पासवान पत्नी होशिला पासवान ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया 5. मुकेश पासवान पुत्र रामकिशुन पासवान ग्राम चकदेहिज थाना चौरी जनपद गोरखपुर 6.श्रीराम पासवान पुत्र हरिद्वार पासवान ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया 7.पन्नेलाल पासवान पुत्र कोलाहल ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया 8. सोनू पासवान पुत्र होशिला ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया 9. रुदल भारती पुत्र अभि भारती ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया 10. मनीष प्रसाद पुत्र सुभाष प्रसाद ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1.किशन कुमार पुत्र सुभाष प्रसाद ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया
- 2.मुकेश पासवान पुत्र परदेशी पासवान ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया
3. मोनू पासवान पुत्र होशिला पासवान ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया
- 4.मीरा पासवान पत्नी होशिला पासवान ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया
5. मुकेश पासवान पुत्र रामकिशुन पासवान ग्राम चकदेहिज थाना चौरी जनपद गोरखपुर
- 6.श्रीराम पासवान पुत्र हरिद्वार पासवान ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया
7. पन्नेलाल पासवान पुत्र कोलाहल ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया
8. सोनू पासवान पुत्र होशिला ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया
9. रुदल भारती पुत्र अभि भारती ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया
10. मनीष प्रसाद पुत्र सुभाष प्रसाद ग्राम तेनुआ चौबे थाना भलुअनी जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्रीमती अर्चना सिंह थाना भलुअनी जनपद देवरिया।
2. उ0नि0 श्री अविनाश मौर्या थाना भलुअनी जनपद देवरिया।
3. उ0नि0 श्री आशीष तिवारी थाना भलुअनी जनपद देवरिया।
4. उ0नि0 श्री रामअवध यादव थाना भलुअनी जनपद देवरिया।
5. उ0नि0 श्री रमेश चन्द्र तिवारी थाना भलुअनी जनपद देवरिया।
6. उ0नि0 सुश्री ज्योति थाना भलुअनी जनपद देवरिया।
7. हे0का0 रमेश सिंह यादव थाना भलुअनी जनपद देवरिया।
8. का0 विजेद्र कुमार यादव थाना भलुअनी जनपद देवरिया।
9. का0 कमलेश चौहान थाना भलुअनी जनपद देवरिया।
10. का0 अनिल यादव थाना भलुअनी जनपद देवरिया।
11. का0 श्रीकान्त बिन्द थाना भलुअनी जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 01.05.2024 जनपद देवरिया।

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 01.05.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के द्वारा सर्किल भाटपाररानी के थाना भटनी क्षेत्रान्तर्गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया एवं विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिवप्रताप सिंह व सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04.05.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 03.05.2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी, अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना लार पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1. लल्लन राजभर पुत्र सुखदेव राजभर सा0- आदर्शनगर महाल मंझरिया थाना लार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना भाटपाररानी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1. अमरनाथ सिंह पुत्र स्व0 बूटन सिंह ग्राम काकन डेहरा थाना सन्देश जनपद आरा (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक सफेद झोले में 22 शीशी झूम देशी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. सिकन्दर महली पुत्र सहदेव महली साकिन फोरी थाना गुमला जिला गुमला (झारखण्ड) व 2. बिट्टू राजभर पुत्र कुबेर राजभर साकिन सरैया थाना बरियारपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 व 12 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना महुआडीह पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों क्रमशः 1. कैलाश पुत्र अदालत पासवान साकिन सेखौना थाना महुआडीह जनपद देवरिया, 2. केदार पुत्र रामानन्द साकिन सवरेजी मनी थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया तथा 3. चन्द्रिका सिंह पुत्र स्व0 रेखा सिंह साकिन रामपुर चन्द्रभान अमेतही थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 10 ,18 व 12 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1. प्रीतम कुमार पुत्र हरिन्द्र प्रसाद साकिन-जी0एस0 बंगरा थाना जलालपुर जिला छपरा बिहार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक बोरे में 96 पाउच 08 पीएम अवैध अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04.05.2024 जनपद देवरिया

जिलाधिकारी देवरिया एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया

आज दिनांक 04.05.2024 को जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के द्वारा सर्किल बरहज के थाना बरहज व थाना मईल क्षेत्रान्तर्गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया तथा वाह्य जनपद से प्राप्त पुलिस बल के ठहरने वाले स्थानों व चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी बरहज व सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.05.2024 जनपद देवरिया

अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया दक्षिणी द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में विद्यालयों एवं पोलिंग बूथों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 07.05.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा सर्किल भाटपाररानी के थाना श्रीरामपुर क्षेत्रान्तर्गत लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत पोलिंग बूथों का स्थलीय व भौतिक सत्यापन किया गया चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक थाना श्रीरामपुर श्री कल्याण सिंह सागर सहित विभिन्न अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.05.2024 जनपद देवरिया

थाना भाटपाररानी पुलिस द्वारा एक पिकअप वाहन समेत 03 गोवंशीय पशुओं का किया गया बरामद, एक देशी तमंचा सहित 01 तस्कर को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 07.05.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में थाना भाटपाररानी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर धरवारा पुलबदह ग्राम दिस्तौली के पास से पिकअप वाहन संख्या UP53CT 8195 से 03 राशि गोवंश सहित अभियुक्त शैलेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रमाशंकर यादव साकिन अमौना थाना लार जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त, बरामद गोवंशीय पशुओं, अवैध तमन्चा व कारतूस तथा वाहन को कब्जे में लेते हुए थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अभियुक्त शैलेन्द्र यादव पुत्र स्व0 रमाशंकर यादव साकिन अमौना थाना लार जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. 03 अदद गोवंशीय

2. 01 पिकअप वाहन सं0 UP53CT 8195

3. 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक दिलीप कुमार पाण्डेय थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया।

2. का0 गोविन्द कुशवाहा थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया।

3. का0 स्वतंत्र कुमार शक्ति थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.05.2024 जनपद देवरिया

दिनांक 26.06.2023 को जनपद देवरिया के थाना लार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 153/2024 धारा 366,376,व 120(बी) भादवि बनाम 1.इमामुद्दीन उर्फ झिनक पुत्र निजामुद्दीन निवासी टीकर थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर 2.निजामुद्दीन पुत्र अज्ञात निवासी टीकर थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर तथा एक अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही थी कि विवेचना से निजामुद्दीन उपरोक्त की नामजदगी गलत पायी तथा विवेचना से प्रकाश में आये दो अभियुक्तों क्रमशः 1.समीम अहमद पुत्र वाजिद अली निवासी टीकर थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर तथा 2. वसीरुन्नीसा पत्नी निजामुद्दीन निवासी टीकर थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय भेजा गया, इसी क्रम में दिनांक 06.05.2024 को अपहृता लड़की को बरामद करते हुए दिनांक 08.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर लखवू मोड़ कस्बा लारबहद ग्राम कस्बा लार के पास से मुख्य अभियुक्त इमामुद्दीन उर्फ झिनक पुत्र निजामुद्दीन निवासी टीकर थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. इमामुद्दीन उर्फ झिनक पुत्र निजामुद्दीन निवासी टीकर थाना अहिरौली जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री कपिलदेव चौधरी थाना लार जनपद देवरिया ।
- 2.हे0का0 शशिकान्त यादव थाना लार जनपद देवरिया ।
- 3.कां0 अंकित यादव थाना लार जनपद देवरिया ।
- 4.कां0 मनोज सिंह यादव थाना लार जनपद देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.05.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही।

पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस द्वारा दिनांक 07.05.2024 को कच्ची शराब, अवैध देशी, अंग्रेजी शराब के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण थानावार निम्नवत है:-

➡थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1. पप्पू कुमार गुप्ता पुत्र शिव शंकर गुप्ता उम्र निवासी कच्ची पक्की थाना सदर जनपद मुजफ्फरपुर (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना महुआडीह पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1. राहुल कुमार पुत्र नरेश माझी ग्राम भदोखरा थाना मुहफासील एकौना जिला नेवादा (बिहार) को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 18 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

➡थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 1. अजय शर्मा पुत्र स्व0 रामबृक्ष साकिन आजाद नगर वार्ड कस्बा रुद्रपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद करते हुए चालान मा0 न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.05.2024 जनपद देवरिया

थाना भाटपाररानी पुलिस द्वारा एक लजरी वाहन से 19 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को दृष्टिगत चल रहे अभियान के तहत आज दिनांक 09.05.2024 को थाना भाटपाररानी पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम बहद विशुनपुरा ढाले के पास एक चार पहिया वाहन इकोस्पोर्ट टाइटेनियम सफेद रंग रजिं0 नं0 BR28AB3787 में सीट के नीचे छिपाकर बिहार ले जायी जा रही 11 पेटी 08 पीएम अंग्रेजी शराब व 08 पेटी ऑफिसर च्वाँइस अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 01 एक अभियुक्त मिन्टू कुमार पुत्र झगरु राम साकिन रामपुर थाना मुफरिस्सल जनपद सिवान बिहार को गिरफ्तार किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त, बरामद वाहन तथा शराब को कब्जे में लेते हुए थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अभियुक्त मिन्टू कुमार पुत्र झगरु राम साकिन रामपुर थाना मुफरिस्सल जनपद सिवान बिहार

बरामदगी का विवरण:-

1. एक चार पहिया वाहन इकोस्पोर्ट टाइटेनियम सफेद रंग रजिं0 नं0 BR28AB3787
2. 11 पेटी 08 पीएम अंग्रेजी शराब
3. 08 पेटी ऑफिसर च्वाँइस अंग्रेजी शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.उ0नि0 श्री नितिन यादव थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया,
- 2.का0 विरेन्द्र गौड़ थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया,
- 3.म0का0 निर्मला यादव थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.05.2024 जनपद देवरिया

जनपद देवरिया के थाना मईल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम विशौली माफी निवासी बबलू कुमार द्वारा आपसी विवाद में दिनांक 09.05.2024 को अपनी पत्नी व बच्ची को सीलबट्टे से मारकर हत्या कर दिया गया था, जिसके सम्बन्ध में ग्राम प्रहरी ग्राम विशौली माफी श्रीमती दुर्गावती देवी पत्नी स्व० राजकुमार निवासी विशौली माफी थाना मईल जनपद देवरिया की तहरीर पर थाना मईल पर मु०अ०सं० 74/2024 धारा 302 भादंवि बनाम बबलू कुमार के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही थी कि विवेचना के क्रम में मईल पुलिस द्वारा दिनांक 10.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर कुण्डौली तिराहे के पास अभियुक्त बबलू कुमार पुत्र अर्जुन कुमार निवासी विशौली माफी थाना मईल जनपद देवरिया को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अभियुक्त बबलू कुमार पुत्र अर्जुन कुमार निवासी विशौली माफी थाना मईल जनपद देवरिया

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ सरोज थाना मईल जनपद देवरिया।
2. कां० ईश्वरचंद थाना मईल जनपद देवरिया।
3. कां० राहुल कुमार गुप्ता थाना मईल जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.05.2024 जनपद देवरिया

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत संसदीय क्षेत्र सलेमुपर-71 जनपद देवरिया हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा श्री वेदमूर्ति (आईपीएस) को पुलिस प्रेक्षक नियुक्त किया गया है, आप संसदीय क्षेत्र सलेमुपर-71 देवरिया में मतदान सम्बन्धित किसी प्रकार की समस्या तथा कोई सूचना पुलिस प्रेक्षक उपरोक्त के मोबाइल नम्बर +918924955731 पर दे सकते हैं।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.05.2024 जनपद देवरिया

थाना मईल पुलिस द्वारा एक अदद देशी तमंचे के साथ एक हिश्ट्रीशीटर को किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में अपराध व आपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.05.2024 को थाना मईल पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पनिका बाजार के पास से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद 315 बोर जिंदा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त रोपन यादव पुत्र रामबृक्ष यादव निवासी तेलियाकला थाना मईल जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना मईल पर आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 अदद 315 बोर तमंचा व 01 अदद 315 बोर जिंदा कारतूस

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. रोपन यादव पुत्र रामबृक्ष यादव निवासी तेलियाकला थाना मईल जनपद देवरिया

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 267/13 धारा 376,511,323,511 भा0द0वि0 थाना मईल जनपद देवरिया।
2. मु0अ0सं0 253/17 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मईल जनपद देवरिया।
3. मु0अ0सं0 244/17 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मईल जनपद देवरिया।
4. मु0अ0सं0 44/18 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मईल जनपद देवरिया।
5. मु0अ0सं0 133/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मईल जनपद देवरिया।
6. मु0अ0सं0 84/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मईल जनपद देवरिया।
7. मु0अ0सं0 115/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मईल जनपद देवरिया।
8. मु0अ0सं0 173/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मईल जनपद देवरिया।
9. मु0अ0सं0 60/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मईल जनपद देवरिया।
10. मु0अ0सं0 72/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मईल जनपद देवरिया।
11. मु0अ0सं0 109/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मईल जनपद देवरिया।
12. मु0अ0सं0 51/22 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मईल जनपद देवरिया।
13. मु0अ0सं0 85/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मईल जनपद देवरिया।
14. मु0अ0सं0 95/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मईल जनपद देवरिया।
15. मु0अ0सं0 139/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मईल जनपद देवरिया।
16. मु0अ0सं0 42/24 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मईल जनपद देवरिया।
17. मु0अ0सं0 78/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मईल जनपद देवरिया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव थाना मईल जनपद देवरिया।
2. का0 विजय शंकर यादव थाना मईल जनपद देवरिया।
3. का0 रामसुधार यादव थाना मईल जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.05.2024 जनपद देवरिया।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी सलेमपुर द्वारा बाह्य जनपद से प्राप्त बल के ठहरने वाले स्थानों का स्थलीय/भौतिक निरीक्षण किया गया।

आज दिनांक 15.05.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री दीपक शुक्ल द्वारा आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत सर्किल सलेमपुर के थाना बरियारपुर क्षेत्रान्तर्गत थानाध्यक्ष बरियारपुर श्री दिग्विजय सिंह के साथ अर्द्धसैनिक बल, बाह्य जनपद से प्राप्त होने वाले पुलिस बल, होमगार्ड बल के ठहरने हेतु चिन्हित विद्यालयों में कमरों की संख्या, साफ-सफाई की व्यवस्था, बिजली-पानी की व्यवस्था, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.05.2024 जनपद देवरिया ।

थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा टैंकर से तेल चोरी करते हुए 03 अभियुक्तों का किया गया गिरफ्तार, 02 तेल टैंकर बरामद ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर रोकथाम हेतु चल रहे अभियान के क्रम में थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दुग्धेश्वर नाथ मंदिर से तारासारा जाने वाले मार्ग पर 02 तेल टैंकर वाहन सं0 UP54D2036 एवं UP52AT3181 से तेल चोरी करते हुए 03 अभियुक्त क्रमशः 1.मुकेश तिवारी पुत्र परशुराम तिवारी साकिन गुदरी बैतालपुर थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया 2. दिलीप निषाद पुत्र कन्हैया निषाद साकिन रनिहवां थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया 3. श्रवण निषाद उर्फ भीम निषाद पुत्र मेवालाल निषाद साकिन लक्ष्मीपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 08 अदद प्लास्टिक के जरिकैन जिनमें से दो जरिकैन में कुल लगभग 50 लीटर अवैध तेल, तीन अदद खाली प्लास्टिक की बाल्टी ,एक अदद लोहे का कूप्पा बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1.मुकेश तिवारी पुत्र परशुराम तिवारी साकिन गुदरी बैतालपुर थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया
2. दिलीप निषाद पुत्र कन्हैया निषाद साकिन रनिहवां थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया
3. श्रवण निषाद उर्फ भीम निषाद पुत्र मेवालाल निषाद साकिन लक्ष्मीपुर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. 08 अदद प्लास्टिक के जरिकैन जिनमें से दो जरिकैन में कुल लगभग 50 लीटर अवैध तेल,
2. तीन अदद खाली प्लास्टिक की बाल्टी ,
3. एक अदद लोहे का कूप्पा,
4. दो अदद तेल टैंकर वाहन सं0 UP54D2036 एवं UP52AT3181

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 रुबाष चौधरी थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया
2. उ0नि0 विरेन्द्र कुमार थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया
3. का0 दिनेश यादव थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया
4. का0 अरविन्द यादव थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 19.05.2024 जनपद देवरिया ।

थाना बनकटा पुलिस द्वारा 04 पेटी देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक देवरिया के निर्देशन में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत अपराध व अपराधियों पर रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बनकटा पुलिस द्वारा दिनांक 18.05.2024 को वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बहद ग्राम चंदाचक के पास से एक बोरे में 04 पेटी देशी बंटी बबली शराब को बरामद करते हुए एक अभियुक्त अल्ताफ रजा पुत्र उमरुद्दीन अंसारी निवासी बैकुण्ठपुर छापरा थाना मैरवा जिला सिवान बिहार को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अल्ताफ रजा पुत्र उमरुद्दीन अंसारी निवासी बैकुण्ठपुर छापरा थाना मैरवा जिला सिवान बिहार

बरामदगी का विवरण:-

1. एक बोरे में 04 पेटी देशी बंटी बबली शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.उ0नि0 आलोक रंजन सिंह थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 2.हे0कां0 वीरेन्द्र यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.05.2024 जनपद देवरिया

पुलिस कर्मियों द्वारा दिया गया मानवता का परिचय , सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर किया गया रक्तदान

आज दिनांक 28.05.2024 को जनपद देवरिया के अभियोजन शाखा में नियुक्त आरक्षी अरविन्द यादव व रणजीत प्रजापति ड्यूटी खत्म होने के उपरान्त अपने कार्यालय के बाहर थे कि एक प्राइवेट व्हाट्सएप्प ग्रुप पर उन्हें संज्ञान में आया कि जिला चिकित्सालय में भटनी निवासी एक मरीज भर्ती है जिसे खून की अतिआवश्यकता है जिसपर आरक्षियों द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर रक्तदान किया गया। इसकी क्षेत्र में आरक्षियों द्वारा किये गए मानवीय संवेदना सम्बन्धित किये गए कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.05.2024 जनपद देवरिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के साथ क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 27.05.2024 लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद देवरिया को प्राप्त अर्द्धसैनिक बल/सीएपीएफ की कम्पनियों के द्वारा जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में सम्बन्धित वर्नेबल/क्रिटिकल मतदान केन्द्रों के क्षेत्र सहित आस-पास क्षेत्र में स्थानीय थाना प्रभारी मय पुलिस फोर्स के साथ पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.05.2024 जनपद देवरिया

लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत शान्ति व कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा अर्द्धसैनिक बलों के साथ क्षेत्र में किया गया पैदल गस्ता

आज दिनांक 29.05.2024 लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद देवरिया को प्राप्त अर्द्धसैनिक बल/सीएपीएफ की कम्पनियों के द्वारा जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष मय पुलिस फोर्स के साथ पैदल गस्त करते हुए आम जन मानस में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करायी गयी एवं निर्भीक होकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने हेतु जागरूक किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.05.2024 जनपद देवरिया

जनपद देवरिया के थाना रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भिगुसरी निवासी देवीलाल द्वारा दिनांक 27/28.05.2024 की रात्रि में आपसी विवाद में अपने बड़े भाई संगेश पुत्र रामअधार निवासी उपरोक्त से मारपीट के दौरान चारपायी के पाये से सर में मार दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। जिसके सम्बन्ध में संगेश के पुत्र शिवकुमार की तहरीर पर थाना रुद्रपुर पर मु0अ0सं0 253/2024 धारा 302 भादंवि बनाम देवीलाल के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही थी कि विवेचना के क्रम में रुद्रपुर पुलिस द्वारा दिनांक 28.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर बनिएनी चौराहे के पास से अभियुक्त देवीलाल पुत्र स्व0 रामअधार निवासी भिगुसरी थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल बरामद करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. देवीलाल पुत्र स्व0 रामअधार निवासी भिगुसरी थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।

बरामदगी का विवरण:-

1. घटना में प्रयुक्त चारपायी का पाया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

4. थानाध्यक्ष रतन कुमार पाण्डेय थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।

5. कां0 अंकित राय थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।

6. कां0 सुमित राजभर थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 07.06.2024 जनपद देवरिया

थाना बनकटा पुलिस द्वारा दो अदद देशी तमंचा के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

आज दिनांक 07.06.2024 को थाना बनकटा पुलिस टीम द्वारा गश्त/चेकिंग के दौरान रामकोला चट्टी के पास से दो व्यक्तियों को 02 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों से पुलिस टीम द्वारा नाम-पता पूछने पर उनके द्वारा अपना नाम-पता क्रमशः 1. प्रिंस यादव पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी सोहनपुर टाड़ी टोला थाना बनकटा जनपद देवरिया तथा 2. निलेश रावत पुत्र सुजीत रावत निवासी नोनार पाण्डेय थाना बनकटा जनपद देवरिया बताया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों के कब्जे से 02 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर को बरामद करते हुए थाना स्थानीय पर धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. प्रिंस यादव पुत्र विरेन्द्र यादव निवासी सोहनपुर टाड़ी टोला थाना बनकटा जनपद देवरिया
2. निलेश रावत पुत्र सुजीत रावत निवासी नोनार पाण्डेय थाना बनकटा जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 जय प्रकाश दूबे थाना बनकटा जनपद देवरिया।
2. उ0नि0 अनिल कुमार राय थाना बनकटा जनपद देवरिया।
3. उ0नि0 सुशान्त पाठक थाना बनकटा जनपद देवरिया।
4. का0 नामवर सिंह यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया।
5. का0 आशीष सिंह थाना बनकटा जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.06.2024 जनपद देवरिया

जनपद देवरिया के समस्त थानों पर 'थाना समाधान दिवस' का किया गया आयोजन

जिलाधिकारी देवरिया व पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा थाना मईल में सुनी गयी समस्याएं

आज दिनांक 08.06.2024 को जनपद देवरिया के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समस्त थानों पर राजस्व के अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहकर उनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया एवं संयुक्त रूप से राजस्व व पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर कई समस्याओं का निस्तारण भी कराया गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह व पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा थाना मईल में जनसमस्याओं को सुना गया जिसके क्रम में थाना मईल पर कुल 03 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनके निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर उनके निस्तारण हेतु संबन्धित को उचित दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी द्वारा थाना रामपुर कारखाना में जनसमस्याओं को सुना गया जिसके क्रम में थाना रामपुर कारखाना पर कुल 10 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें 01 प्रार्थना पत्र का निस्तारण कराया गया शेष प्रार्थना पत्रों में राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर उनके निस्तारण हेतु संबन्धित को उचित दिशा निर्देश दिये गये। इस अवसर पर पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के संबन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर कुल 114 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें 40 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.06.2024 जनपद देवरिया

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शातिर मोटरसाइकिल चोर को किया गया गिरफ्तार, चोरी की 03 मोटरसाइकिलें बरामद।

दिनांक 07.06.2024 को कोतवाली पुलिस टीम द्वारा कचेहरी रोड के पास से आम लोगों की मदद से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके द्वारा अपना नाम पता विनोद पासवान पुत्र मोतीलाल पासवान निवासी रामपुर सोहरौना थाना हाटा जनपद कुशीनगर बताया गया। पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा शादी समारोह, भीडभाड़ वाले स्थानों आदि से मोटरसाइकिल चोरी करके उसे बेच दिया जाता है। अभियुक्त की निशानदेही पर लकड़ी हट्टा गरुणपार स्थित रेलवे माल गोदाम रेलवे ट्रैक के पास में छिपाकर रखी गयी 03 अदद चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गयी। बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि 01. वाहन सं0 UP52 BD 0230 हीरो स्पेलण्डर प्लस को मैंने दिनांक 01.03.2024 को पुरवा चौराहा स्थित शिवाय होटल से एक शादी समारोह से, 02. वाहन सं0 UP52 R 0947 को रुद्रपुर मोड़ स्थित बैजन्ती लान गौरी बाजार से तथा 03. वाहन सं0 UP52 N 9529 पैशन प्रो को दिनांक 06.06.2024 को रघवापुर अग्रेजी शराब की दुकान के पास से चोरी किया था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर चोरी की तीनों मोटरसाइकिलों को कब्जे में लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकार अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी से मोटरसाइकिल चोरी के संबन्ध में थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 156/2024 धारा 379 भादंसं, मु0अ0सं0- 467/2024 धारा 379 भादंसं तथा थाना गौरीबाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 168/2024 धारा 379 भादंसं का सफल अनावरण किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विनोद पासवान पुत्र मोतीलाल पासवान निवासी रामपुर सोहरौना थाना हाटा जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरण:-

01.चोरी की कुल 03 अदद मोटरसाइकिलें।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.उ0नि0 सदानन्द यादव थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
- 2.उ0नि0 इंतखाब आलम, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
- 3.उ0नि0 श्यामराज सिंह, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
- 4.उ0नि0 इंतखाब आलम, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
- 5.उ0नि0 श्री रिद्वन सिंह, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
- 6.हे0का0 नरेन्द्र कुमार चौधरी, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
- 7.का0 बब्लू गिरी, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
- 8.का0 विश्वजीत राजभर, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
- 9.का0 अवधेश कुमार, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
- 10.का0 रघुवंश मौर्या, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
- 11.का0 चक्रधारी चौहान, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
- 12.का0 दिनेश सोनकर, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,
- 13.का0 रजनीश कुमार, थाना कोतवाली जनपद देवरिया,

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.06.2024 जनपद देवरिया

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए, चोरी के कुल रूपये बरामद कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 09.06.2024 को जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत सोन्दा चौराहे के पास स्थित डेक्स्टर लॉजिस्ट्रीक प्रा0 लि0 कम्पनी के ब्रान्च मैनेजर शाद रजा पुत्र नइमउल्लाह निवासी-देसही देवरिया थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया की अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गयी कि उसके ब्रान्च में लगभग 03 लाख से अधिक की चोरी हो गयी है जिसके सम्बन्ध में एरिया मैनेजर मेराज शाह पुत्र मन्सूर शाह निवासी-भिलौली थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ की सूचना पर मु0अ0सं0-475/2024 धारा-380 भादंसं का अभियोग अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही है। जिसके क्रम में विवेचक द्वारा आज दिनांक 11.06.2024 को ब्रान्च मैनेजर शाद रजा उपरोक्त को पूरवा चौराहे के पास स्थित उसके किराये के कमरे से हिरासत में लेकर पूछ-ताछ के क्रम में उसके द्वारा बताया गया कि मेरी माँ की तबीयत ज्यादा खराब चल रही है, जिसके ईलाज के लिए कई लाख रूपयों की जरूरत थी, जिस कारण मेरे द्वारा ब्रान्च में कलेक्शन के रखे 03 लाख 40 हजार रूपये चोरी करके अपने एरिया मैनेजर को चोरी की सूचना दे दिया गया था। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर उसके कमरे में चौकी पर गद्दे के नीचे छिपाकर रखे गये पैकट में कुल 03 लाख 40 हजार रूपये बरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद कुल रूपयों को कब्जे में लेते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01.शाद रजा पुत्र नइमउल्लाह निवासी-देसही देवरिया थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

01.चोरी के कुल 03 लाख 40 हजार रूपये।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01.प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा थाना कोतवाली देवरिया,

02.उ0नि0 विपिन कुमार यादव थाना कोतवाली देवरिया,

03.मु0आ0 संजय सिंह यादव थाना कोतवाली देवरिया,

04.कां0 चन्दन मौर्या थाना कोतवाली देवरिया,

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.06.2024 जनपद देवरिया।

आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जनपद के समस्त थानों पर पीस कमेटी मीटिंग का किया गया आयोजना

थाना क्षेत्र के गणमान्य/संभ्रांत व्यक्तियों व धर्मगुरुओं से त्योहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु किया गया अपील

आज दिनांक 14.06.2024 को पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी एवं उपजिलाधिकारी नगर द्वारा थाना रामपुर कारखाना, क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री दीपक शुक्ल एवं उपजिलाधिकारी सलेमपुर द्वारा थाना खुखुन्दू तथा जनपद के समस्त थानों पर सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के सभी धर्म के धर्मगुरुओं तथा संभ्रान्त व्यक्तियों के साथ त्योहार से सम्बन्धित समस्याओं एवं उनके उपायों पर चर्चा की गयी तथा उच्चाधिकारीगणों द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहारों को मनाने की अपील की गयी।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 22.06.2024 जनपद देवरिया

जनपद देवरिया के समस्त थानों पर 'थाना समाधान दिवस' का किया गया आयोजन

जिलाधिकारी देवरिया व पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा थाना सुरौली में सुनी गयी समस्याएं

आज दिनांक 22.06.2024 को जनपद देवरिया के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समस्त थानों पर राजस्व के अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहकर उनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया एवं संयुक्त रूप से राजस्व व पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर कई समस्याओं का निस्तारण भी कराया गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी देवरिया श्री अखण्ड प्रताप सिंह व पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा थाना सुरौली में जनसमस्याओं को सुना गया जिसके क्रम में थाना सुरौली पर कुल 08 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 02 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कराया गया तथा शेष प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर उनके निस्तारण हेतु संबन्धित को उचित दिशा निर्देश दिये गये। इस अवसर पर पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के संबन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर कुल 213 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें 40 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया तथा शेष प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों का गठन शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 23.06.2024 जनपद देवरिया

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वाहन चोर गिरोह का किया गया पर्दाफाश, 06 अदद मोटरसाइकिल बरामद, 05 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 23.06.2024 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा पिपर पाती पुलिया के पास मुखबिर की सूचना पर वाहन चैकिंग के दौरान 05 मोटर साइकिल पर सवार 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपना नाम पता क्रमशः 1. किशन उपाध्याय पुत्र संजय उपाध्याय निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना बिजयीपुर जनपद गोपालगंज बिहार 2. आर्यन यादव पुत्र सिकंदर यादव निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना बिजयीपुर जनपद गोपालगंज (बिहार) 3. सोनू कुमार पुत्र मैनेजर शाह निवासी रिखईबारी कल्याणपुर थाना भोरे जनपद गोपालगंज (बिहार) 4. गोबर्धन कुमार शाह उर्फ गोबर उर्फ संतोष पुत्र कोकिल शाह निवासी रिखईबारी कल्याणपुर थाना भोरे जनपद गोपालगंज (बिहार) तथा 5. अमन खरवार पुत्र स्व0 कन्हैया खरवार निवासी रजला सेंटर चौराहा थाना कोतवाली जनपद देवरिया बताया गया तथा अभियुक्तों कि निशानदेही पर रेलवे मालगोदाम के पास में झाड़ियों में छिपाकर रखी गयी एक और मोटर साइकिल को बरामद किया गया , वाहनों के सम्बन्ध में कागजात मांगने पर नहीं दिखा पाए। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों से पूछताछ के क्रम में बताया गया की हम लोगों द्वारा विगत दो-तीन माह में देवरिया व उसके आस-पास स्थानों से मोटर साइकिलों को चोरी किया गया था। बरामद मोटर साइकिलों के सम्बन्ध में जांच से पाया गया कि 1.सुपर स्पेलण्डर नं0 UP52AU0689 के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 516/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद देवरिया, 2. एचएफ डीलक्स UP52AL4854 के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 517/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद देवरिया, 3. स्पेलण्डर प्लस नं0 UP52BF4478 के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 303/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद देवरिया, 4. सुपर स्पैलण्डर नं0 UP52AJ5897 के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 173/24 धारा 379 भादवि थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया, 5. एचएफ डीलक्स नं0 UP52BM3120 के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 278/24 धारा 379 भादवि थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया तथा 6. स्पेलण्डर प्लस UP52W6691 के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 274/24 धारा 379 भादवि व 179(1) एमवी ऐक्ट थाना सलेमपुर जनपद देवरिया में अभियोग पंजीकृत है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए बरामद मोटर साइकिलों को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकार अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी से मोटरसाइकिल चोरी के संबन्ध में थाना कोतवाली जनपद देवरिया में पंजीकृत 03 अभियोगों क्रमश- 1. मु0अ0सं0 516/24 धारा 379 भादवि, 2. मु0अ0सं0 517/24 धारा 379 भादवि व 3. मु0अ0सं0 303/24 धारा 379 भादवि एवं थाना रामपुर कारखाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 173/24 धारा 379 भादवि, व थाना गौरीबाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 278/24 धारा 379 भादवि तथा थाना सलेमपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 274/24 धारा 379 भादवि व 179(1)एमवी ऐक्ट का सफल अनावरण किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. किशन उपाध्याय पुत्र संजय उपाध्याय निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना बिजयीपुर जनपद गोपालगंज (बिहार)
2. आर्यन यादव पुत्र सिकंदर यादव निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना बिजयीपुर जनपद गोपालगंज (बिहार)
3. सोनू कुमार पुत्र मैनेजर शाह निवासी रिखईबारी कल्याणपुर थाना भोरे जनपद गोपालगंज (बिहार)
4. गोबर्धन कुमार शाह उर्फ गोबर उर्फ संतोष पुत्र कोकिल शाह निवासी रिखईबारी कल्याणपुर थाना भोरे जनपद गोपालगंज (बिहार)
5. अमन खरवार पुत्र स्व0 कन्हैया खरवार निवासी रजला सेंटर चौराहा थाना कोतवाली जनपद देवरिया

अभियुक्त अमन खरवार का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 399/2024 धारा 380,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।
2. मु0अ0सं0- 870/2020 धारा 457,380,411 भादवि थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।
3. मु0अ0सं0- 938/2023 धारा 380,411,413,414,457 भादवि थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।
4. मु0अ0सं0- 947/2023 धारा 380,411,413,414,457 भादवि थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।
5. मु0अ0सं0- 984/2023 धारा 380,411,413,414,457 भादवि थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।

अभियुक्त गोबर्धन उर्फ गोबर का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 206/2022 धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेद एवं उत्पाद अधि0 थाना फुलवरिया जनपद गोपालगंज (बिहार) ।
2. मु0अ0सं0- 356/2022 धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेद एवं उत्पाद अधि0 थाना भोरे जनपद गोपालगंज (बिहार) ।
3. मु0अ0सं0- 172/2023 धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेद एवं उत्पाद अधि0 थाना भोरे जनपद गोपालगंज (बिहार) ।
4. मु0अ0सं0- 120/2023 धारा 30(ए) बिहार मद्यनिषेद एवं उत्पाद अधि0 थाना भोरे जनपद गोपालगंज (बिहार) ।

बरामदगी का विवरण:-

1. सुपर स्पेलण्डर नं0 UP52AU0689
2. एचएफ डीलक्स UP52AL4854
3. स्पेलण्डर प्लस नं0 UP52BF4478
4. सुपर स्पेलण्डर नं0 UP52AJ5897
5. एचएफ डीलक्स नं0 UP52BM3120
6. स्पेलण्डर प्लस UP52W6691

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सदानन्द यादव थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।
2. उ0नि0 संजय सिंह चंदेल , थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।
3. उ0नि0 रामप्रकाश यादव, थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।
4. उ0नि0 विपिन कुमार यादव, थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।
5. का0 रामभुवन पटेल, थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।
6. का0 कविन्द्र सिंह, थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।
7. का0 विमलेन्द्र यादव, थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।
8. का0 अनिल कुमार, थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।
9. का0 अंगद यादव , थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।
10. का0 आदित्य पटेल, थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।
11. का0 संतोष यादव, थाना कोतवाली जनपद देवरिया ।

सराहनीय कार्य

जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा चोरी की 06 मोटर साइकिलों के साथ 05 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए मोटर साइकिल चोरी के सम्बन्ध में विभिन्न थानों पर पंजीकृत अभियोगों का किया गया सफल अनावरण।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 23.06.2024 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पिपर पाती पुलिया के पास 05 अभियुक्तों क्रमशः 1.किशन उपाध्याय पुत्र संजय उपाध्याय निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना बिजयीपुर जनपद गोपालगंज बिहार 2. आर्यन यादव पुत्र सिकंदर यादव निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना बिजयीपुर जनपद गोपालगंज (बिहार) 3. सोनू कुमार पुत्र मैनेजर शाह निवासी रिखईबारी कल्याणपुर थाना भोरे जनपद गोपालगंज (बिहार) 4. गोबर्धन कुमार शाह उर्फ गोबर उर्फ संतोष पुत्र कोकिल शाह निवासी रिखईबारी कल्याणपुर थाना भोरे जनपद गोपालगंज (बिहार) तथा 5. अमन खरवार पुत्र स्व0 कन्हैया खरवार निवासी रजला सेंटर चौराहा थाना कोतवाली जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी की 06 मोटर साइकिलों को बरामद किया गया। बरामद मोटर साइकिलों के चोरी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर 03, थाना रामपुर कारखाना, गौरीबाजार तथा सलेमपुर पर एक-एक पंजीकृत अभियोगों का सफल अनावरण किया गया। नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

पुलिस अधीक्षक

देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 28.06.2024 जनपद देवरिया

थाना भलुअनी पुलिस द्वारा दिनांक 27.06.2024 को गाँधी चौक कस्बा भलुअनी के पास मुखबिर की सूचना पर वाहन चैकिंग के दौरान 02 मोटर साइकिल पर सवार 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपना नाम पता क्रमशः 1. हरिओम गौतम पुत्र विनोद प्रसाद सा0 परसिया अजमेर थाना भलुअनी जनपद देवरिया 2. अभिषेक यादव पुत्र अशोक यादव सा0 जरार मानिक थाना भलुअनी जनपद देवरिया 3. चंदन यादव पुत्र राजेन्द्र यादव सा0 सिंहपुर थाना भलुअनी जनपद देवरिया तथा 4. राहुल यादव पुत्र दीनानाथ यादव सा0 जरार मानिक थाना भलुअनी जनपद देवरिया बताया गया तथा अभियुक्तों कि निशानदेही पर अभियुक्त हरिओम गौतम के घर पर भूशे के घर में छिपाकर रखी गयी 02 और मोटर साइकिलों को बरामद किया गया बरामद कुल 04 मोटर साइकिलों के सम्बन्ध में जांच से पाया गया कि 1. सुपर स्पेलण्डर नं0 UP52CA4247 के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 94/24 धारा 392 भादवि थाना भलुअनी जनपद देवरिया, 2. स्पेलण्डर प्रो UP52AB7421 के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 80/24 धारा 379 भादवि थाना भलुअनी जनपद देवरिया, 3. सुपर स्पैलण्डर नं0 UP52AV0207 के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 523/24 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जनपद देवरिया, तथा 4. स्पेलण्डर प्लस नं0 UP57BK9794 के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 204/23 धारा 379 भादवि थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर में अभियोग पंजीकृत है। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए बरामद मोटर साइकिलों को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रकार अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी से मोटरसाइकिल चोरी के संबन्ध में थाना भलुअनी जनपद देवरिया में पंजीकृत 02 अभियोगों क्रमशः- 1. मु0अ0सं0 94/24 धारा 392 भादवि, तथा 2. मु0अ0सं0 80/24 धारा 379 भादवि व थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 523/24 धारा 379 भादवि तथा थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 204/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. हरिओम गौतम उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र विनोद प्रसाद सा0 परसिया अजमेर थाना भलुअनी जनपद देवरिया
2. अभिषेक यादव पुत्र अशोक यादव उम्र करीब 19 वर्ष सा0 जरार मानिक थाना भलुअनी जनपद देवरिया
3. चंदन यादव उम्र करीब 20 वर्ष पुत्र राजेन्द्र यादव सा0 सिंहपुर थाना भलुअनी जनपद देवरिया
4. राहुल यादव पुत्र दीनानाथ यादव उम्र करीब 19 वर्ष सा0 जरार मानिक थाना भलुअनी जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

1. सुपर स्पेलण्डर नं0 UP52CA4247
2. स्पेलण्डर प्लस नं0 UP57BK9794
3. सुपर स्पैलण्डर नं0 UP52AV0207
4. स्पेलण्डर प्रो0 UP52AB7421

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अर्चना सिंह थाना भलुअनी जनपद देवरिया
2. उ0नि0 अविनाश मौर्यथाना भलुअनी जनपद देवरिया
3. का0 पुनीत यादवथाना भलुअनी जनपद देवरिया
4. का0 जयदीप दुबेथाना भलुअनी जनपद देवरिया
5. का0 शशिकान्त यादव थाना भलुअनी जनपद देवरिया
6. का0 प्रिन्स सिंहथाना भलुअनी जनपद देवरिया
7. का0 अनिल यादवथाना भलुअनी जनपद देवरिया
8. का0 कमलेश चौहान, थाना भलुअनी जनपद देवरिया
9. का0 अरविन्द यादवथाना भलुअनी जनपद देवरिया

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 29.06.2024 जनपद देवरिया

जनपदीय पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त तारबाबू यादव को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 10.06.2024 को थाना बनकटा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रुस्तम बहियारी खड़वा टोला निवासिनी सुनीता देवी पत्नी बाबूलाल यादव की सूचना कि तारबाबू यादव द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ उनके साथ मारपीट करते हुए उनकी सोने की चैन को लूट लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना बनकटा पर मु0अ0सं0 120/2024 धारा 395,397,354(ख) व 412 भादवि तारबाबू यादव सहित कुल 07 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। जिसमें तारबाबू यादव के ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद देवरिया द्वारा 25000/- रुपये धनराशि का पुरस्कार घोषित किया गया था। जिसे दिनांक 28.06.2024 को थाना बनकटा पुलिस टीम एवं एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हरपुर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में लूटी गयी एक अदद सोने की चैन को बरामद करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. तारबाबू यादव पुत्र रमाशंकर यादव सा0 रुस्तम बहियारी थाना बनकटा जनपद देवरिया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 704/07 धारा 302,201 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया
2. मु0अ0सं0 163/01 धारा 147,323,504,506 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया
3. मु0अ0सं0 158/08 धारा 110 जी0 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया
4. मु0अ0सं0 187/08 धारा ¾ गुण्डा अधि0 थाना बनकटा जनपद देवरिया
5. मु0अ0सं0 222/11 धारा 147,148,323,504,506,307 भादवि व 7 सी0एल0 एक्ट थाना बनकटा जनपद देवरिया
6. मु0अ0सं0 371/11 धारा 2/3 गै0एक्ट थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया
7. एन0सी0आर0 28/11 धारा 323,504,506 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया
8. मु0अ0सं0 504/13 धारा 147,148,149,452,308,323,504,506 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया
9. मु0अ0सं0 337/14 धारा 147,148,323,504,506 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया
10. मु0अ0सं0 558/14 धारा 147,148,149,323,504,506 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया
11. मु0अ0सं0 571/13 धारा ¾ गुण्डा अधि0 थाना बनकटा जनपद देवरिया
12. मु0अ0सं0 110/09 धारा 110 जी0 थाना बनकटा जनपद देवरिया
13. मु0अ0सं0 372/14 धारा 147,148,323,307,504,506 भादवि थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया
14. मु0अ0सं0 128/14 धारा 307,504,506 भादवि थाना सलेमपुर जनपद देवरिया
15. मु0अ0सं0 618/14 धारा 3(1)गै0एक्ट0 थाना बनकटा जनपद देवरिया
16. मु0अ0सं0 1249/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सलेमपुर
17. मु0अ0सं0 45/15 धारा 302 भादवि थाना भाटपाररानी देवरिया
18. मु0अ0सं0 594/15 धारा 3(1)गै0एक्ट0 थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया
19. मु0अ0सं0 175/16 धारा 147,148,149,352,353,336,504,506,307 भादवि व 3/5/8 गो0वध0नि0अधि0 व 7 सीएल एक्ट थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया
20. मु0अ0सं0 103/17 धारा 272,273,419,420,468,467 भादवि व 60 आब0अधि0 थाना सलेमपुर जनपद देवरिया
21. मु0अ0सं0 143/17 धारा 411,412,413,419,420 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया
22. मु0अ0सं0 163/17 धारा 307 भादवि व 7 सीएल एक्ट थाना बनकटा देवरिया
23. मु0अ0सं0 184/20 धारा 60/63 आब0अधि0 व 473 भादवि थाना बनकटा देवरिया
24. मु0अ0सं0 219/20 धारा 3(1)गै0एक्ट0 थाना बनकटा जनपद देवरिया
25. मु0अ0सं0 07/19 धारा 3(1)गै0एक्ट0 थाना बनकटा जनपद देवरिया

26. मु0अ0सं0 282/17 धारा 3(1)गै0एक्ट0 थाना बनकटा जनपद देवरिया
27. मु0अ0सं0 06/20 धारा 60,63,72 आब0अधि0 व 120 बी भादविथाना बनकटा जनपद देवरिया
28. मु0अ0सं0 181/18 धारा 147,148,149,352,323,504,506,307 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया
29. मु0अ0सं0 163/18 धारा 147,352,323,504,506,427 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया
30. मु0अ0सं0 72/17 धारा 379 थाना बनकटा जनपद देवरिया
31. मु0अ0सं0 354/22धारा 147,148,384,386,506 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया
32. मु0अ0सं0355/22 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना बनकटा जनपद देवरिया
33. मु0अ0सं0 387/22 धारा 3(1)गै0एक्ट0 थाना बनकटा जनपद देवरिया
34. मु0अ0सं0 16/23 धारा 3/5/8 गोवध नि0अधि0 थाना बनकटा जनपद देवरिया
35. मु0अ0सं0 120/24 धारा 395,397,354बी भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया ।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद सोने की चैन ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.थानाध्यक्ष उ0नि0 अमित कुमार राय थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 2.उ0नि0 जावेद आलम सिद्धीकी एसटीफ लखनऊ ।
3. व0उ0नि0 जयप्रकाश दुबे थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 4.मु0आ0 चन्द्र प्रकाश मिश्रा एसटीफ लखनऊ
- 5.मु0आ0 मृत्युंजय सिंह एसटीफ लखनऊ
- 6.मु0आ0 यशवंत कुमार सिंह एसटीफ लखनऊ
- 7.मु0आ0 कमाण्डो सुबोध कुमार सिंह एसटीफ लखनऊ ।
- 8.आ0 देवेन्द्र कुमार आजाद थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 9.आ0 योगेन्दर यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 10.आ0 धीरज कुशवाहा थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 11.आ0 प्रमोद यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 30.06.2024 जनपद देवरिया ।

थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण, 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल बरामद ।

थाना रुद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बनकटा जोत निवासिनी नीरज देवी पत्नी दयाशंकर की तहरीर की उनके ससूर राजवंशी पुत्र रामसुभग की रात में सोते समय अज्ञात लोगों द्वारा दिनांक 20.06.2024 की रात्रि में गला रेत कर हत्या कर दी गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना रुद्रपुर पर मु0अ0सं0 289/24 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही है। विवेचना के क्रम में थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा दिनांक 30.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर पीपरा कछार इण्टर कॉलेज के पास से 03 अभियुक्तों क्रमशः 1.भरत पासवान पुत्र योगेश पासवान निवासी पचलड़ी थाना एकौना जनपद देवरिया, 2.राहुल कुमार गौतम पुत्र भोलेनाथ गौतम निवासी पचलड़ी थाना एकौना जनपद देवरिया तथा 3. रितेश गौतम पुत्र जयप्रकाश गौतम निवासी पचलड़ी थाना एकौना जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ में ज्ञात हुआ कि मृतक राजवंशी द्वारा अपने साले को कुछ पैसे उधार दिये गये थे, जिसे वापस मांगने पर मृतक के साले का लड़का भरत पासवान उपरोक्त ने अपने दो साथियों राहुल गौतम व रितेश गौतम के साथ मिलकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अभियुक्तों की निशानदेही पर आलाकत्ल तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल वाहन सं0 UP52BZ2864 को बरामद करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1.भरत पासवान पुत्र योगेश पासवान निवासी पचलड़ी थाना एकौना जनपद देवरिया।
- 2.राहुल कुमार गौतम पुत्र भोलेनाथ गौतम निवासी पचलड़ी थाना एकौना जनपद देवरिया।
3. रितेश गौतम पुत्र जयप्रकाश गौतम निवासी पचलड़ी थाना एकौना जनपद देवरिया।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल
- 2.घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल वाहन सं0 UP52BZ2864

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.थानाध्यक्ष रतन कुमार पाण्डेय थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
- 2.उ0नि0 बलराम सिंह थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
- 3.हे0का0 रमाकान्त भारती थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
- 4.हे0का0 झिनलाल थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
- 5.का0 सुनील चौधरी थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
- 6.का0 दिनेश यादव थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
- 7.का0 जियालाल थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
- 8.का0 रोहित गौड़ थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।
- 9.म0का0 सुधा मिश्रा थाना रुद्रपुर जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 30.06.2024 जनपद देवरिया ।

थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा एक ट्रक से 56 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 01 एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 30.06.2024 को मुखबिर की सूचना पर जिन बाबा का स्थान रहिमपुर के पास से ट्रक वाहन सं० JH12C2951 में ड्राइवर की सीट के पीछे छिपाकर रखी गयी कुल 56 पेटी 08 पीएम फ्रूटी अंग्रेजी शराब को से बरामद करते हुए एक अभियुक्त नाम पता अरविन्द कुमार पुत्र हरिन्दर पण्डित निवासी सोनपुर थाना सोनपुर जनपद छपरा बिहार को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1.अरविन्द कुमार पुत्र हरिन्दर पण्डित निवासी सोनपुर थाना सोनपुर जनपद छपरा बिहार

बरामदगी का विवरण:-

1.ट्रक वाहन सं० JH 12 C 2951

2. 56 पेटी 08 पीएम फ्रूटी अंग्रेजी शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1.प्रभारी निरीक्षक कल्याण सिंह सागर थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया ।

2.उ०नि० दीपक सिंह थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया ।

3.उ०नि० प्रमोद कुमार पाठक थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया ।

4.मु०आ० रविन्द्र सिंह थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया ।

5.मु०आ० सुभाष सिंह थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04.07.2024 जनपद देवरिया ।

थाना बनकटा पुलिस टीम द्वारा एक चार पहिया वाहन से 11 पेटी व 39 पाउच अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

थाना बनकटा पुलिस द्वारा दिनांक 03.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर सिकरहटा के पास से एक चार पहिया वाहन वैगनार वाहन सं0 BR 31 AB 0764 से बिहार ले जायी जा रही कुल 11 पेटी व 39 पाउच आफिसर च्वाइस अंग्रेजी शराब को बरामद कर 03 अभियुक्तों क्रमशः 1.शत्रुघ्न कुमार पुत्र सुनील महतो निवासी रघुनन्दनपुर थाना फुलवरिया जिला गोपालगंज बिहार, 2.अजय कुमार पुत्र सुबेदार राय निवासी भगवानपुर थाना भगवानपुर जनपद मुजफ्फरपुर बिहार तथा 3.रोहित रंजन पुत्र रामबाबू राय निवासी गाढ़ा हसन थाना पारू जनपद मुजफ्फरपुर बिहार को गिरफ्तार करते हुए बरामद शराब व चारपहिया वाहन को कब्जें में लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. शत्रुघ्न कुमार पुत्र सुनील महतो निवासी रघुनन्दनपुर थाना फुलवरिया जिला गोपालगंज बिहार,
- 2.अजय कुमार पुत्र सुबेदार राय निवासी भगवानपुर थाना भगवानपुर जनपद मुजफ्फरपुर बिहार
- 3.रोहित रंजन पुत्र रामबाबू राय निवासी गाढ़ा हसन थाना पारू जनपद मुजफ्फरपुर बिहार

बरामदगी का विवरण:-

1. वैगनार वाहन सं0 BR 31 AB 0764
2. 11 पेटी व 39 पाउच आफिसर च्वाइस अंग्रेजी शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.थानाध्यक्ष अमित कुमार राय थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 2.व0उ0नि0 जयप्रकाश दुबे थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 3.उ0नि0 विरेन्द्र कुमार थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 4.उ0नि0 अनिल कुमार राय थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 5.उ0नि0 आलोक रंजन सिंह थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 6.मु0आ0 प्रमोद प्रजापति थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 7.आ0 राकेश तिवारी थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 8.आ0 सज्जन चौहान थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 9.आ0 देवेन्द्र कुमार आजाद थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 10.आ0 जितेन्द्र यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 11.आ0 सुनील सिंह थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 12.आ0 प्रवीण यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 13.म0आ0 सुमन यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 14.म0आ0 शैल कुमारी थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 15.म0आ0 नेहा सिंह थाना बनकटा जनपद देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.07.2024 जनपद देवरिया

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से गैंगेस्टर ऐक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में एक अभियुक्त को 04 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।”

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना भटनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-190/2019 धारा-3(1) यूपी गैंगेस्टर ऐक्ट में अभियुक्त झामा गौंड उर्फ धर्मेन्द्र गौंड पुत्र नथुनी साह निवासी तिवारी बगहा थाना भोरे जनपद गोपालगंज (बिहार) को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दि0 06.07.2024 को **04 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।** जिसमें विशेष लोक अभियोजक (गैंगेस्टर कोर्ट) श्री वाचस्पति मिश्र, पैरवीकार थाना भटनी आ0 राम प्रसाद चौधरी एवं कोर्ट मोहरीरि मु0आ0 अम्बरीश पटेल एवं मानिट्रिंग सेल प्रभारी निरीक्षक चंद्रिका प्रसाद जैसल का सराहनीय योगदान रहा ।

सराहनीय कार्य

जनपद देवरिया

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना भटनी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-190/2019 धारा-3(1) यूपी गैंगेस्टर ऐक्ट में अभियुक्त झामा गौंड उर्फ धर्मेन्द्र गौंड पुत्र नथुनी साह निवासी तिवारी बगहा थाना भोरे जनपद गोपालगंज (बिहार) को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दि0 06.07.2024 को **04 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।**

पुलिस अधीक्षक

देवरिया ।

सराहनीय कार्य

जनपद देवरिया

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 623/2022 धारा-302/34 भादंसं में अभियुक्त अमरनाथ कन्नौजिया उर्फ अमर उर्फ भीष्म पुत्र स्व० लल्लन कन्नौजिया निवासी गरुणपार घोषी टोला थाना कोतवाली जनपद देवरिया को मा० न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दि० 08.07.2024 को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस अधीक्षक

देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.07.2024 जनपद देवरिया।

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रकरण में 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 623/2022 धारा-302/34 भादंसं में अभियुक्त अमरनाथ कन्नौजिया उर्फ अमर उर्फ भीष्म पुत्र स्व० लल्लन कन्नौजिया निवासी गरुणपार घोषी टोला थाना कोतवाली जनपद देवरिया को मा० न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दि० 08.07.2024 को आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। जिसमें एडीजीसी (क्रि०) श्री आशुतोष कुमार सिंह, पैरवीकार थाना कोतवाली हे०का० जनकधारी यादव, कोर्ट मोहरीर हे०का० मनोज कुमार जायसवाल एवं मानिट्रिंग सेल प्रभारी नि० चन्द्रिका प्रसाद जैशल का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13.07.2024 जनपद देवरिया

जनपद देवरिया में किया गया 'थाना समाधान दिवस' का आयोजन

आज दिनांक 13.07.2024 को जनपद देवरिया के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समस्त थानों पर राजस्व के अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहकर उनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया एवं संयुक्त रूप से राजस्व व पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर कई समस्याओं का निस्तारण भी कराया गया। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी व क्षेत्राधिकारी नगर श्री संजय कुमार रेड्डी द्वारा थाना कोतवाली में जनसमस्याओं को सुना गया जिसके क्रम में थाना कोतवाली पर कुल 07 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसके निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर उचित दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा थाना खामपार व थाना सलेमपुर जनसमस्याओं को सुना गया जिसमें थाना खामपार पर प्राप्त 05 प्रार्थना पत्र में से 01 का मौके पर निस्तारण कराया गया तथा शेष के निस्तारण के लिए राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा थाना सलेमपुर पर 12 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसके निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर उचित दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर द्वारा थाना रुद्रपुर पर, क्षेत्राधिकारी बरहज द्वारा थाना भलुअनी पर तथा क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी द्वारा थाना खामपार पर जनसमस्याओं को सुना गया। इस अवसर पर पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के संबन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर कुल 171 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें 56 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया तथा शेष प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व विभाग व पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर सम्बन्धित को उचित दिशा निर्देश दिए गए।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 30.07.2024 जनपद देवरिया

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या के प्रकरण में 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।”

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना खामपार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-182/2003 धारा-304बी, 498ए भादंसं व ¾ डीपी एक्ट में अभियुक्तगण 1.अरुण कुमार मिश्र पुत्र सुदर्शन मिश्र 2. तरुण कुमार मिश्र पुत्र सुदर्शन मिश्र 3.सुदर्शन मिश्र पुत्र राम नरेश मिश्र 4. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी सुदर्शन मिश्र निवासीगण सिरसिया पवार थाना खामपार जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दि0 30.07.2024 को प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। जिसमें अभियोजन अधिकारी श्री श्रीधर तिवारी पैरवीकार थाना खामपार आ0 मुन्नालाल सिंह, कोर्ट मोहर्रिर उ0नि0 रामजी यादव एवं मानिट्रिंग सेल प्रभारी चंद्रिका प्रसाद जैसल का सराहनीय योगदान रहा।”

सराहनीय कार्य

जनपद देवरिया

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना खामपार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-182/2003 धारा-304बी, 498ए भादंसं व ¾ डीपी एक्ट में अभियुक्तगण 1.अरुण कुमाप मिश्र पुत्र सुदर्शन मिश्र 2. तरुण कुमार मिश्र पुत्र सुदर्शन मिश्र 3.सुदर्शन मिश्र पुत्र राम नरेश मिश्र 4. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी सुदर्शन मिश्र निवासीगण सिरसिया पवार थाना खामपार जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दि0 30.07.2024 को प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।”

पुलिस अधीक्षक

देवरिया।

महोदय,

एसओजी व थाना लार पुलिस द्वारा चनुकी से सहजोर रोड पर भटवा तिराहे के पास थाना सलेमपुर पर पंजीकृत गैगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त नितेश ऊर्फ रफ्तार यादव को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से एक अदद पिस्टल व मोटरसायकिल बरामद हुई है। जिसके बायें पैर में गोली लगी है। जो इलाजरत है। स्थिति सामान्य है। नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

सराहनीय कार्य

जनपद देवरिया

पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर ऐक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि एसओजी व थाना लार पुलिस द्वारा चनुकी से सहजोर रोड पर भटवा तिराहे के पास थाना सलेमपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-282/24 धारा-2(B) (1) व 2 (B) (2)/ 3 गैंगस्टर ऐक्ट में वांछित अभियुक्त नितेश ऊर्फ रफ्तार यादव पुत्र नागेन्द्र यादव निवासी उजरी भरौली थाना सुरौली जनपद देवरिया को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। जिसके पास से एक अदद पिस्टल व मोटरसायकिल बरामद हुई है। जिसके बायें पैर में गोली लगी है। जो इलाजरत है। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध जनपद में कुल विभिन्न धाराओं में एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। स्थिति सामान्य है। नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक

देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 24.07.2024 जनपद देवरिया ।

थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रकरण सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

दिनांक 22.07.2024 को थाना सलेमपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हिछौरा में आकिब पुत्र शमीम अहमद उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी हिछौरा थाना सलेमपुर जनपद देवरिया का शव बरामद होने के सम्बन्ध में मृतक के पिता शमीम अहमद पुत्र स्व0 अब्दुल बहीद की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 310/24 धारा 103(1) बी0एन0एस0-2023 पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही है कि विवेचना के क्रम में थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त अनस पुत्र इरसाद अहमद निवासी चक हिछौरा थाना सलेमपुर जनपद देवरिया को दीर्घेश्वर नाथ मंदिर मझौली राज के पास से गिरफ्तार करते हुए अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल एक अदद चाकू, मृतक का मोबाईल फोन व हत्या के समय अभियुक्त द्वारा पहना गया खून लगा पैंट को नौनी गंगा चक के पास से बरामद करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अनस पुत्र इरसाद अहमद निवासी चक हिछौरा थाना सलेमपुर जनपद देवरिया

बरामदगी का विवरण:-

- 1.आलाकत्ल एक अदद चाकू,
2. मृतक का मोबाईल फोन,
- 3.हत्या के समय अभियुक्त द्वारा पहना गया खून लगा पैंट ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार वाजपेयी थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
- 2.उ0नि0 निरंजन लाल थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
- 3.का0 चन्दन गहलौत थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
- 4.का0 हरि प्रसाद थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
- 5.का0 रंजीत यादव थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।
- 6.का0 बरमेश्वर यादव थाना सलेमपुर जनपद देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.07.2024 जनपद देवरिया

थाना बनकटा पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये इनामिया अभियुक्त सहित कुल 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 10.06.2024 को थाना बनकटा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रुस्तम बहियारी खड़वा टोला निवासिनी सुनीता देवी पत्नी बाबूलाल यादव की सूचना कि तारबाबू यादव एवं दुर्गेश यादव आदि द्वारा उनके साथ मारपीट करते हुए उनकी सोने की चैन को लूट लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना बनकटा पर मु0अ0सं0 120/2024 धारा 395,397,354(ख) व 412 भादवि तारबाबू यादव व दुर्गेश यादव सहित कुल 07 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। जिसके क्रम में दिनांक 28.06.2024 को तारबाबू यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है। इसीक्रम में आज दिनांक 25.07.2024 को उक्त अभियोग में वांछित 1.अभियुक्त दुर्गेश यादव पुत्र जवाहिर यादव सा0 रुस्तम बहियारी थाना बनकटा जनपद देवरिया व 2.अभियुक्त कृष्णा यादव पुत्र हीरालाल यादव सा0 रुस्तम बहियारी थाना बनकटा जनपद देवरिया को थाना बनकटा पुलिस एवं एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रुस्तम बहियारी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसमें अभियुक्त दुर्गेश यादव पुत्र जवाहिर यादव उपरोक्त जनपद देवरिया से 25 हजार रुपये का इनामिया अभियुक्त है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. दुर्गेश यादव पुत्र जवाहिर यादव सा0 रुस्तम बहियारी थाना बनकटा जनपद देवरिया।
2. कृष्णा यादव पुत्र हीरालाल यादव सा0 रुस्तम बहियारी थाना बनकटा जनपद देवरिया।

गिरफ्तार अभियुक्त दुर्गेश यादव का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 181/18 धारा 147,148,149,352,323,504,506,307 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया।
2. मु0अ0सं0 07/2019 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधि0 थाना बनकटा जनपद देवरिया।
3. मु0अ0सं0 194/22 धारा 3/5A/8 गौवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया।
4. मु0अ0सं0 354/22 धारा 147/148/149/384/386/506 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया।
5. मु0अ0सं0 120/24 धारा 395,354बी, भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया।
6. मु0अ0सं0 136/24 धारा 147,323,504,506 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया।

गिरफ्तार अभियुक्त कृष्णा यादव का आपराधिक इतिहास:-

1. एनसीआर नं0 14/014 धारा 323,504,506 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया।
2. मु0अ0सं0 181/18 धारा 147, 148,149,352,323,504,506,307 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया।
3. मु0अ0सं0 07/2019 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधि0 थाना बनकटा जनपद देवरिया।
4. मु0अ0सं0 201/19 धारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना बनकटा जनपद देवरिया।
5. मु0अ0सं0 142/19 धारा 393 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया।
6. मु0अ0सं0 194/20 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना बनकटा जनपद देवरिया।
7. मु0अ0सं0 15/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बनकटा जनपद देवरिया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. निरीक्षक वेद प्रकाश श्रीवास्तव प्रभारी एसटीएफ टीम लखनऊ।
2. व0उ0नि0 जय प्रकाश दूबे थाना बनकटा जनपद देवरिया।
3. मु0आ0 मृत्युंजय सिंह एसटीफ लखनऊ।
4. मु0आ0 कविन्द्र साहनी एसटीफ लखनऊ।

5.मु0आ0 प्रहलाद गौड़ एसटीफ लखनऊ ।

6.मु0आ0 राकेश मिश्रा एसटीफ लखनऊ ।

7.कां0 शिव कुमार कुशवाहा थाना बनकटा जनपद देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25.07.2024 जनपद देवरिया ।

***थाना लार पुलिस द्वारा चोरी की घटना का किया गया सफल अनावरण, चोरी के सोलर पैनल को बरामद करते हुए**

02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।*

जनपद देवरिया के थाना लार क्षेत्रान्तर्गत के0डी0एस0सी0 जूनियर हाइस्कूल खरदहाँ घनश्याम (मगहरा) पिण्डी देवरिया स्थित विद्यालय से दिनांक 17.07.2024 को 550 वाट का एक सोलर पैनल चोरी होने के सम्बन्ध में विद्यालय के मैनेजर अजेश कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 विश्वनाथ पाण्डेय निवासी खरदहाँ घनश्याम की तहरीर के आधार पर थाना लार पर मु0अ0सं0-242/2024 धारा 303(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही है। जिसके क्रम में आज दिनांक 25.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर सुकठ मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों क्रमशः 1. शिवम मद्धेशिया पुत्र राधेश्याम मद्धेशिया निवासी अजना थाना लार जनपद देवरिया व 2. अमित खरवार पुत्र लक्ष्मण खरवार निवासी कौसड़ थाना लार जनपद देवरिया को चोरी के 550 वाट के सोलर पैनल के साथ गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:—

1. शिवम मद्धेशिया पुत्र राधेश्याम मद्धेशिया निवासी अजना थाना लार जनपद देवरिया।
2. अमित खरवार पुत्र लक्ष्मण खरवार निवासी कौसड़ थाना लार जनपद देवरिया।

बरामदगी का विवरण:—

1. एक अदद 550 वाट का सोलर पैनल

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:—

- 1.उ0नि0 संदीप सिंह थाना लार जनपद देवरिया।
- 2.कां0 रविप्रकाश पटेल थाना लार जनपद देवरिया।
- 3.कां0 सोनू राम थाना लार जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 26.07.2024 जनपद देवरिया ।

थाना गौरीबाजार पुलिस टीम द्वारा एक ट्रक से 70 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

आज दिनांक 26.07.2024 को थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बरारी मोड़ के पास से एक अदद 10 चक्का ट्रक वाहन सं0 BR 01 GB 5172 में चालक केबिन के अन्दर ऊपर अलग से रैक बनाकर उसमें छिपाकर रखी गयी कुल 70 पेटी अंग्रेजी शराब जिसमें 50 पेटी आफिसर च्वाइस व 20 पेटी 8 पीएम अंग्रेजी शराब को बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों क्रमशः 1.जितेन्द्र कुमार राठौर पुत्र ददन राठौर निवासी पचरुखिया कला थाना कोईलवर जिला आरा (भोजपुर) बिहार, व 2.अवध राय पुत्र हरिलाल राय निवासी सब्बलपुर थाना सोनपुर जिला छपरा (सारन) बिहार को गिरफ्तार किया गया । पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अंग्रेजी शराब व ट्रक वाहन को कब्जे में लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. जितेन्द्र कुमार राठौर पुत्र ददन राठौर निवासी पचरुखिया कला थाना कोईलवर जिला आरा (भोजपुर) बिहार,
2. अवध राय पुत्र हरिलाल राय निवासी सब्बलपुर थाना सोनपुर जिला छपरा (सारन) बिहार ।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद 10 चक्का ट्रक वाहन सं0 BR 01 GB 5172
2. 70 पेटी अंग्रेजी शराब जिसमें 50 पेटी आफिसर च्वाइस व 20 पेटी 8 पीएम अंग्रेजी शराब ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

01. उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह चौकी प्रभारी बैतालपुर थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
02. उ0नि0 दीपक पटेल थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
03. का0 महेन्द्र कुमार वरुण थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
04. का0 अमन अग्रहरी थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
05. का रितेश राजभर थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
06. का0 पंकज जायसवाल थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
07. का0 प्रदीप कुमार थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।
08. का0 सूरजीत पटेल थाना गौरीबाजार जनपद देवरिया ।

सराहनीय कार्य,
जनपद देवरिया ।

जनपदीय पुलिस द्वारा एक ट्रक में छिपाकर रखी 70 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।
महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 26.07.2024 को थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बरारी मोड़ के पास से एक अदद 10 चक्का ट्रक वाहन सं0 BR 01 GB 5172 में चालक केबिन के अन्दर ऊपर अलग से रैक बनाकर उसमें छिपाकर रखी गयी कुल 70 पेटी अंग्रेजी शराब को बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों क्रमशः 1.जितेन्द्र कुमार राठौर पुत्र ददन राठौर निवासी पचरुखिया कला थाना कोईलवर जिला आरा (भोजपुर) बिहार, व 2.अवध राय पुत्र हरिलाल राय निवासी सब्बलपुर थाना सोनपुर जिला छपरा (सारन) बिहार को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित है ।

पुलिस अधीक्षक

देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.07.2024 जनपद देवरिया ।

थाना सुरौली पुलिस टीम द्वारा ग्राम कोल्हुआ के पास से 85 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

थाना सुरौली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम कोल्हुआ के पास बिना नम्बर प्लेट की पिकप वाहन में पशुओं के चारे व दानों के बीच में छिपाकर बिहार ले जाने की फिराक में रखी गयी 85 पेटी ऑफिसर च्वाईस अंग्रेजी शराब के साथ 03 अभियुक्तों क्रमशः 1.रामजी सिंह उर्फ मन्टेहू पुत्र रामाज्ञा सिंह, 2.अरविन्द प्रताप सिंह उर्फ सुन्दरम सिंह पुत्र रामजी सिंह उर्फ मन्टेहू, व 3.उदय प्रताप सिंह उर्फ सत्यम सिंह पुत्र रामजी सिंह उर्फ मन्टेहू निवासीगण कोल्हुआ थाना सुरौली जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया । पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बरामद अंग्रेजी शराब व पिकप वाहन को कब्जे में लेते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1.रामजी सिंह उर्फ मन्टेहू पुत्र रामाज्ञा सिंह, निवासी कोल्हुआ थाना सुरौली जनपद देवरिया ।
- 2.अरविन्द प्रताप सिंह उर्फ सुन्दरम सिंह पुत्र रामजी सिंह उर्फ मन्टेहू, निवासी कोल्हुआ थाना सुरौली जनपद देवरिया ।
- 3.उदय प्रताप सिंह उर्फ सत्यम सिंह पुत्र रामजी सिंह उर्फ मन्टेहू निवासी कोल्हुआ थाना सुरौली जनपद देवरिया ।

बरामदगी का विवरण:-

1. अंग्रेजी शराब 85 पेटी ऑफिसर च्वाईस ।
2. एक अदद बिना नम्बर प्लेट की पिकप वाहन ।

***गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:- ***

- 1.थानाध्यक्ष अनिल कुमार थाना सुरौली जनपद देवरिया ।
- 2.उ0नि0 मिथिलेश कुमार थाना सुरौली जनपद देवरिया ।
- 3.कां0 दीपक मौर्या थाना सुरौली जनपद देवरिया ।
- 4.कां0 राहुल कुमार थाना सुरौली जनपद देवरिया ।
- 5.कां0 सोनू कुमार थाना सुरौली जनपद देवरिया ।
- 6.कां0 कमलजीत कुमार थाना सुरौली जनपद देवरिया ।

सराहनीय कार्य,
जनपद देवरिया ।

जनपदीय पुलिस द्वारा एक बिना नम्बर प्लेट की पिकप वाहन में पशुओं के चारे व दानों के बीच में छिपाकर रखी 85 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि थाना सुरौली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26.07.2024 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम कोल्हुआ के पास बिना नम्बर प्लेट की पिकप वाहन में पशुओं के चारे व दानों के बीच में छिपाकर बिहार ले जाने की फिराक में रखी गयी 85 पेटी ऑफिसर च्वाईस अंग्रेजी शराब के साथ 03 अभियुक्तों क्रमशः 1.रामजी सिंह उर्फ मन्टेहू पुत्र रामाज्ञा सिंह, 2.अरविन्द प्रताप सिंह उर्फ सुन्दरम सिंह पुत्र रामजी सिंह उर्फ मन्टेहू, व 3.उदय प्रताप सिंह उर्फ सत्यम सिंह पुत्र रामजी सिंह उर्फ मन्टेहू निवासीगण कोल्हुआ थाना सुरौली जनपद देवरिया को गिरफ्तार करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित है ।

पुलिस अधीक्षक
देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 27.07.2024 जनपद देवरिया

जनपद देवरिया के समस्त थानों पर 'थाना समाधान दिवस' का किया गया आयोजन

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा थाना कोतवाली में सुनी गयी समस्याएं

आज दिनांक 27.07.2024 को जनपद देवरिया के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समस्त थानों पर राजस्व के अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहकर उनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया एवं संयुक्त रूप से राजस्व व पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर कई समस्याओं का निस्तारण भी कराया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा थाना कोतवाली में जनसमस्याओं को सुना गया जिसके क्रम में थाना कोतवाली पर कुल 04 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनके निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर संबन्धित को उचित दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा थाना बरियारपुर में जनसमस्याओं को सुना गया जिसके क्रम में थाना बरियारपुर पर 06 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें 04 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया तथा शेष के निस्तारण के हेतु राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर सम्बन्धित को उचित दिशा निर्देश दिए गए।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी सलेमपुर श्री दीपक शुक्ल द्वारा थाना सलेमपुर व थाना लार में जनसमस्याओं को सुना गया जिसके क्रम में थाना सलेमपुर पर कुल 09 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें 01 प्रार्थना पत्र का निस्तारण कराया गया तथा थाना लार पर 11 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें 03 प्रार्थना पत्र का निस्तारण कराया गया तथा शेष प्रार्थना पत्रों में राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर उनके निस्तारण हेतु संबन्धित को उचित दिशा निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिव प्रताप सिंह द्वारा थाना भाटपाररानी में जनसमस्याओं को सुना गया जिसके क्रम में थाना भाटपाररानी पर 04 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिनके निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर सम्बन्धित को उचित दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के संबन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर कुल 213 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें 51 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया तथा शेष प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर सम्बन्धित को उचित दिशा निर्देश दिए गए।

जनपद देवरिया थाना खामपार में घटित दुष्कर्म व मारपीट की घटना में दोषसिद्धि का विवरण-

- 1- दिनांक 15.09.2003 को घटित दहेज हत्या की घटना के संबन्ध में आरोपीगण 1.अरुण कुमाप मिश्र पुत्र सुदर्शन मिश्र 2. तरुण कुमार मिश्र पुत्र सुदर्शन मिश्र 3.सुदर्शन मिश्र पुत्र राम नरेश मिश्र 4. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी सुदर्शन मिश्र निवासीगण सिरसिया पवार थाना खामपार जनपद देवरिया के विरुद्ध मु0अ0सं0-182/2003 धारा-304बी, 498ए भादंसं व ३/४ डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
- 2- अभियोग में आरोपीगण को दिनांक 18.09.2003 को गिरफ्तार कर 66 दिनों में आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
- 3- अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 30.07.2024 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0 एफ0टी0सी0-1 जनपद देवरिया द्वारा अन्तर्गत धारा 304बी भादवि0 से संबंधित आरोपीगण 1.अरुण कुमाप मिश्र पुत्र सुदर्शन मिश्र 2. तरुण कुमार मिश्र पुत्र सुदर्शन मिश्र 3.सुदर्शन मिश्र पुत्र राम नरेश मिश्र 4. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी सुदर्शन मिश्र निवासीगण सिरसिया पवार थाना खामपार जनपद देवरिया को अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास एवं 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.08.2024 जनपद देवरिया ।

थाना मदनपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रकरण में 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, आलाकत्ल बरामद ।

जनपद देवरिया के थाना मदनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम टड़वा में दिनांक 21.07.2024 को जमीनी विवाद व पुरानी रंजीश को लेकर मौसेरे भाई द्वारा अपने भाई अच्छेलाल की गला रेत कर हत्या करने के सम्बन्ध में मृतक की पत्नी केवला देवी पत्नी अच्छेलाल पासवान की तहरीर के आधार पर थाना मदनपुर मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 106/2024 धारा 103(1), 191(2), 191(3) बी0एन0एस0 बनाम रत्तिलाल उर्फ रतन पासवान सहित 09 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही है। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 03.8.2024 को थाना मदनपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर महेन मन्दिर मदनपुर, बरहज सीमा पर भट्टे के पास से एक नामजद अभियुक्त 1. रत्तिलाल उर्फ रतन पासवान पुत्र पारसनाथ पासवान निवासी ग्राम छोटी बेवरी थाना गोला जनपद गोरखपुर सहित एक और अभियुक्त 2. पुरुषोत्तम उर्फ बिट्टू पुत्र रामप्रवेश निवासी ग्राम भैंसहा बाजार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर कुरना नाला पुल के पास झाड़्यों से आलाकत्ल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल वाहन सं0 UP53AW0482 बरामद करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. रत्तिलाल उर्फ रतन पासवान पुत्र पारसनाथ पासवान निवासी ग्राम छोटी बेवरी थाना गोला जनपद गोरखपुर।
2. पुरुषोत्तम उर्फ बिट्टू पुत्र रामप्रवेश निवासी ग्राम भैंसहा बाजार थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1. आलाकत्ल एक अदद चाकू
2. एक अदद मोटर साइकिल वाहन सं0 UP53AW0482

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री गोरख नाथ सरोज थाना मदनपुर जनपद देवरिया।
2. उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार यादव थाना मदनपुर जनपद देवरिया।
3. का0 अजीत कुमार थाना मदनपुर जनपद देवरिया।
4. का0 मनीष कुमार गिरी थाना मदनपुर जनपद देवरिया।
5. का0 विवेक कुमार सरोज थाना मदनपुर जनपद देवरिया।
6. म0का0 प्रियंका चौहान थाना मदनपुर जनपद देवरिया।
7. म0का0 रागिनी मौर्या थाना मदनपुर जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.08.2024 जनपद देवरिया

थाना बनकटा पुलिस व एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा 25 हजार रुपये के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 10.06.2024 को थाना बनकटा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम रुस्तम बहियारी खड़वा टोला निवासिनी सुनीता देवी पत्नी बाबूलाल यादव की सूचना कि तारबाबू यादव एवं लक्ष्मण यादव आदि द्वारा उनके साथ मारपीट करते हुए उनकी सोने की चैन को लूट लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना बनकटा पर मु0अ0सं0 120/2024 धारा 395,354(ख),412 भादवि तारबाबू यादव व लक्ष्मण यादव सहित कुल 07 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। जिसके क्रम में दिनांक 28.06.2024 को तारबाबू यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है तथा दिनांक 25.07.2024 को 1.अभियुक्त दुर्गेश यादव पुत्र जवाहिर यादव सा0 रुस्तम बहियारी थाना बनकटा जनपद देवरिया व 2.अभियुक्त कृष्णा यादव पुत्र हीरालाल यादव सा0 रुस्तम बहियारी थाना बनकटा जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है। इसी क्रम में आज दिनांक 08.08.2024 को उक्त अभियोग में वांछित चल रहे व 25 हजार रुपये इनामिया अभियुक्त लक्ष्मण यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी रुस्तम बहियारी थाना बनकटा जनपद देवरिया को थाना बनकटा पुलिस एवं एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर रुस्तम बहियारी गाँव के बगीचे के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. लक्ष्मण यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी रुस्तम बहियारी थाना बनकटा जनपद देवरिया।

गिरफ्तार अभियुक्त लक्ष्मण यादव का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 504/13 धारा 147,148,452,308,323,504,506 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया।

2. मु0अ0सं0 577/2014 धारा 147,148,149,307 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया।

3. मु0अ0सं0 184/20 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना बनकटा जनपद देवरिया।

4. मु0अ0सं0 175/16 धारा 147,148,149,307,336,352,353,504,506 भादवि व 7 सीएलए ऐक्ट व 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया।

5. मु0अ0सं0 222/11 धारा 147,148,149,304, 323,504,506 भादवि व 3/25 आर्म्स ऐक्ट व 7 सीएलए ऐक्ट थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया।

6. मु0अ0सं0 354/22 धारा 147,148,149,384,386,506 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया।

7.मु0अ0सं0 387/22 धारा 3(1) यूपी जीटी ऐक्ट थाना बनकटा जनपद देवरिया।

8.एनसीआर नं0 10/19 धारा 323,504,506 भादवि थाना भाटपाररानी जनपद देवरिया।

9. मु0अ0सं0 122/23 धारा 506 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया।

10. मु0अ0सं0 123/23 धारा 323,504,506,452 भादवि व 3(2)5(क) SC/ST ऐक्ट थाना बनकटा जनपद देवरिया।

11. मु0अ0सं0 120/24 धारा 395,354(बी) भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया।

12. मु0अ0सं0 136/24 धारा 147,323,504,506 भादवि थाना बनकटा जनपद देवरिया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1.निरीक्षक वेद प्रकाश श्रीवास्तव प्रभारी एसटीएफ टीम लखनऊ।

2.व0उ0नि0 जय प्रकाश दूबे थाना बनकटा जनपद देवरिया।

3. मु0आ0 मृत्युंजय सिंह एसटीफ लखनऊ।

4.मु0आ0 कविन्द्र साहनी एसटीफ लखनऊ।

5.मु0आ0 सुरेश कुमार एसटीफ लखनऊ।

6.आ0 सज्जन चौहान थाना बनकटा जनपद देवरिया।

7.आ0 प्रवीण यादव थाना बनकटा जनपद देवरिया।

8.आ0 सूरज राम थाना बनकटा जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10.08.2024 जनपद देवरिया

जनपद देवरिया के समस्त थानों पर 'थाना समाधान दिवस' का किया गया आयोजन

जिलाधिकारी देवरिया व पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा थाना कोतवाली में सुनी गयी समस्याएं

आज दिनांक 10.08.2024 को जनपद देवरिया के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समस्त थानों पर राजस्व के अधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहकर उनके द्वारा जनता की समस्याओं को सुना गया एवं संयुक्त रूप से राजस्व व पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंच कर कई समस्याओं का निस्तारण भी कराया गया। इसी क्रम में जिलाधिकारी देवरिया श्रीमती दिव्या मित्तल, पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा व अपर पुलिस अधीक्षक देवरिया (उत्तरी) श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी द्वारा थाना कोतवाली में जनसमस्याओं को सुना गया जिसके क्रम में थाना कोतवाली पर कुल 06 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसके निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर संबन्धित को उचित दिशा निर्देश दिये गये। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री भीम कुमार गौतम द्वारा थाना लार में जनसमस्याओं को सुना गया जिसके क्रम में थाना लार पर कुल 12 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 04 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण कराया गया तथा शेष प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर संबन्धित को उचित दिशा निर्देश दिये गये। इस अवसर पर पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के संबन्धित अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे। थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के समस्त थानों पर कुल 128 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए जिसमें 42 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया तथा शेष के निस्तारण हेतु राजस्व व पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों का गठन कर सम्बन्धित को उचित दिशा-निर्देश दिए गए।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 11.08.2024 जनपद देवरिया ।

जनपद देवरिया के थाना बरियारपुर क्षेत्रान्तर्गत जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय मेहरौना में दिनांक 04.08.2024 को हास्टल में रह रहे बच्चों द्वारा खाना खाने के उपरान्त तबियत खराब होने की समस्या पर उनका ईलाज करवाया गया जिसमें 01 एक छात्र जिसका नाम शिवम यादव पुत्र सदानन्द यादव सा० उम्र करीब 14 वर्ष सा० भैसहिया रामनगर थाना फरेन्दा जनपद महाराजगंज की दिनांक 07.08.2024 को ईलाज के दौरान बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर में मृत्यु हुई थी। उक्त घटना के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री जैसवार लाल बहादुर की तहरीर पर थाना बरियारपुर पर मु०अ०सं० 192/2024 धारा 105, 125, 223, 271, 272 बीएनएस का अभियोग बनाम मेसर्स कन्हैया इन्टरप्राइजेज राजेश कुमार गुप्ता के विरुद्ध पंजीकृत करते हुए विवेचना की जा रही है। जिसके क्रम में आज दिनांक 11.08.2024 को बरियारपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर बैकुण्ठपुर देवरिया रोड के पडरीमल मोड के पास से उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त राजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व० प्रभुनाथ निवासी वार्ड नं० 07 बस स्टैण्ड चौरीचौरा, थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर (मेसर्स कन्हैया इन्टरप्राइजेज, न्यू बस स्टैण्ड चौरी-चौरा, गोरखपुर के संचालक) को गिरफ्तार कर निमयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. राजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्व० प्रभुनाथ निवासी वार्ड नं० 07 बस स्टैण्ड चौरीचौरा थाना चौरीचौरा जनपद गोरखपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष महेन्द्र कुमार थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।
2. उ०नि० सत्य प्रकाश यादव थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।
3. हे०का० धर्मेन्द्र कुमार थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।
4. का० रविन्द्र चौहान थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।
5. का० अखिलेश गुप्ता थाना बरियारपुर जनपद देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13.08.2024 जनपद देवरिया ।

गोरखपुर जोन की 72 वीं अन्तर्जनपदीय हाकी (महिला/पुरुष) प्रतियोगिता- 2024 दिनांक 11.08.2024 से प्रारम्भ होकर दिनांक 13.08.2024 को जनपद सिद्धार्थनगर में समाप्त हुई। प्रतियोगिता में कुल 11 जिलों की टीम ने प्रतिभाग किया। जिसमें जनपद देवरिया की महिला हॉकी टीम ने जनपद सिद्धार्थनगर की महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल जनपद देवरिया व जनपद गोण्डा के बीच खेला गया जिसमें ट्राई ब्रेकर में जनपद देवरिया की टीम ने 3-2 से जीत हासिल कर खिताब अपने नाम किया। जनपद देवरिया की तरफ से म0मु0आ0 जया रंजन, म0आ0 कबिता चतुर्बेदी, म0आ0 प्रिया यादव, म0आ0 शीला सिंह, म0आ0 अंजली पाण्डेय, म0आ0 नेहा मौर्या, म0आ0 अर्चना कुशवाहा, म0आ0 सुनीता, म0आ0 नलिनी, म0आ0 कशीश, म0आ0 नीतू व म0आ0 मीना का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा तथा टीम प्रशिक्षक पीटीआई राज नारायण यादव का सराहनीय योगदान रहा।

सराहनीय कार्य,

जनपद देवरिया।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण में 01 अभियुक्त को 2.5 वर्ष साश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना सलेमपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-52/2022 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र छेदीलाल निवासी पूर्व इचौना थाना सलेमपुर जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दि0 13.08.2024 को 02 वर्ष 06 माह का साश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

पुलिस अधीक्षक

देवरिया।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 13.08.2024 जनपद देवरिया ।

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से मादक पदार्थ तस्करी के प्रकरण में 01 अभियुक्त को 2.5 वर्ष साश्रम कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप थाना सलेमपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-52/2022 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र छेदीलाल निवासी पूर्व इचौना थाना सलेमपुर जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दि0 13.08.2024 को 02 वर्ष 06 माह का साश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । जिसमें विशेष लोक अभियोजक श्री धनंजय बघेल, विशेष लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार पासी पैरवीकार थाना सलेमपुर आ0 बृजेश कुमार, कोर्ट मोहरीर मु0आ0 मनोज कुमार जायसवाल एवं मानिट्रिंग सेल प्रभारी चंद्रिका प्रसाद जैसल का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 14.08.2024 जनपद देवरिया ।

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रकरण में 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।*

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना खुखुन्दू पर पंजीकृत मु0अ0सं0 39/2023 धारा-147,148,302/34,323/34, 504,506 भादंवि में अभियुक्तगण क्रमशः 1.प्रदुम्न चतुर्वेदी उर्फ प्रदीप चतुर्वेदी पुत्र रमेशचन्द चतुर्वेदी, 2.रमेशचन्द चतुर्वेदी पुत्र स्व0 रामसकल चतुर्वेदी, 3.शिल्पी देवी पुत्री रमेशचन्द चतुर्वेदी, 4.आशीष उपाध्याय उर्फ अमित पुत्र संदीप उपाध्याय व 5.सूरज कुमार पुत्र शिवनाथ प्रसाद निवासीगण पिपरा मिश्र थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दिनांक 14.08.2024 को आजीवन कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया । जिसमें अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(क्रि0) श्री मनीष सिंह, कोर्ट मुहर्रि का0 विनय सोनार, पैरवीकर का0 सुनील कुमार तथा मानिट्रिंग सेल प्रभारी चंद्रिका प्रसाद जैसल का सराहनीय योगदान रहा ।

सराहनीय कार्य,

जनपद देवरिया ।

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या के प्रकरण में 05 अभियुक्तों को आजीवन कारावास कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।*

महोदय,

कृपया सादर अवगत कराना है कि “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत जनपदीय पुलिस की प्रभावी पैरवी से थाना खुखुन्दू पर पंजीकृत मु0अ0सं0 39/2023 धारा-147,148,302/34,323/34, 504,506 भादंवि में अभियुक्तगण क्रमशः 1.प्रदुम्न चतुर्वेदी उर्फ प्रदीप चतुर्वेदी पुत्र रमेशचन्द चतुर्वेदी, 2.रमेशचन्द चतुर्वेदी पुत्र स्व0 रामसकल चतुर्वेदी, 3.शिल्पी देवी पुत्री रमेशचन्द चतुर्वेदी, 4.आशीष उपाध्याय उर्फ अमित पुत्र संदीप उपाध्याय व 5.सूरज कुमार पुत्र शिवनाथ प्रसाद निवासीगण पिपरा मिश्र थाना खुखुन्दू जनपद देवरिया को मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर आज दिनांक 14.08.2024 को आजीवन कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित है ।

पुलिस अधीक्षक

देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.08.2024 जनपद देवरिया ।

थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा एक डीसीएम वाहन से 17 राशि गोवंशीय पशुओं को बरामद करते हुए 02 तस्करोँ को किया गया गिरफ्तार ।

थाना बरियारपुर पुलिस द्वारा दिनांक 14.08.2024 को मुखबिर की सूचना पर बरियारपुर करौदी मार्ग पर लंगडा मोड़ के पास से बैरियर लगाकर चेकिंग के दौरान बिहार जा रही एक अदद डीसीएम न0 HR38AH1348 से कुल 17 गोवंशीय पशुओं जिसमें 13 राशि सांड व 04 राशि गाय को बरामद करते हुए 02 अभियुक्तों क्रमशः1. आयूब कुरैशी पुत्र रमजानी कुरैशी निवासी घर मरधान खाँ थाना कोतवाली जनपद रामपुर तथा 2. मोहम्मद कैफ पुत्र इमरान निवासी बाबूपुर थाना हतिम जनपद पलवल हरियाणा को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए बरामद वाहन व पशुओं को कब्जे में लेकर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 198/2024 ,धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. आयूब कुरैशी पुत्र रमजानी कुरैशी निवासी घर मरधान खाँ थाना कोतवाली जनपद रामपुर ।
2. मोहम्मद कैफ पुत्र इमरान निवासी बाबूपुर थाना हतिम जनपद पलवल हरियाणा ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष डॉ0 महेन्द्र कुमार थाना बरियारपुर जनपद देवरिया ।
- 2.उ0नि0प्र0 कमलेश कुमार थाना बरियारपुर जनपद देवरिया ।
- 3.का0 दीपक दुबे थाना बरियारपुर जनपद देवरिया ।
4. का0 दीपक कुमार थाना बरियारपुर जनपद देवरिया ।
5. का0 संजीव यादव थाना बरियारपुर जनपद देवरिया ।
- 6.हे0का0 सुरेन्द्र कुमार थाना बरियारपुर जनपद देवरिया ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16.08.2024 जनपद देवरिया ।

78 वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा किया गया ध्वजारोहण, सभी को दी गयी शुभकामनाएं व बधाई ।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में बेहतर पुलिसिंग के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री प्रशांत कुमार द्वारा पुलिस अधीक्षक श्री संकल्प शर्मा को प्रशंसा चिन्ह (प्लेटिनम) पदक प्रदान किया गया है ।

दिनांक 15.08.2024 को स्वतन्त्रता दिवस की 78 वीं वर्षगांठ के अवसर पर पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री संकल्प शर्मा द्वारा पुलिस लाइन देवरिया स्थित क्वार्टर गार्ड पर ध्वजारोहण किया गया एवं राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए राष्ट्रगान की धुन के साथ आजादी के स्वर्णिम पल को याद किया गया, साथ ही उपस्थित समस्त अधिकारी/ कर्मचारी गणों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई । सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा पूर्वक अपने दायित्वों व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रेरित किया गया । आजादी के पावन अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में पौधारोपड़ किया गया ।

इसीक्रम मे अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉ भीम कुमार गौतम द्वारा पुलिस कार्यालय में ध्वजारोहण के उपरान्त मिष्ठान का वितरण किया गया, एवं जनपद के प्रत्येक थानों, चौकियों व कार्यालयों पर ध्वजारोहण कर हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस के पर्व को मनाया गया तथा एक दूसरे को बधाई व शुभकामनाएं दी गयी ।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 16.08.2024 जनपद देवरिया ।

थाना श्रीरामपुर पुलिस टीम द्वारा एक चार पहिया वाहन से 57 पेटी अंग्रेजी शराब किया गया बरामद, 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।

जनपद देवरिया के थाना श्रीरामपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम ठाकुरपुर मोड़ के पास से एक स्कार्पियो वाहन सं० BR31P1121 से बिहार ले जायी जा रही कुल 57 पेटी अंग्रेजी शराब जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 03 लाख रुपये तथा बरामद वाहन की अनुमानित कीमत लगभग 05 लाख रूपए इस प्रकार कुल बरामदगी माल कीमत 08 लाख रूपए करते हुए 02 अभियुक्तों क्रमशः 1.गोविन्दा कुमार पुत्र छोटेलाल शाह निवासी इन्दरवा थाना बनकटा जनपद देवरिया तथा 2. कृष्णा कुमार पुत्र हरिन्द्र गुप्ता निवासी इन्दरवा थाना बनकटा जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए बरामद अंग्रेजी शराब व स्कार्पियो वाहन को कब्जे में लेते हुए थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 189/2024 धारा 60/72 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1.गोविन्दा कुमार पुत्र छोटेलाल शाह निवासी इन्दरवा थाना बनकटा जनपद देवरिया ।
- 2.कृष्णा कुमार पुत्र हरिन्द्र गुप्ता निवासी इन्दरवा थाना बनकटा जनपद देवरिया ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.एक अदद चार पहिया वाहन महिन्द्रा स्कार्पियो वाहन सख्या- BR31P1121
2. कुल 57 पेटी अंग्रेजी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण:-

- 01.प्रभारी निरीक्षक श्री कल्याण सिंह सागर थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया ।
- 02.चौकी प्रभारी उ०नि० श्री बलराम सिंह थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया ।
03. उ०नि० श्री अनिल कुमार तिवारी थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया ।
- 04.का० रामसागर गुप्ता थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया ।
- 05.का० विशाल सिंह थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया ।
- 06.हे०का० मुकेश कुमार यादव थाना श्रीरामपुर जनपद देवरिया ।